लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२,२५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुर:स्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड २७४७--४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--पारित २७४९

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २७४९--८५

दैनिक संक्षेपिका . . २७८६--९१

अंक २४--बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा १११२ से १११५ . २७९३--२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, १११९, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ २८१७--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ २८३१--६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . २८६३

सदस्य को सजा २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य २८६४--६५

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २८६५--९४

दैनिक संक्षेपिका . २८९५--२९००

अंक २५--गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ २९०१--२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० २९२६--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ २९३९--७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९०, १२९९, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४–५९

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५९–६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२–३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२–७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५–३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८–३२

अंक २९—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . . ३४५६–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५–९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४९५

राज्य सभा से सन्देश ३४९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४९६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४९६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४९६–९७

अनुदानों की मांगें ३४९७–३५३६

वित्त मंत्रालय ३४९७–३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७–४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, ११ मार्च, १९५९

२० फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शक्ति चालित पम्प उद्योग

+

†*१०९७. { श्री स० चं० सामन्त
श्री सुबोध हंसदा

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्ति चालित पम्प उद्योग के लक्ष्य पुनरीक्षित हो गये हैं ताकि हम पड़ोसी देशों को उनका निर्यात कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग के लिये मानकीकरण आरम्भ किया गया है; और

(ग) देश में किस नाप के नल बनते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९६०-६१ के लिये शक्ति चालित पम्पों का मात्रात्मक लक्ष्य ८६,००० प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। १९५८ में ७६,९७१ नल बने तथा आशा है कि १९६१ तक उत्पादन लक्ष्य से अधिक हो जायेगी। अतः इस उद्योग का लक्ष्य पुनरीक्षित करना आवश्यक नहीं है। १९५८ में २·५ लाख रु० के मूल्य के शक्ति चालित पम्प निर्यात किये गये।

(ख) पम्पों का मान (स्टैंडर्ड) निर्धारित करने के लिये भारतीय मानक संस्था कार्य कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

400 (Ai) LSD—1.

(ग) देश में बनने वाले पम्प ³/₄" से २४" के व्यास के होते हैं। गहरे कुओं के लिये १ लाख गैलन प्रति घन्टा जल देने वाले एवं २४"×२४" के हारीज़न्टल स्पिन्डल पम्प देश में बने।

†**श्री स० चं० सामन्त**: आजकल कितने उद्योग पम्प बना रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: लगभग २९ उद्योग।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इसकी रिकार्ड मांग है, यदि हां तो निर्यातकर्ताओं को क्या सुविधा दी जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हां, मांग बढ़ रही है। १९५६ में ४८,००० नल बने और १९५८ में ७८,००० नल। निर्यात बाज़ार की भी मांग अधिक है। हम कुछ शुल्क वापस लेकर और अनेक विभिन्न सुविधायें दे कर प्रोत्साहन देते हैं।

†**श्री तंगामणि**: १९५८ में कितने पम्प निर्यात किये गये और कितने देश में प्रयोग के लिये दिये गये एवं १९५९ की कितनी मांग है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: १९५९ के लिये विदेशों की मांग निश्चित नहीं की जा सकती परन्तु १९५८ में २ १/२ लाख रु० के मूल्य का निर्यात हुआ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या कृषकों को पम्प खरीदने के लिये कोई रियायत दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: नहीं, श्रीमान्। कुछ राज्यों में कृषि क्षेत्र में कृषकों को ऋण देने की तकावी योजना है। परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा निर्माता कोई छूट नहीं देते।

सेठ गोविन्द दास: यह हमारे पम्प जो बाहर जा रहे हैं, ये इसी वर्ष गये हैं या इसके पहले भी जा रहे थे, और क्या इनमें वृद्धि हो रही है, और किन-किन देशों को ये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह: सन १९५६ में ५३,००० के पम्प बाहर गये, सन् १९५७ में १,७०,००० के और सन् १९५८ में ढाई लाख के पम्प बाहर गये। तो इनके जाने में वृद्धि तो स्पष्ट दिखायी देती है। ये पम्प ज्यादातर मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जा रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: छोटे पैमाने के उद्योग कितने नल बनाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: मैंने बड़े पैमाने के उद्योगों के आंकड़े दिये हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के आंकड़े इन के अतिरिक्त होंगे।

†**श्री सोनावाने**: केवल अच्छी किस्म का निर्यात करने के लिये ताकि कोई शिकायत न आये, क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: भारतीय मानक संस्था पम्पों का मान निर्धारित कर रही है। मान निर्धारण के बाद पहिले निर्यात पर लागू होगा और फिर देशीय उपयोग के पम्पों पर।

†**श्री वारियर**: क्या निर्यात आन्तरिक मांग का निर्धारण करने के बाद किया जाता है ? विकास परिषदों की शिकायतें हैं कि पम्प उपलब्ध नहीं हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: कदाचित यह सर्वथा सच नहीं है क्योंकि हम बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वस्तुतः उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से तो चालू वर्ष में ही अधिक हो गया

---

†मूल अंग्रेजी में

है । परन्तु तथ्य यह है कि निर्यात में वृद्धि तो आन्तरिक खपत घटा कर भी करनी है । अतः हमारा प्रयास एक ओर तो उत्पादन बढ़ाना और दूसरी ओर यथासंभव निर्यात बढ़ाना है ।

†**श्री तंगामणि:** १९५८ में बने कोई ७७,००० पम्पों में से कितने आन्तरिक मांग के लिये रखे गये ? १९५९ की मांग के बारे में क्या अनुमान है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम केवल यह कह सकते हैं कि यह १९५९ में बढ़ेगी । ठीक आंकड़े बताना बहुत कठिन है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या हमारे भेजे हुए पम्पों के मान के बारे में किसी देश से कोई शिकायत आई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विशेषकर इस वस्तु के बारे में हमें विभिन्न देशों से बहुत ही सन्तोषजनक उत्तर मिला है ।

ऊन उत्पादन

\+

†*१०९८ { **श्री सुबोध हंसदा :** / **श्री स० चं० सामन्त :** / **श्री रा० च० माझी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष ऊन का कितना उत्पादन होता है;

(ख) इसमें से कितना देश में प्रयोग होता है और किस तरह;

(ग) बढ़िया किस्म की ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; **और**

(घ) क्या बढ़िया किस्म की ऊन के उत्पादन के लिये पहिले कोई व्यवस्था थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ६·५ करोड़ पौंड ।

(ख) देश में प्रति वर्ष अनुमानतः २·५ करोड़ पौंड ऊन निम्न रूप में प्रयोग होता है :—

व्यवस्थित कारखाना क्षेत्र	. .	७० लाख पौंड
कालीन क्षेत्र	. .	९० लाख पौंड
कुटीर क्षेत्र		९० लाख पौंड

(ग) तथा (घ). बढ़िया ऊन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से १९३६ से देश में विभिन्न भागों में गवेषणा केन्द्र खोले गये हैं । १० भेड़ प्रजनन गवेषणा केन्द्र तथा ऊन जनन प्रयोगशालायें पहिले से ही कार्य कर रही हैं एवं ४ और खोलने का विचार है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** हमारा वार्षिक उत्पादन ६·५ करोड़ पौंड है और उपभोग २·५ करोड़ पौंड । क्या शेष ऊन विदेशों को निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो इस से कितना विदेशी विनिमय प्राप्त होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** १९५३-५४ में २·०७ करोड़ पौंड ऊन का आयात होता था जबकि १९५७-५८ में ३·६४८ करोड़ पौंड ऊन निर्यात हुआ ।

†**श्री सुबोध हंसदा ।** आजकल हमारे देश में कितना बढ़िया ऊन पैदा होता है और क्या यह हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम बढ़िया ऊन का उत्पादन प्रत्येक राज्य में बढ़ा रहे हैं । श्रेणी-करण के बारे में मैं ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन में बढ़िया ऊन की कौन सी किस्में पैदा होती हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष हमने रूस को बड़ी मात्रा में ऊन भेजा जिसके परिणामस्वरूप अमरीका को हमारा निर्यात घट गया हमारे देश में भी मूल्य बढ़ गया ? दोनों देशों को ऊन निर्यात करने के लिए सरकार चालू वर्ष में क्या कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उनमें आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है । यह ठीक है कि हमने रूस को ऊन भेजने का समझौता किया है । परन्तु अमरीका को निर्यात में कमी होने का यह कारण न था । अमरीका में प्रतिगति थी और इस कारण वहां ऊन की पिछले वर्षों जैसी मांग न थी ।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या हम किसी बढ़िया ऊन का आयात करते हैं, यदि हां तो कितना ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हां, श्रीमान् । हम वर्स्टेड ऊन के निर्माण के लिए आस्ट्रेलिया से ऊन के गोले और विभिन्न देशों से बढ़िया ऊन आयात करते हैं । और इसका मूल्य ९ से १० करोड़ रु० तक होता है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या माननीय मंत्री ऊंट की ऊन की मात्रा बता सकते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके आंकड़े अलग नहीं रखे जाते । परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी क्षेत्र विशेष में रुचि रखते हैं तो हम आंकड़े एकत्रित करने का प्रयत्न करेंगे । ऐसी वस्तु को और फिर उसका पशुवार वर्गीकरण करना बहुत कठिन है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि ऊन बनाना भारत के अनेकों भागों का कुटीर उद्योग था, विशेषकर बंगाल का और अब भेड़ के लिए चरागाह न होने के कारण उद्योग समाप्त हो रहा है ? यदि हां तो इस उद्योग के सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह;** : अब भी ऊन साधारणतया कुटीर उद्योग है । हम ऊन के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे रहेहैं । यह कहना ठीक नहीं है कि भेड़ चराने वाले और भेड़-प्रवजन करने वालों को कोई विशेष कठिनाई हो रही है । जहां तक चराने के लिए खेती-भूमि का संबंध है, यह राज्य सरकारों का मामला है अत : वे उनसे प्रार्थना करें ।

†**श्री जोकिम अल्वा :** २.५ करोड़ पौंड में से जो देश में प्रयोग हुई, १.८ करोड़ पौंड रस्सी तथा ग्राम उद्योगों में प्रयोग हुई । सरकार निर्माण के उत्तम ढंगों आदि के बारे में ग्राम उद्योग क्षेत्र को क्या सुविधा दे रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** भारतीय ऊन मुख्यकर कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग में प्रयोग होती है। देश के विभिन्न भागों में केन्द्र खोलने का हमारा प्रयास है। एक केन्द्र हमने मद्रास में खोल दिया है और वधोई में एक शाखा खोलने का विचार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अन्य विस्तार केन्द्र ऊन की उत्तम बुनाई व उत्पादन के लिए खोले जा रहे हैं।

श्री अ० मु० तारिक : पशमीना शाल काश्मीर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहां से शाल हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान से बाहर भेजे जाते हैं। पिछले चन्द सालों से काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पशमीने ऊन की बहुत क़मी पाई गई है और इस सम्बन्ध में हुकूमत काश्मीर ने भारत सरकार की कई दफ़े तवज्जह दिलाई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि पशमीने वूल की कमी दूर करने और इसकी इंडस्ट्री की तरक्की करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस मामले में बहुत दफ़े प्रश्न उठे हैं। काश्मीर गवर्नमेंट खुद ही यह तय करती है कि कितना पशमीना जो तिब्बत और अन्य इलाक़ों से आता है उसको बाहर भेजा जाय। यह कोई बात नहीं है कि वहां पशमीने का वूल नहीं है और इस वजह से वहां की कोई इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। उसका हमें पूरा ख्याल है और भरोसा है कि काश्मीर गवर्नमेंट उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे रही है।

†**श्री माने :** : क्या सरकार को विदित है कि देश में ऊन के उत्पादन का बड़ा भाग जो विदेशों को जाता है, वे सूत के रूप में वापस आ जाता है ? क्या यह भी सच है कि कलिम्पोंग में एक भी भेड़ न होने पर भेड़ चराने का फार्म बनाने का प्रयत्न किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह कहना ठीक नहीं है कि हम ऊन का निर्यात करके उसी ऊन को विदेशों में कितने का आयात करते हैं। किस्में सर्वथा भिन्न हैं। ऊन का उत्पादन करना केवल पसंद की बात नहीं है जो चाहे जहां किया जा सके, अपितु यह मुख्य कर जलवायु का मामला है। बहुत से ठंडे देश हैं जहां भेड़ भारत की अपेक्षा शीघ्र और अच्छी तरह बढ़ती है। यही कारण है कि बढ़िया किस्में 'वर्स्टेड वूल' के रूप में आयात की जाती हैं। हम कच्चा ऊन निर्यात करते हैं।

†**श्री दासप्पा :** क्या हमारे निर्यात किये गये ऊन का अधिक भाग कालीन बनाने में प्रयोग होता है ? विदेशों के लिए उपयुक्त इन कालीनों का निर्माण हम क्यों नहीं करते ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम मोटी दरियां, दरियां और कालीन बनाते हैं। एक विकास परिषद देश में कच्चे ऊन से कालीन और दरियों के निर्माण को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं। यदि इन कालीन-निर्माताओं को आयात किये गये बढ़िया किस्म के ऊन के आवश्यकता होती है तो हम वह भी देते हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर में बहुत ऊन का उत्पादन होता है और क्या वहां पर कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे कि वहां पर कोई गृह उद्योग या कोई बड़ा कारखाना बना कर वहां के ऊन का उपयोग उनमें किया जाय ?

श्री मनुभाई शाह : इस छोटे से सवाल में बहुत सारे सवाल जगह जगह की वूल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में पूछे जा रहे हैं। अगर कोई आनरेबुल मेम्बर साहब किसी विशेष ऐरिया की

†मूल अंग्रेजी में

वूल इंडस्ट्री की बाबत इंटरेस्टेड हों और उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हों तो वह उसके लिए अलग से सवाल भेज सकते हैं और उनको उसका पूरा जवाब दे दिया जायेगा ।

†**श्री च० द० पांडे :** बढ़िया ऊन जो पर्याप्त मात्रा में तिब्बत से आता था क्या वह वहां चीनी साम्यवादी सरकार बनने से आना बंद हो गया है ? क्या यह सच है कि बढ़िया ऊन की कमी है तथा कुमाऊं, काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उद्योग को क्षति पहुंच रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात नहीं है । तिब्बत से अब भी कुछ ऊन आता है । मात्रा कम है या पर्याप्त है, यह एक भिन्न प्रश्न है । भारत आने वाला अधिकतर तिब्बती ऊन आवश्यकता से अधिक है एंव हमें प्रति वर्ष आन्तरिक मांग की पूर्ति के बाद उसका पुन : निर्यात करने की अनुमति देनी पड़ती है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि कानपुर के लाल इमली कारखाने में कुप्रबन्ध के कारण ऊन का उत्पादन काफी कम हो गया है और यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा क्या सरकार उस कारखाने को अपने हाथ में ले रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

सऊदी अरब में प्रदर्शन-कोष्ठ (शो रूम)

†*१०९९. **श्री रा० च० माझी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब में एक प्रदर्शन कोष्ठ (शो रूम) खोला गया है ; और

(ख) उस देश में किन वस्तुओं के विक्रय की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण निम्न दिया जाता है :—

विवरण

१. छुरी व कांटे ।
२. कीलें, पेचें, रिपटें और वाशरें ।
३. नल तथा तत्संबंधी वस्तुयें ।
४. चादरें व प्लेटें ।
५. लोहे और इस्पात के बक्सें ।
६. वाद यन्त्र ।
७. शल्य–औज़ार ।
८. बिजली के पंखे और बिजली का अन्य सामान ।
९. फोटाग्राफी का सामान ।
१०. तम्बाकू ।

---

†मूल अंग्रेजी में

११. खाद्य उत्पाद तथा बिस्कुट ।

१२. मशीनें तथा इंजिनियरी का सामान ।

१३. बने कपड़ा ।

१४. आग बुझाने के इंजन ।

१५. लोहा तथा इस्पात उत्पाद ।

१६. प्लास्टिक उत्पाद ।

१७. रसायन तथा भेषज ।

†**श्री रा० च० माझी** : इस देश से कितना विदेशी विनियम प्राप्त होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : ठीक आंकड़े बताना कठिन है । यह वास्तविक व्यापार पर निर्भर है । सआदी अरब में उपभोक्ता-वस्तुओं के विक्रय का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री जोकिम आल्वा** : आपने सआदी अरब को निर्यात की जाने वाली १७ वस्तुयें बताई हैं । भारत सरकार प्रति वर्ष अरब जाने वाले १२,००० हज तीर्थ यात्रियों को सहायता दे रही है । क्या उर्दू साहित्य द्वारा आपने इन तीर्थ यात्रियों को इन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बता दिया है ताकि वे विदेश में हमारे व्यापार के लिए अच्छे राजदूत सिद्ध हो सकें ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : खेद है कि मुझे यह विचार नहीं आया । वस्तुत : यह एक अच्छा विचार है । अगले वर्ष हज यात्रियों के जाते समय हम इसका ध्यान रखेंगे ?

†**श्री नागी रेड्डी** : इस प्रदर्शन-कोष्ठ पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है तथा उसमें कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : फरवरी के अन्त तक ८७,००० रु० व्यय हुए । मैं प्रदर्शन-कोष्ठ में काम करने वालों की संख्या नहीं बता सकता । अधिकतर कर्मचारी स्थानीय हैं ।

†**श्री वारियर** : सआदी अरब से व्यापार का विद्यमान रूप सुनिश्चित करने के लिये क्या इन वस्तुओं के भेजने से पहिले कोई सर्वेक्षण किया गया था ताकि प्राचीन काल से सआदी अरब भेजी जाने वाली वस्तुयें वहां प्रदर्शित की जा सकें ? मसाले, रस्से और लकड़ी की वस्तुयें जैसी कुछ वस्तुयें उन में सम्मिलित नहीं हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वे सारी वस्तुओं जिन के लिये सआदी अरब में मांग उत्पन्न होने की सम्भावना है, प्रदर्शन-कोष्ठ में दिखाई जाती हैं । नारियल जटा-उत्पाद भी प्रदर्शन-कोष्ट में दिखाये जाते हैं ।

†**श्री वारियर** : यह विवरण में नहीं है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : विवरण में सारी वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं अपितु वे हैं जिन के लिये हमें उस देश में पर्याप्त मांग प्राप्त हो सके ।

†**श्री सोनावाने** : क्या यह प्रदर्शन-कोष्ठ अपने उद्देश्य में सफल रहा है अथवा विफल एवं इस के परिणामस्वरूप क्या व्यापार में वृद्धि हुई है या कमी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह प्रदर्शन-कोष्ठ लगभग ५ मास पूर्व खोला गया था। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह कहां सफल रहा है या रहेगा।

कच्चे मैंगनीज़ का व्यापार

†***११००. श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कच्चे मैंगनीज़ के लिये भारत का पुराना बाज़ार पुनः प्राप्त करने के लिये एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** मामला विचाराधीन है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** हम किन देशों को सर्वाधिक कच्चा मैंगनीज़ भेजते थे और आजकल किन देशों को सब से अधिक कच्चा मैंगनीज़ भेजते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** हम अमरीका को सर्वाधिक कच्चा मैंगनीज़ भेजते रहे हैं और अब भी जब कि हमारा निर्यात कम हो गया है अमरीका भारत से सर्वाधिक कच्चा मैंगनीज़ आयात करता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ये बातें भारत का समुद्री व्यापार में नहीं हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हैं।

†**अध्यक्ष महोदय:** तो माननीय मंत्री उत्तर न दें। माननीय सदस्य कृपा कर के पुस्तकालय में कुछ अधिक समय लगायें। पुस्तकालय में उपलब्ध जानकारी पर मैं प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री दासप्पा :** क्या यह प्रतिनिधिमंडल सरकारी होगा अथवा इसमें कुछ गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी होंगे ? क्या यह सच नहीं है कि राज्य व्यापार निगम की अपेक्षा कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति कच्चे मैंगनीज़ का अच्छा बाज़ार ढूंढ सकते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** राज्य व्यापार निगम एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार कर रहा है। जब कभी ऐसा प्रतिनिधिमंडल भेजा जायेगा तो खान मालिकों तथा पुराने निर्यात कर्ताओं के प्रतिनिधियों को भी उस में सम्मिलित किया जायेगा।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या रूस और अन्य पूर्व-योरोपीय देशों को मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किये जाने की कोई संभावना है, और क्या इन के बाजारों की खोज की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि रूस में ही सबसे अधिक मैंगनीज़ अयस्क निकाली जाती है और मैंगनीज़ अयस्क का सब से अधिक निर्यात रूस से ही होता है और इस क्षेत्र में हमारी मुख्य होड़ रूस से ही है।

†**श्री पाणिग्रही :** मैंने पूर्व-योरोपीय देशों को भी इस में शामिल कर लिया था क्योंकि मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में इन से भी बातचीत चल रही थी।

†**श्री सतीश चन्द्र :** इन में से अधिकांश देश रूस से मैंगनीज़ अयस्क का आयात करते हैं और रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के हमारे बाजार पर भी कब्ज़ा कर रहा है और अमरीका को क्रोम अयस्क का निर्यात कर रहा है जिस का मैंगनीज़ अयस्क के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से अमरीका में हमें ब्राजील की होड़ का सामना करना पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह सच है। अमरीका के इस्पात उद्योग वाले ब्राजील सरकार की सहायता से ब्राजील की खानों को, जिन में विशाल निक्षेप हैं, विकसित करने का प्रयास कर रहे थे और पिछले दो वर्षों में उन में पंचगुनी वृद्धि हो गई है। वहां उनको भाड़े के सम्बन्ध में कुछ सुविधा मिल जाती है, और वे ब्राजील से मैंगनीज़ मंगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश में मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात का भाव चढ़ते जाने के कारण हमारे मुख्य खरीदारों ने ब्राजील ऐसे प्रतियोगी संभरण-साधनों का विकास कर लिया है ; और यदि हां, तो इस बात की व्यवस्था के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है कि विश्व के बाजार में हमारे मैंगनीज़ अयस्क का भाव मुकाबले में टिक सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो शिष्ट मण्डल के बारे में है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** यह शिष्ट मंडल मैंगनीज़ अयस्क बेचने विदेश जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंगनीज़ अयस्क सम्बन्धी हर कोई बात यहां थोड़े ही पूछी जा सकती है।

†**श्री जोकिम आल्वा :** मंत्री महोदय को मालूम है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र--उत्तर कनारा तथा बेलगाम--से बड़ी मात्रा में मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया जाता है। यह अविकसित क्षेत्र है और राज्य व्यापार निगम के कार्यों से उसे काफ़ी आघात पहुंचा है। क्या मंत्री महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भी कुछ लोगों को इस शिष्ट मंडल में शामिल करने वाले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं एक बात कहूं ? यदि वे अपनी यह बात कि राज्य व्यापार निगम के कार्यों ने इस क्षेत्र से मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात को आघात पहुंचाया है, वापस ले लें तो हम उन के इस सुझाव पर विचार करेंगे।

†**श्री जोकिम आल्वा :** मैं वापस लेता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सदस्य ने राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध अपना आरोप वापिस ले लिया है, उन्हें अब शिष्ट मंडल में शामिल कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा :** यह मेरे नहीं, खान मालिकों के शामिल किये जाने की बात है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आशा है कि मंत्री महोदय प्रतिनिधि भेज देंगे।

महात्मा गांधी की समाधि का निर्माण

\+

†*११०१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तब से महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण के लिये ब्योरेवार नक्शे मिल गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इन नक्शों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमोदित नक्शों का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सम्बन्धी शिल्पी से केवल थोड़े से ब्यौरेवार नक्शे मिले हैं। समाधि के राष्ट्रीय महत्व का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने मौके पर परीक्षणात्मक गड्ढों और नीचे तक छिद्रण कर ब्यौरेवार जांच की थी। इन से पता चला है कि इस की बुनियाद चट्टेदार[1] होनी चाहिये। इसलिये शिल्पी से कहा गया है कि वह चट्टेदार बुनियाद के आधार पर इस के लिये ब्यौरेवार नक्शे बनायें।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि ये नक्शे फरवरी, १९५९ तक आ जायेंगे। इस में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अपने उत्तर में मैं यह बता चुका हूं कि अधिकांश प्रारम्भिक नक्शे आ गये हैं, लेकिन इसी बीच हमारे प्रविधिक अधिकारियों का ख्याल हुआ कि इस की बुनियाद चट्टेदार होनी चाहिये। इसीलिये शिल्पी को ब्यौरेवार नक्शे इस बात का ध्यान रखते हुए बनाने पड़ेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में गांधीजी की प्रसिद्ध शिष्या मीरा बेन की यह सम्मति आई है कि गांधीजी के आदर्शों के अनुकूल समाधिस्थल को इसी तरह सादगीपूर्ण रहने दिया जाये और क्या इस सम्बन्ध में विचार किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : श्रीमती मीरा बेन की बात हमने देखी है, लेकिन इस प्रकार की बातों म मतभेद होना अनिवार्य है। महात्मा जी के बहुत से अन्य शिष्यों ने बड़े उत्साह से इस योजना का अनुमोदन किया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस नक्शे के अनुमोदन के लिये कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति भी इस शिल्पी के साथ मिल कर काम कर रहे हैं, और यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : शिल्पी स्वयं गैर-सरकारी है। एक खुली प्रतियोगिता की गयी थी जिसमें सौ से ऊपर नक्शे आये थे। एक प्रविधिक समिति ने इन सारे नक्शों पर विचार किया था। उन्होंने सिफारिश की और सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : गांधी जी या गांधी जी के विचारों से सम्बद्ध समिति के किन-किन व्यक्तियों ने इस के बारे में कुछ राय प्रगट की थी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह नक्शों की जांच करने वाली एक प्रविधिक समिति थी। इस मसले का पूर्व इतिहास इस सभा के माननीय सदस्यों को भली भांति विदित है। शुरू से लेकर अब तक दो या तीन समितियां इस प्रश्न पर विचार कर चुकी हैं।

भारत में विदेशी फर्मों का भारतीयकरण

†*११०२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी स्वामित्व वाले बागानों और सम्बन्धित समवायों में कितने अ-भारतीय और भारतीय १००० रुपये प्रतिमास या अधिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pild foundation.

(ख) इन फर्मों को अ-भारतीय कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये उत्साहित करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विदेशी स्वामित्व/नियन्त्रण वाले फर्मों में अ-भारतीयों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों की भर्ती का कार्यक्रम १९५२ में आरम्भ किया गया था और हर वर्ष उसकी समीक्षा की जाती है। मौजूदा स्थिति यह है कि जिस समूह का वेतन १००० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, उसमें चाहे वह बागानों में या सम्बन्धित अथवा अन्य उद्योगों में हो, सभी पदों पर भारतीय कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। ऊंचे वेतन-समूह में भी प्रगति सन्तोषप्रद हो रही है। १९५२ में बागानों और सम्बन्धित उद्योगों में भारतीय कर्मचारी कुल कर्मचारियों की तुलना में ६.७ प्रतिशत अर्थात् ७९ भारतीय थे (अ-भारतीयों की संख्या ११०३ थी)। १९५८ में ७९ की संख्या बढ़ कर ३७० बन गयी——अर्थात् कुल कर्मचारियों की तुलना में ये २५ प्रतिशत हो गये।

विदेशी स्वामित्व/नियन्त्रण वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थापनों में १००० रुपये प्रतिमास अथवा उसे अधिक पाने वाले वेतन समूह में नियोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थिति इस प्रकार है :—

	भारतीय		अ-भारतीय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१९५२ . .	२,२९०	२४.४	७,१०४	७५.६
१९५८ . . .	६,७०४	५४.३	५,६५२	४५.७

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण से प्रतीत होता है कि पूर्णरूपेण नियोजन में भारतीयों की संख्या बढ़ कर ५४ प्रतिशत हो गयी है, जबकि बागान उद्योग में उच्च पदों में भारतीयों की संख्या सिर्फ २५ प्रतिशत है। इसका क्या कि चाय के तथा अन्य बागानों का नियन्त्रण केवल योरोपीयन शेयर होल्डरों के हाथ में है और भारत के अपने अभिकर्त्ताओं को ये हिदायतें दे रखी हैं कि वे उच्च पदों पर अ-भारतीयों के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन न दें ? यदि हां तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि पूर्ण प्रतिशत संख्या की अपेक्षा चाय बागानों में भारतीय कर्मचारियों की प्रतिशत कम क्यों है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि चाय बागान समूह में भारतीय पदाधिकारियों की कुल संख्या विदेशी समवायों के भारतीय पदाधिकारियों की कुल संख्या से कम है। लेकिन इसका कारण यह था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय चाय बागानों के प्रायः सभी पदाधिकारी विदेशी थे। इसलिये भारतीय चाय संघ और भारत सरकार के बीच एक समझौता हो गया था और इस समय हम जिस लक्ष्य तक पहुंच गये हैं वह १ जनवरी, १९५९ के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य से कहीं अधिक है। मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं ऐसे सुयोग्य भारतीय मौजूद हैं जो विदेशियों का स्थान ले सकते हैं, लेकिन विदेशियों के स्थान पर भारतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करने में हमें प्रावस्था भाजित आधार पर आगे बढ़ना होगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार को पता है कि कछार के ग्यारह चाय बागानों में योरोपियन प्रबन्धक होने के कारण अत्यधिक प्रशासननिक व्यय के फलस्वरूप बैठकी करनी पड़ी है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिये उनकी व्यय-व्यवस्था की जांच करायेगी कि क्या उनका खर्च कम करके इस बैठकी से बचा जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** पूछा गया प्रश्न चाय बागानों में भारतीय पदाधिकारियों की संख्या के बारे में है और माननीय सदस्य कुछ चाय बागानों की बैठकी के बारे में पूछ रहे हैं जिसका भारतीय या विदेशी पदाधिकारियों की संख्या से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हों कि सरकार को किसी बागान की स्थिति की जांच करनी चाहिये तो हम इस प्रश्न से स्वतन्त्र रहते हुए उसके बारे में जांच करने को तैयार हैं।

†**श्री मनायन :** इन फर्मों को उच्च पदों पर विदेशियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये उत्साहित करने के प्रश्न के अलावा क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि उच्च पदों पर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों अथवा आदिम जातियों के लोगों को नियुक्त किया जाय अथवा सरकार इन उद्यागों के इस दृष्टिकोण अथवा नीति से सहमत है कि श्रमिक वर्ग के किसी भी व्यक्ति को उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाय।

†**श्री मनुभाई शाह :** मुख्य प्रश्न इस बात के बारे में है कि विदेशी पदाधिकारियों के स्थान पर किस प्रकार भारतीयों को नियुक्त किया जा रहा है और सभा इस विवरण से यह देख सकती है कि उनके साथ जो समझौता हुआ था उसके अनुसार प्रगति बिल्कुल सन्तोषप्रद रही है। इस बात का तो प्रश्न ही नहीं है उपयुक्त भारतीयों के न मिलने के कारण विदेशी बागानों में भारतीय पदाधिकारियों को भर्ती नहीं किया गया है या कि वे श्रमिक वर्ग या किसी अन्य वर्ग के किसी व्यक्ति को नियुक्त करना नहीं चाहते।

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन् :** क्या इन फर्मों से समय समय पर उच्च पदाधिकारियों सम्बन्धी आंकड़े देने के लिये कहा जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। वास्तवमें इस सभा ने इस बात में इतनी अधिक अभिरुचि दिखाई कि हमने विभिन्न अभिकरणों को क, ख, ग और घ नाम के चार समूहों में विभक्त कर दिया है। समूह 'क' उन चाय बागानों का है जिनमें भारतीय कर्मचारियों की संख्या २५ प्रतिशत से अधिक थी; उनसे कहा गया था कि वे प्रत्येक अ-भारतीय पर दो भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति करें और वे इस बात से सहमत हो गये हैं; समूह 'ख' उनका था जिनमें भारतीय कर्मचारियों की संख्या २० से २५ प्रतिशत के बीच थी, उनसे प्रत्येक अ-भारतीय पर ३ भारतीयों को नियुक्त करने के लिये कहा गया; समूह 'ग' में भारतीय कर्मचारियों की संख्या १० से २० प्रतिशत थी, उनसे प्रत्येक अ-भारतीय पर ४ भारतीयों को रखने के लिये कहा गया और वर्ग 'घ' उनका है जिसमें इनकी संख्या १० प्रतिशत से भी कम थी, उनसे प्रत्येक अभारतीय के लिये ५ भारतीयों की नियुक्ति के लिये कहा गया है।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या मंत्री का ध्यान अखबारों में समय समय पर प्रकाशित होने वाली भारतीय श्रमिकों के साथ ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी अफसरों के दुर्व्यवहार की खबरों की ओर आकृष्ट हुआ है ? हाल ही में दुर्गापुर जिले में एक ब्रिटिश अफसर के दुर्व्यवहार की खबर छपी थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या सरकार कम से कम भारतीय श्रमिकों के प्रति ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी अफसरों का दुर्व्यवहार रोकने वाली है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर :** विवरण में कहा गया है कि १९५८ में सिर्फ ३७० भारतीय थे जबकि योरोपियन अफसरों की संख्या करीब १००० थी । इन पदों पर कब तक भारतीयों की नियुक्ति हो जायेगी और योरोपियन अफसरों को यहां से विदा कर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोई लक्ष्य नहीं निश्चित किया गया है । हम देश की राष्ट्रीय नीति का ध्यान रखते हुए क्रमशः विदेशियों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करा रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** भारतीयों की नियुक्ति के बारे में मेरा एक जरूरी प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी प्रश्न एक से जरूरी हैं---मैं अब उसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं---मैं उसी क्षेत्र का हूं पर मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को दूसरे अवसर भी मिलेंगे । यदि वे इससे संतुष्ट न हों और विषय उतना महत्वपूर्ण हो तो मैं आधे घंटे की चर्चा उठाने की अनुमति दे दूंगा । लेकिन कोई भी एक ही प्रश्न में सारा समय लगा देने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं सोचता । आज तो काफी प्रश्न लिये भी नहीं जा सके हैं । अगला प्रश्न ।

उत्तर कुजामा कोलियरी में दुर्घटना

†*११०३. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर कुजामा कोलियरी की दुर्घटना की खान निरीक्षणालय द्वारा जांच के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या मृत श्रमिकों के परिवार वालों को पूरे मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) क्योंकि इस बात का पता चला कि यह दुर्घटना दुर्दैववश हुई थी और इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं था इसलिये आगे और जांच या कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है । पता चला है कि ६ श्रमिकों के सम्बन्ध में मुआवजे के भुगतान के लिये प्रबन्धकों ने श्रमिक-क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास १३,५०० रुपये की राशि जमा की है । देयों का भुगतान न होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** पिछले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि इस दुर्घटना में ८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । जब आठ व्यक्ति मारे गये तो इस मामले की न्यायिक जांच कराना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कुछ मामलों की हम न्यायिक जांच कराते हैं और कुछ की विभागीय । इस मामले में हम ने खानों के प्रादेशिक निरीक्षक से जांच कराई थी और मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद और भी पूछताछ की गयी थी और लगभग दो हफ्ते पहले प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि खानों के मुख्य निरीक्षक की कार्य प्रणाली के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, और यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे इन आरोपों का पता नहीं है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : इनके बारे में तो एक किताब भी छप गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया इस पुस्तक की एक प्रति मंत्री महोदय के पास भेज दें ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खानों में काम करने के लिये जिन लोगों को भर्ती किया जाता है उन में से प्रायः अधिकांश को यह पता नहीं होता कि उन्हें किस किस संकट का सामना करना पड़ सकता है, सरकार ने उन्हें नीचे खानों में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: हाल ही में हम ने खानों में सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही के प्रश्न पर एक सम्मेलन बुलाया था और इस सम्मेलन ने कुछ सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों में प्रशिक्षण का भी उपबन्ध है और आशा है कि हम यह प्रशिक्षण शुरू कर देंगे ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक और जांच, चिनकुरी सम्बन्धी जांच के सिलसिले में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने असंतोष व्यक्त किया है, क्या सरकार उन खानों में, जिन में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, और आगे जांच, और ज्यादा अच्छा हो कि न्यायिक जांच कराई जाय, कराने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, जांच का हमें जो प्रतिवेदन मिला है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमें नये सिरे से जांच कराने का कोई कारण नजर नहीं आता ।

†**डा० मेलकोटे** : क्या यह सच नहीं है कि मुआवज़े के भुगतान में, विशेष रूप से गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा भुगतान में काफी देर हो जाती है, और यदि हां, तो इस देर से बचने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस मामले में कुछ भी देर नहीं हुई है । प्रबन्धों ने आवश्यक राशि जमा कर दी है और खानों के मुख्य कल्याण आयुक्त ने इन कम्पनियों से कहा है कि वे मृतकों की विधवा पत्नियों को अर्जियां भेजने की हिदायत करें, लेकिन बार-बार याद दिलाने पर भी अर्जियां नहीं आ रही हैं ।

†**श्री तंगामणि**: प्रक्रिया यह नहीं है । अर्जियां भेजी गयी हैं । देरी वास्तव में प्रशासन की ओर से होती है । रुपया तो आयुक्त के पास जमा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्रालय के सचिव से यह प्रश्न उठायें ।

खनिज विकास

†*११०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आवंटित राशियों के कितने-कितने प्रतिशत अंश का केन्द्र और राज्यों ने, विशेष रूप से राजस्थान ने, उपयोग कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खनिज विकास के कार्यक्रम को ही अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज विकास के लिये पुनरीक्षित आवंटन ८५.५ करोड़ रुपयों का है जिसमें राज्यों के अधीन २.६६ करोड़ का उपबन्ध भी शामिल है। योजना के पहले तीन वर्षों में केन्द्र में ३०.४१ करोड़ रुपये का और राज्यों में ७४ लाख का व्यय कूता गया है। राजस्थान की योजना के १९.२५ लाख के उपबन्ध में से प्रथम तीन वर्षों में ०.३३ लाख रुपयों का व्यय हुआ है। १९५९-६० के लिये उक्त राज्य की योजना में ५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

(ख) कुछ राज्यों को छोड़ कर शेष सभी ने खनिज विकास के कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया है। फिर भी, नये प्रस्ताव आने पर समय-समय पर उसमें फेर-बदल कर दी जाती है और वार्षिक योजना पर चर्चा करते समय इन पर विचार कर लिया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार ने राजस्थान में, विशेष रूप से बीकानेर क्षेत्र में पालना कोलियरी में लिग्नाइट के मामले में, सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य किया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जहां तक राजस्थान के मामले का सम्बन्ध है, उसकी जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार पर ही है और वह आवंटित राशि को व्यय करने में सफल नहीं हुई है। १९ लाख रुपये में से उन्होंने अब तक ३३,००० रुपये व्यय किये हैं, इस वर्ष भी ५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है और अब जांच करना उनका काम है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं बिल्कुल इसी वजह से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में लिग्नाइट अयस्क निकालने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष समिति नियुक्त की थी और इस समिति द्वारा कुछ भी प्रगति न होने से सारी प्रगति रुकी हुई है, और यदि हां, तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** माननीय सदस्य को पता है कि पालना लिग्नाइट परियोजना के बारे में जांच के लिये केन्द्रीय सरकार ने विशेज्ञ समिति नियुक्त कर दी है। इस में राजस्थान शासन सेवा का भी एक सदस्य है। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि यह समिति अपना कार्य शीघ्र पूरा कर ले। इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं।

†**श्री कासलीवाल :** क्या खेत्री की तांबे की खान को चलाने के बारे में अब सरकार ने अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि भारतवर्ष के जिन राज्यों और प्रदेशों में खनिज पदार्थ बहुत अधिक हैं उन में मध्य प्रदेश भी एक है और मध्य प्रदेश की सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश पर जितना खर्च होना चाहिये था, उस में बहुत कमी है । इस सम्बन्ध में क्या कुछ विचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश को कुछ और धन दिया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सामान्य प्रश्न है । इस से हमें क्या लाभ होगा ?

सेठ गोविन्द दास : केवल राजस्थान के ही लिये नहीं, यह प्रश्न करीब करीब सब जगह के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : सब के लिये है, ठीक है । प्रत्येक राज्य के लिये क्या किया जा रहा है—क्या यह प्रश्न इस से उत्पन्न होता है ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसरण में कोयले और लौह-अयस्क को छोड़ कर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के लिये अन्य किन-किन खनिज पदार्थों को सक्रिय रूप से निकाला जा रहा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यह प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रकार का है । प्रश्न-काल में इस के बारे में विशेष कुछ नहीं बताया जा सकता ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय को मसूरी ले जाना

*११०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय को दिल्ली से मसूरी ले जाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल के लायक एक ग़ैर-सरकारी इमारत मसूरी में तलाश कर ली गई है और उसे खरीदने के सवाल पर तत्परता से विचार हो रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह आशा की जा सकती है कि जिस समय इस स्कूल का अगला सत्र आरम्भ होगा उस से पहले यह स्कूल बदल दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं इसे संभव नहीं मानता क्योंकि हम मौजूदा मालिकों के इस सम्पत्ति पर अधिकार की जांच कर रहे हैं और इस बात का पता लगा रहे हैं कि इस पर कोई आश्रित तो नहीं है । अभी इस में कुछ और समय लगेगा । हम ने देहरादून के सरकारी वकील से कहा है कि वे हमारी ओर से पूछताछ कर लें । फिर इस में कुछ हिस्से में परिवर्तन करना भी आवश्यक होगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस समय इस भवन को खरीदने की जो बातचीत चल रही है उस के संबंध में क्या अनुमान है कि कितना रुपया इस को खरीदने में लगेगा और कितना रुपया इस स्कूल को बदलने में ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अभी से यह आंकड़े बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजा महेन्द्र प्रताप : क्या मैं पूछ सकता हूं कि शालविल को क्यों खरीदा जा रहा है जहां आप को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ? क्यों नहीं वालूगंज की तरफ या धरीपानी की तरफ यह स्कूल ले जाया जाता है जहां पर मकान बहुत सस्ते हैं। आखिर इस की क्या वजह है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमारे लोगों ने मसूरी क्षेत्र की सभी उपलब्ध सम्पत्तियों का निरीक्षण किया था और उन का विचार था कि शालविल एस्टेट[1] ही सर्वाधिक सुविधाजनक और उपयुक्त होगी। इस के लिये काफी बड़ी जगह चाहिये क्योंकि इस में एक समय में १२० अफसर रहेंगे और कई लेक्चर-रूमों, डाइनिंग-हॉलों आदि के साथ साथ ५ अफसरों और २६ कर्मचारियों के निवास के लिये भी स्थान चाहिये।

राजा महेन्द्र प्रताप : कुछ लोगों का ख्याल है कि सरकार खास तौर से शालविल के मालिक के साथ रियायत करना चाहती है। अगर यह सही है तो बहुत बुरी बात है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी नहीं, किसी खास रियायत का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह पूरी तरह से व्यापारिक सौदा है और हम सब से सस्ते विक्रेता से खरीद रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इस भवन को खरीदने में कुल कितने रुपये खर्च होंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** करीब ४ लाख।

दिल्ली में श्रमिकों के लिये केन्टीन

*११०७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में श्रमिकों के लिये कैन्टीन खोलने के लिये सहायता देने की बात पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कैन्टीन खोलने का लक्ष्य है ; और

(ग) इस के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान विभिन्न उद्योग-क्षेत्रों में करीब १५ कैन्टीन खोलने का विचार है।

(ग) एक लाख रुपये।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह कैन्टीन कब तक स्थापित हो जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम तो चाहते हैं कि यह जल्दी हो जाय, लेकिन दिल्ली सरकार को मकान मिलने में कुछ कठिनाई हो रही है इसलिये यह नहीं खुल सकी है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने कोई जगह सुझाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Charleville Estate.

श्री ल० ना० मिश्र : जगह का सुझाव तो नहीं दिया है, लेकिन उन्हों ने एक स्कीम भेजी है जिस में इस के खोलने की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर अंग्रेज़ी में पढ़ा जाये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : (क) जी हां ।

(ख) सम्पूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग १५ कैन्टीन खोलने का विचार है ।

(ग) एक लाख रुपया ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : दिल्ली के विभिन्न भागों में निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए क्या सरकार उन के लिये चलते कैन्टीन खोलने का विचार कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रारम्भिक अवस्था में कम से कम १५ कैन्टीन चलाने का हमारा विचार है किन्तु उन के लिये हम उस की व्यवस्था अभी नहीं कर सके हैं क्योंकि हमें उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या चलती कैन्टीनें खोली जायेंगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है जिसे मैं मंत्रालय के पास पहुंचा दूंगा । वह इस पर विचार करेगा ।

†**श्री तंगामणि** : अब तक कितनी कैन्टीनें खोली गई हैं और दिल्ली में वास्तव में कितनी कैन्टीनें चल रही हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अभी तक एक भी नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य १५ कैन्टीनों का था । तीन वर्ष पहले से ही बीत चुके हैं । क्या शेष योजना काल में कोई कैन्टीनें खोली जायेंगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम इस में शीघ्रता कर रहे हैं । किन्तु हम अभी सफल नहीं हो सके हैं । कठिनाई यह है कि यह सहायता मजदूरों अथवा मालिकों की सरकारी समितियों को दी जायेगी । दिल्ली राज्य के अलावा और कहीं अभी कोई सहकारिता समिति नहीं बनी है ।

बागे पंचाट की कार्यान्विति

\+

*११०८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबिमन घोष :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागे पंचाट के अनुसार जनवरी, १९५९ में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को कुछ राज्यक्षेत्र हस्तान्तरित किये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत और पाकिस्तान ने कितना-कितना क्षेत्र और कितने-कितने लोग एक दूसरे को हस्तान्तरित किये हैं ; और

(ग) क्या यह हस्तान्तरण शान्तिपूर्वक हो गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत ने लगभग २६.४० वर्ग मील का प्रदेश पाकिस्तान को सौंप दिया और पाकिस्तान ने लगभग १३.१९ वर्ग मील का प्रदेश भारत को सौंपा । पश्चिम बंगाल की सरकार प्रभावित क्षेत्रों और उस जनसंख्या के सही आंकड़े इकट्ठा कर रही है जिसे इस के कारण रहने के स्थान बदलने होंगे ।

(ग) जी हां ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो बागे अवार्ड हुआ था उस के अन्दर की जो जमीन है वह उससे अलग है जिस की अदला बदली नेहरू-नून पैक्ट के अनुसार की जायेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं प्रश्न नहीं समझ सकी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि बागे अवार्ड से जो जमीन ली और दी गई उस में नेहरू-नून पैक्ट के अनुसार जो जमीन की अदला बदली की जायेगी वह शामिल है या उस से अलग है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह दो विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में है जिनका उल्लेख विवाद संख्या १ और विवाद संख्या २ के नाम से किया गया है । इसका निर्देश बागे न्यायाधिकरण को किया गया था और यह उसी बागे पंचाट को कार्यान्वित करने के रूप में है । ये भूभाग .....

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस कारण मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । पश्चिमी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद और पूर्वी पाकिस्तान के जिला राजशाही के बीच बागे सीमा रेखा गंगा नदी के बीचों बीच से होनी चाहिये थी क्योंकि यह नदी पंचाट के एक वर्ष बाद से बह रही थी । तब से यह रेखा खींची गई थी तथा दोनों सरकारों द्वारा भूमि रेकार्ड विभागों द्वारा यह रेखा संयुक्त रूप से खींची हुई मानी गई थी । बागे रेखा के दोनों ओर भारत अथवा पाकिस्तान द्वारा जिन क्षेत्रों पर गलती से कब्जा कर लिया गया था उनकी अदला-बदली करने में और सर्वेक्षण मानचित्र पर खींची गई रेखा में कोई परिवर्तन करने तथा दोनों सरकारों के भूमि रेकार्ड विभागों में जैसा दिखाया गया है क्या उसके लिये सहमति दी गई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं । पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले और पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही ज़िले के बीच जो सीमा रेखा थी जिसमें विभाजन से पूर्व के माल्दा ज़िले का नवाबगंज थाना और शिवगंज थाना शामिल है, विवाद के विषय हैं जिनका उल्लेख किया गया है । यहां सीमा कठोर तथा निश्चित मानी गई थी, इस कारण इसमें कोई परिवर्तन करने की मांग नहीं की गई थी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : जान पड़ता है कि माननीय उपमंत्री को स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है । बागे पंचाट यह था कि जहां तक भूमि की सीमा का सम्बन्ध है, वह निश्चित और कठोर थी । किन्तु रेडक्लिफ पंचाट में नदी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह कठोर और निश्चित रेखा थी और बागे पंचाट का हवाला देने से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बागे पंचाट यह था कि रेडक्लिफ पंचाट द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है वह ज्यों की त्यों रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : यह सही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री जब स्थिति नहीं जानती हैं, तो प्रश्न पूछने से क्या लाभ ? श्री मुकर्जी।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बागे पंचाट इस प्रकार था। बागे न्यायाधिकरण ने निश्चित किया कि विवाद संख्या १ में, जिसका माननीय सदस्य ने निर्देश किया था, सीमा कठोर रहेगी और विवाद संख्या २ में, सीमा में मातभंगा नदी के मार्ग के साथ साथ हेर-फेर किया जा सकेगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या गंगा नदी के समीप के क्षेत्र जैसे चार दुरलाभपुर और लालगोलाघाट का भूतपूर्व रेलवे स्टेशन पाकिस्तान को दे दिया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं भू भाग का विस्तृत हाल जानने के लिये पूर्व सूचना चाहूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उस सीमा के समीप ही के रहने वाले हैं, अतः वह बराबर प्रश्न पूछते रहेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : इस क्षेत्र विशेष में पाकिस्तान द्वारा पकड़ कर जो भारतीय बन्दी बना लिया गया था, वह छोड़ दिया गया है और गंगा के चार लैण्ड्स में जिन पर विवाद चल रहा था, जो सैनिक शिविर थे उन्हें पाकिस्तान की टुकड़ियों ने नष्ट कर दिया है और क्या पाकिस्तान सरकार ने इसके लिये कोई प्रतिकर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न केवल क्षेत्र के बारे में है प्रतिकर के बारे में नहीं।

पाकिस्तान जाने वाले भारतीय दर्शक

†*११०९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले भारतीय दर्शकों के पंजीयन के समय में वृद्धि कर ७२ घंटे से १४ दिन कर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी नहीं। पाकिस्तान सरकार के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : जब तक पाकिस्तान सरकार इस पर निर्णय नहीं कर लेती, भारत में पंजीयन काल में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य का तात्पर्य मैं नहीं समझ सकी। यहां तो पाकिस्तानी राष्ट्रजन के प्रवेश होने और पंजीयन में लगने वाले समय का उल्लेख किया गया है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, प्रत्येक चौकी पर, दृष्टांक की तीसरी प्रति जमा करने पर उसे पंजीयन से पहले १४ दिन का समय मिलता है जब कि पाकिस्तान में पहले यह समय २४ घंटे था

†मूल अंग्रेजी में

तथा जिसके बारे में पत्र-व्यवहार करके अब उसे बढ़ाकर ७२ घंटे कर दिया गया है। हम भी अब पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की भांति ही १४ दिनों का समय देने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मेरा प्रश्न यह था । भारत में पंजीयन का समय १४ दिन है और पाकिस्तान में पंजीयन का समय ७२ घंटे है। भारत सरकार ने आग्रह किया है कि पाकिस्तान में भी यह समय बढ़ाकर १४ दिन कर दिया जाये। पाकिस्तान द्वारा इसको स्वीकार करने के बारे में जब तक निर्णय नहीं हो जाता क्या यहां भी १४ दिन से घटा कर ७२ घंटे समय करने का विचार है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** निश्चय नहीं ।

सीमावर्ती आक्रमण

+

†*१११२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सरकार के पास से वहां की सशस्त्र पुलिस द्वारा पंजाब की अमृतसर सिंचाई नहर पर भारत-पाकिस्तान की सीमा पर किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** कुछ समय पूर्व प्राप्त उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने घटना के बारे में पुनः अपने कथन में यही कहा है कि उसके लिये पंजाब की सीमान्त पुलिस उत्तरदायी थी। इस उत्तर की जांच की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** पाकिस्तान सरकार के पास से प्राप्त उत्तर की किन-किन बातों की जांच की जा रही है ? किस स्तर पर इनकी जांच की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं पहले ही उत्तर में बता चुकी हूं कि पाकिस्तान सरकार का कहना यह है कि उत्तेजना हमारी ओर से दी जाती है ?

†**सरदार इकबाल सिंह :** अन्तर के बावजूद, एक चीज स्पष्ट है कि हमले में पाकिस्तान का सशस्त्र पुलिस बल उस समय गोली चला रहा था जब कि श्वेत झंडे के नीचे बैठक चल रही थी। क्या सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से इस बारे में कहा है कि इससे कुछ व्यक्ति मारे गये जब कि श्वेत झंडे के नीचे बैठक हो रही थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां, पाकिस्तान सरकार को यह चीज़ बताई गई थी।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान का उत्तर मैं जान सकता हूं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं बता चुकी हूं कि उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेक्निकल संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर निकले हुए शिशिक्षुओं को नौकरी

†*१११३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय की ओर से टेक्निकल संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर निकले हुये शिशिक्षुओं को भारत के सरकारी इस्पात कारखानों में काम दिलाने के बारे में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) इस समय सरकारी टेक्निकल संस्थाओं के उन शिशिक्षुओं की संख्या कितनी है जिन्हें काम की आवश्यकता है ;

(ग) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय के प्रशिक्षण उप निदेशक हाल ही में रूरकेला इसलिये गये थे कि इस मामले में वे इस्पात परियोजना के अधिकारियों से बात करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) ३१ जनवरी, १९५९ को १३,६६१ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पाणिग्रही :** अब तक भारत के विभिन्न सरकारी इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने में कितने प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं यह नहीं बता सकता । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है किन्तु विभिन्न स्थानों में लगभग ४०५ उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ली जा चुकी है और उनके शीघ्र ही काम में लगाये जाने की आशा है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उन प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जो बेकार हैं उन्हें काम दिलाने का कोई कार्यक्रम है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इन प्रशिक्षणार्थियों को इस्पात संयंत्रों में काम दिलाने की आशा है । श्रम मंत्रालय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा अन्य भारी मशीनों संयंत्रों में जैसा कि भिलाई में है तथा नया संयंत्र जो कि रांची में स्थापित होने वाला है उनसे पत्र व्यवहार कर रहा है और हम आशा करते हैं कि इनमें से अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को काम मिल जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या जिन प्रशिक्षणार्थियों ने इन संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरी मिल जायेगी ? क्या सरकार उन्हें नौकरी देने के लिये बाध्य है ?

†**श्री ला० ना० मिश्र :** ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । हमने उन्हें डी० वाई० आर० ई० के द्वारा ६० प्रतिशत राज्य सहायता दी है किन्तु इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी प्रचार

*१११४. **श्री वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के मार्शल ला प्रशासक ने इस प्रकार की हिदायतें दी हैं कि पाकिस्तान रेडियो के ढाका केन्द्र से भारत-विरोधी-प्रचार प्रसारित न किया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि ढाका स्थित भारत के उप-उच्चायुक्त को इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) फ़रवरी १९५९ के शुरू में ढाका-स्थित भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को पूर्व पाकिस्तान सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें यह लिखा था कि उन्होंने पाकिस्तान रेडियो को हिदायतें जारी की हैं कि भारत के ख़िलाफ़ प्रचार बन्द किया जाय और यह आशा व्यक्त की है कि आल इंडिया रेडियो भी उसी तरह आचरण करेगा ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान और अमरीका में सैनिक समझौता हो जाने के पश्चात् पाकिस्तान रेडियो ने भारत विरोधी प्रचार और भी अधिक करना आरम्भ कर दिया है, और यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पाकिस्तान की सरकार को ऐसी कुछ बातें बताई गई थीं और हम आशा करते हैं कि वह भी जिस प्रकार हम अपने समाचार प्रसारित करने में नियंत्रण रखते हैं वह भी उसी प्रकार का नियंत्रण लगायेगी ।

†**श्री वाजपेयी** : मेरा प्रश्न हाल में प्रचार बढ़ जाने के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पाकिस्तान सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है और आशा है कि वह भी इसी प्रकार का व्यवहार करेगी ।

†**श्री वाजपेयी** : यदि वह वैसा व्यवहार नहीं करती है तो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करेगी तो माननीय सदस्य को सुझाव देना पड़ेगा कि क्या किया जाना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान ने इस बात की शिकायत की है कि आकाशवाणी पाकिस्तानियों में मनमुटाव और एकता न रखने की भावना पैदा कर रही है और इसी पर जनवरी में बगदाद सन्धि के देशों के सम्मेलन की प्रति उच्छेन कार्य समिति में चर्चा की गई थी । यदि यह सच है तो क्या हमने अपनी आकाशवाणी से पाकिस्तान विरोधी प्रचार बन्द कर देने के लिये कह दिया है ? यदि यह सच नहीं तो क्या पाकिस्तान द्वारा इस देश के बारे में द्वेषपूर्ण प्रचार करने के लिये बदला लेने के बारे में कुछ कार्यवाही की गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब से सरल चीज यह है कि हमें बताया गया था कि आकाशवाणी पाकिस्तान में शासनतंत्र के बारे में प्रतिकूल प्रभावशाली आलोचना करती है जिससे दोनों देशों के बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध होने की स्थिति पैदा हो गई। हमने उसे बता दिया है कि वे भी यही चीज कर रहे हैं। अब दोनों देशों ने इस प्रकार के प्रचार को कम करने और विशेषकर समाचार समीक्षा में कमी करके अधिक अच्छा वातावरण उत्पन्न करने के लिये अपनी सहमति दे दी है।

सुधार शुल्क

+

†*१११५. **श्री कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन में भूमि पर सुधार शुल्क लगा दिये गये हैं ;

(ख) वे राज्य कौन से हैं जिनमें इस प्रकार का उपकर वसूल कर लिया गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में उन भूमियों के लिये सुधार शुल्क सम्बन्धी विधान पारित हो गये हैं जिनको सिंचाई परियोजनाओं से लाभ पहुंचा है। राजस्थान और पंजाब द्वारा भी सुधार अंशदान लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) मैसूर।

(ग) मैसूर की सरकार के पास से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री कुन्हन :** क्या यह सच है कि योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सुधार शुल्क वसूल करने में सहायता कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** योजना आयोग का विचार है कि राज्य सरकारें सुधार शुल्क वसूल करें।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि पंजाब में जनवरी से लागू किय गये अध्यादेश से जबर्दस्ती इसकी वसूली की जा रही है और यदि ऐसा है तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि पिछले दो वर्षों से बढ़ी हुई दर पर वसूली की जा रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** इसके विपरीत, समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता लगा है कि वे ही इस बारे में शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो इस स्थिति में हैं कि इस शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मोटर निर्माता

†*११०६. **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोटर बनाने वालों और हिस्से जोड़ कर मोटर तैयार करने वालों के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन करने में उन लोगों को कुछ प्राथमिकता दी जाती है जो देशी उत्पादन में वृद्धि दिखाते हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सवारी कार बनाने वाले तीन निर्माताओं को १·२५ : १ : ०·७५ (हिन्दुस्तान मोटर्स, प्रीमियर आटोमोबाइल्स और स्टैन्डर्ड मोटर्स) के अनुपात में विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाता है और इस अनुपात में इन बातों पर भी ध्यान रखा जाता है :

(१) देश में निर्माण करने के बारे में की गई प्रगति ; (२) अधिष्ठापित मशीनों और औजारों आदि के रूप में निर्माण क्षमता, (३) बाज़ार में मांग, (४) रोज़गार के स्तर को कायम रखना और (५) उस समय कितना उत्पादन हुआ जब कि पुर्ज़ों के आयात के बारे में विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी थी किन्तु सब से अधिक (१) पर ध्यान रखा गया है । ट्रकों के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन के बारे में, प्रत्येक फर्म ने स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार प्रगति की है इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि इसके साथ-साथ मांग और लाइसेंस क्षमता पर भी ध्यान दिया जाता है ।

ट्रकों का संभरण

†*१११०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर और प्रीमियर आटोमोबाइल कम्पनियों के विरुद्ध सेना की ट्रकों का सम्भरण न कर सकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिस में संभरण तथा निपटान महानिदेशक द्वारा दिये गये संविदा के लिये सेना की ट्रकों का संभरण दो कम्पनियों द्वारा न किया गया हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्मित माल का निर्यात

†*१११११. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है जिसके आधार पर निर्माताओं से यह कहा जायेगा कि वे अपने उत्पादों का कुछ प्रतिशत निर्यात करें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). निर्यात संवर्द्धन परामर्शदात्री परिषद् की स्थायी समिति निर्मित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय और तरीकों पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह दिया गया है कि प्रत्येक औद्योगिक एकक अपने उत्पादन का कुछ प्रतिशत निर्यात के लिये दे ।

भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार

†*१११६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुमारन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार की संभाव्यताओं के बारे में उन्होंने अपनी रूस यात्रा से भारत वापस आने पर अपने विचार व्यक्त करते हुये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) और (ख). केरल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को अपनी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। उन्होंने वापस लौटने पर प्रधान मंत्री से भेंट की थी और यह बताया था कि भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार बढ़ाने की पर्याप्त संभावनायें हैं। इस पर प्रधान मंत्री सहमत हो गये ।

सोवियत रूस के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रश्न बराबर सरकार के विचाराधीन है ।

सर्वोदय गृह-निर्माण संस्था

†*१११७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोदय गृह-निर्माण संस्था दिल्ली में २०० एकड़ के प्लाट में स्थापित की जायेगी जो सरकार द्वारा उन संगठनों के लिये आवंटित करने के लिये रक्षित है जिनकी भूमि लेने के बारे में सरकार ने निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) सरकार का विचार सर्वोदय सहकारी गृह-निर्माण संस्था तथा अन्य सहकारी समितियों की सहायता करना है जो रिंग रोड क्षेत्र में लगभग ११०० एकड़ भूमि सरकार द्वारा ले लेने के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गई हैं। कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें इन समितियों को स्थान दिया जा सकेगा ।

(ख) इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

मुलुन्द (बम्बई) में बिजली के औजारों का निर्माण

†*१११८. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट मुलुन्द में बिजली के औजार बनाने के लिये एक नया कारखाना खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा इस फर्म की स्थापना की जा रही है; और

(ग) भारत में पिछले तीन वर्षों में से प्रतिवर्ष कितने मूल्य के बिजली के औजार बनाये गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख जाता है ।

विवरण

(ख) इस वर्ष जिस उपक्रम के उत्पादन आरम्भ करने की आशा है उसकी स्थापना बम्बई के मेसर्स रेलीवुल्फ लिमिटेड द्वारा की जा रही है ।

(ग)	१९५६		१९५७		१९५८	
तादाद	संख्या	मूल्य रुपयों में	तादाद	संख्या	मूल्य रुपयों में	तादाद संख्या	मूल्य रुपयों में
	८९६	१·६८ लाख		३९५९	१०·०७ लाख	६८१८	१४·६३ लाख

बर्मा में भारतीय

†*१११९. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बंगाली वाणिज्य मंडल, रंगून के पास से बर्मा के भारतीयों को जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में हमें पूरी तौर से पता है और हम उन्हें कम करने के लिये प्रत्येक संभव उपाय कर रहे हैं ।

खेल के सामान का उद्योग

†*११२०. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों के सामान के उद्योग का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]**

खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन

†*११२१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों के मुख्य निरीक्षक का किस वर्ष का अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है;

(ख) आगे के वर्षों में प्रतिवेदन के प्रकाशन में बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रतिवेदन की एक प्रति का क्या मूल्य रखा गया है ;

(घ) १९५० में क्या मूल्य रखा गया था; और

(ङ) इतना अधिक मूल्य बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) १९५६ ।

(ख) १९५७ का प्रतिवेदन छपने के लिये प्रेस भेज दिया गया है और १९५८ का अभी तैयार नहीं है क्योंकि खान मालिकों के पास से सांख्यकीय अभी ही प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ). प्रतिवेदन का मूल्य प्रत्येक वर्ष अलग-अलग रहता है । १९५० के प्रतिवेदन का मूल्य १५ रु० १४ आ० ० पाई था ।

(ङ) अच्छी किस्म की जिल्द, प्रतिवेदन में बहुत काफी संख्या में योजनाओं और रेखा चित्रों का देना तथा उसके अधिक पृष्ठों का होना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांच उद्योग को सोडा ऐश का संभरण

†*११२२. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :
श्री खुशवक्त राय :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच उद्योग सिंडकेट, फीरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने निवेदन किया है कि संभरण में वृद्धि कर उन्हें प्रतिमास ६०० टन सोडा ऐश का संभरण किया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि जुलाई, १९५८ से औसतन इस उद्योग को लगभग २५० टन सोडा ऐश दिया जा चुका है; और

(ग) इस देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उसे पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). कांच औद्योगिक सिंडीकेट, फिरोजाबाद ने प्रति मास ६०० टन सोडा ऐश के संभरण के लिये मांग की है किन्तु जुलाई, १९५८ से औसतन वास्तविक संभरण ४५० टन रहा है। कांच और चूड़ी उद्योग की जितनी मांग की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं उसे पूरा करने के लिये अतिरिक्त आयात करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

मद्रास में कागज की कमी

†*११२३. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में काग़ज की कमी है और इसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण आयात में कमी करने से मद्रास में और देश के अन्य भागों में कागज की कमी हो गई थी और मूल्य बढ़ गये थे। मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने उपभोक्ताओं की कठिनाइयां रखीं। इस कमी को दूर करने और बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कागज बनाने वालों को ये हिदायतें दीं कि कागज का वितरण ठीक ढंग से किया जाये और वितरण करने वालों तथा फुटकर बेचने वालों पर नियंत्रण रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सस्ती पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिये नेपा अखबारी कागज भी उपलब्ध किया जा रहा है। विक्रेताओं द्वारा अत्यधिक मूल्य लेने सम्बन्धी शिकायतों को निबटाने के लिये एक छोटी समिति कार्य कर रही है। उचित मूल्य निश्चित करने के लिये प्रशुल्क आयोग से कहा गया था और मई, १९५९ तक प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मेस्टा की खरीद

†*११२४. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री झूलन सिंह :
श्री भोलानाथ विश्वास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम मेस्टा किस्म की पटसन खरीदने से इनकार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर ; और

(ग) मेस्टा के विक्रय के लिये उत्पादकों की सहायता करने में कौन से उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम अधिकतर कच्चा पटसन खरीद रहा है और मेस्टा किस्म का नहीं। निगम को कच्चा पटसन खरीदने का अधिकार दिया गया है इसलिये स्वाभाविक है कि निगम वही किस्में खरीदेगा जिनका निर्यात हो सकता है।

(ग) मिलों से कहा गया है कि वे कच्चा पटसन और मेस्टा अधिक खरीदें। सरकार के कहने पर बैंकों ने हाल ही में मेस्टा की खरीद के लिये भी वही सुविधायें देना स्वीकार किया है जो कच्चे पटसन की खरीद पर लागू होते हैं। हाल ही में यह कार्यवाही की गई है और इससे प्राप्त होने वाले अनुभव को देखते हुये और कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा।

क्वाला लम्पूर में भारतीय राजनीतिक बन्दी

†*११२५. **श्री जोकीम आल्वा :**
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री तंगामणि :
श्री सम्पत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वाला लम्पूर की पंडु जेल में एक राजनीतिक बन्दी श्री पी० रमिया, जिन्हें सात वर्ष के लिये जेल में रखा गया है, ने अनिश्चित अवधि तक के लिये व्रत रखा है और व्रत रखे ३५ दिन हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो व्रत रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें बचाने के लिये हमारी सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). भारत सरकार को मालूम है कि श्री के० रमिया (पी० रमिया नहीं) मलाया फैडरेशन की सेकेम्बन जेल में सात वर्ष के लिये बन्दी रखे गये हैं परन्तु भारत सरकार को यह जानकारी नहीं कि उन्होंने कोई व्रत रखा हुआ है ।

समाचारपत्रों का प्रकाशन रोकना

†*११२७. **श्री नाथ पाई :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के कुछ मालिकों ने सरकार को बताया है कि श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति की सिफारिशों को देखते हुये वे अपने पत्रों का प्रकाशन जारी नहीं रख सकेंगे ; और

(ख) क्या कोई समाचारपत्र बन्द हुआ है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी से तो यही पता चलता है कि 'अमृत पत्रिका' (हिन्दी) इलाहाबाद इस कारण बन्द कर दिया गया है कि गत ६ वर्ष से वह घाटे में चल रहा था ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ (प्राइवेट) लिमिडेड, भोपाल

†*११२८. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड भोपाल के क्रय अभिकर्ताओं को कितना कमीशन अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है ;

(ख) क्या परियोजना की प्रथम प्रावस्था के लिये अपेक्षित मशीनरी और संयंत्र विदेशों से मंगवाने के लिये आदेश भेज दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय वस्त्र

†*११२९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सूपकार :
श्री दामानी :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि :

(क) भारतीय वस्त्र के उत्पादन, आन्तरिक खपत और स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या हाल ही के महीनों में सरकार द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप भारतीय वस्त्रों का निर्यात बढ़ गया है ;

(ग) यदि हां, तो अफगानिस्तान और दक्षिण-पूर्व एशिया को होने वाले निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये और कोई उपाय करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]**

पटसन उत्पादों के मूल्य

†*११३०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२४, जो इंडियन जूट मिल्ज़ ऐसोसिएशन द्वारा पटसन उत्पादों के निम्नतम मूल्य निश्चित करने के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मूल्यों का हमारे १९५८-५९ के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इंडियन जूट मिल्ज़ ऐसोसियेशन द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों का १९५८-५९ में पटसन उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एरणाकुलम् का औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*११३१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एरणाकुलम् के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एरणाकुलम् क्षेत्र की तीन मुख्य तेल कम्पनियों के कर्मचारियों को छः मास की मजूरी लाभांश के तौर पर दिलाई है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां ।

फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो

*११३२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो की स्थापना के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है और उनमें से प्रत्येक का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो की स्थापना के बारे में ब्यौरा तैयार करने का काम खास तौर पर दो अफसरों को सौंप दिया गया है। इस खर्च का हिसाब १६५६-६० के बजट अनुमान में लगा लिया गया है। आशा है कि इन दोनों संस्थाओं का काम आने वाले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जायगा ।

नारियल जटा के फ़र्श और पट्टियां[1]

†*११३३. **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नारियल जटा के फ़र्शों और पट्टियों की कितनी मांग बढ़ी है ; और

(ख) क्या सरकारी विभाग केवल नारियल जटा बोर्ड से ही नारियल जटा उत्पाद खरीदते हैं या कि अन्य व्यापारियों से भी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पूर्वगामी वर्ष की तुलना में १६५७ में सरकारी विभागों में नारियल जटा के फर्श आदि अधिक खरीदे गये या नहीं यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। मार्च, १६५८ में इस मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों को यह परिपत्र भेजे कि वे फर्शों आदि पर बिछाने के सामान

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coir floor mats and mattings.

का लगभग २५ प्रतिशत नारियल जटा से बना हुआ खरीदें । इसके फलस्वरूप खरीद में जो वृद्धि हुई उसके बारे में मार्च, १९५८ के बाद के आंकड़ों से जानकारी मिल सकती है ।

(ख) सरकारी विभाग नारियल जटा बोर्ड के 'शोरूम' से अथवा गैर-सरकारी व्यापारियों से अपनी इच्छानुसार माल खरीद सकते हैं ।

औद्योगिक बस्ती, ओखला (दिल्ली)

*११३४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थानों का वितरण किस आधार पर किया गया है ;

(ख) कारखानों के मासिक किराये क्या हैं ;

(ग) इन कारखानेदारों को सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं ; और

(घ) क्या इन में से कुछ कारखाने अनुसूचित जातियों को भी दिये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कारखाने के स्थानों के वितरण का आधार इस प्रकार है :—

(१) जहां तक संभव हो, प्रार्थी दिल्ली राज्य का होना चाहिये ।

(२) हलके इंजीनियरी उद्योगों को तरजीह दी जाये ।

(३) जिन उद्योगों के लिये बहुत अधिक बिजली और पानी की ज़रूरत हो, उन्हें तरजीह न दी जाये ।

(४) जिन उद्योगों से हानिकर या दुर्गंधपूर्ण गैसें या रद्दी पदार्थ उपोत्पादन के रूप में निकलते हों, उन्हें प्रोत्साहित न किया जाये ।

(५) दिल्ली प्रशासन के उद्योग संचालक द्वारा चुने हुये प्रार्थियों को तरजीह दी जाये लेकिन ऐसा करते हुये इस बात का ख्याल रखा जाये कि किसी विशेष प्रकार के उद्योगों का वहां केन्द्रीकरण न हो जाये; और

(६) जो प्रार्थी वर्गीकृत मशीनें लगाने और प्रतिमानित किस्मों का माल बनाने के लिये तैयार हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाये ।

(ख) २४,०५२·०५ रुपये ।

(ग) अच्छी सड़कें, पर्याप्त बिजली और पानी की व्यवस्था, एक डाकखाने तथा एक बैंक के अलावा सरकार ने एक सामान्य सुविधा-केन्द्र भी स्थापित किया है जो कारखानों को शैल्पिक सहायता और जानकारी प्रदान करेगा । मजदूरों के लिये वहां एक कैन्टीन और एक डिस्पैन्सरी है । आग बुझाने की भी वहां व्यवस्था है ।

(घ) इस तरह का कोई हिसाब नहीं रखा जाता ।

---

*मूल अंग्रेज़ी में

योजना आयोग के साथ काम करने वाले मंत्रणाकार

†*११३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह जानकारी हो :

(क) योजना आयोग के साथ कौन-कौन से मंत्रणाकार हैं; और

(ख) उनके कृत्य और उत्तरदायित्व क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय योजना आयोग के तीन मंत्रणाकार, कार्यक्रम प्रशासन—श्री एस० वी० राममूर्ति, श्री नवाब सिंह, और श्री एम० एस० शिवरामन हैं । विभिन्न विषयों के लिये वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो कार्य का समन्वय करते हैं । उन्हें मंत्रणाकार ही कहा जाता है ।

मंत्रणाकार, कार्यक्रम प्रशासन, विभिन्न राज्यों में योजना की प्रगति की पूरी जानकारी रखते हैं । विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और राज्य सरकारों की सहायता करते हैं । वे सरकारी स्तर पर उन्हें सौंपे गये राज्यों की वार्षिक और पंचवर्षीय योजनायें तैयार करने के काम में समन्वय करते हैं । समय-समय पर उन्हें विशेष अध्ययन करने का काम भी सौंपा जाता है ।

ईरान को भारतीय वस्त्र का निर्यात

†*११३६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में भारतीय वस्त्र के अधिक विक्रय किये जाने की संभावना देखी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) आयात शुल्क वज़न के हिसाब से लिया जाता है इस लिये भारत के मोटे और दरम्याने कपड़े पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस सम्बन्ध में हम ने जो अभ्यावेदन भेजे हैं ईरान की सरकार उन पर विचार कर रही है ।

काफी का निर्यात

†*११३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ से योरूप को भारतीय काफी का निर्यात कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण ब्राज़ील की काफी से प्रतिस्पर्धा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने योरूप की मार्किट में ब्राज़ील की काफी से प्रतिस्पर्धा करने की कोई योजना बनाई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं। संसार भर में काफी के मूल्य गिरने से इसका मूल्य कम हो रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडिया काफी डिपो और काफी हाउस

†*११३९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री संगण्णा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया काफी डिपो और काफी हाऊस औद्योगिक प्रतिष्ठान माने जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें अब औद्योगिक प्रतिष्ठान घोषित करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). काफी हाउस औद्योगिक प्रतिष्ठान माने जाते हैं परन्तु इंडिया काफी डिपो नहीं। ब्यौरा मांगा गया है और स्थिति की जांच की जायेगी ।

लौह-अयस्क का निर्यात

†*११४०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत से लौह-अयस्क प्राप्त करने के लिये कोई दीर्घकालीन संविदा करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या जापान २० लाख टन अतिरिक्त लौह-अयस्क का निर्यात कराकर चालू परियोजना का विस्तार करना चाहता है ;

(ग) क्या दस लाख टन लौह-अयस्क के संभरण की संविदा पर चैकोस्लावेकिया के साथ हस्ताक्षर किये गये थे ;

(घ) क्या मंगलौर पत्तन से और २० लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये बातचीत की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किन देशों के साथ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९५७-५८ से ले कर पांच वर्ष तक जो लगभग १५ लाख टन वार्षिक भारतीय लौहा-अयस्क खरीदने की जो वर्तमान संविदा की गई है जापान के इस्पात कारखानों ने उसके अतिरिक्त १९६४ के पश्चात् १० वर्ष तक लगभग २० लाख टन लौह-अयस्क खरीदना स्वीकार कर लिया है । परादीप पत्तन पर जहाजों

†मूल अंग्रेजी में

की जो सुविधायें इस समय उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करने के लिये अतिरिक्त निर्यात करने की बातचीत चल रही है ।

(ग) बातचीत चल रही है ।

(घ) से (ङ). राज्य व्यापार निगम मंगलौर से इटली, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन को लौह-अयस्क निर्यात करने की सम्भावनायें देख रहा है ।

जनेवा करार

†*११४१. **श्री गोरे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि चीन के विदेश मंत्री ने लाओस को इंडो-चीन सम्बन्धी जनेवा करार का एकपार्श्विक रूप से परित्याग करने के खिलाफ चेतावनी दी है ;

(ख) क्या उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि "जनेवा करार का अमानन करने के लिये रायल लाओशियन सरकार की स्थापना करने की अमरीकी योजना को रोका जाये" ; और

(ग) इस चेतावनी के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). चीन के लोक गणतन्त्र के विदेश मंत्री ने जनेवा सम्मेलन के को-चेयरमैन को लाओस की रायल गवर्नमेंट के प्रधान मंत्री द्वारा ११ फरवरी, १९५९ को दिये गये वक्तव्य, जो कि लाओस सम्बन्धी जनेवा करार के बारे में था, जो पत्र लिखा था उसके बारे में भारत सरकार को जानकारी है । इस पत्र की व्याख्या करते हुये चीन के लोक गणतन्त्र के विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था वह भी मालूम है ।

(ग) जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है वह यह प्रयत्न कर रही है कि को-चेयरमैन द्वारा उसके ३१ जनवरी, १९५९ के नोट में व्यक्त किये गये मत के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण तथा नियंत्रण आयोग लाओस में गड़बड़ के बन्द हो जाने पर जनेवा करार सम्बन्धी समस्याओं का निबटारा करे । को-चेयरमैन के नोटों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]**.

औद्योगिक विवाद

†*११४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों की, जिनमें मुकदमा चलाने का विचार किया जा रहा है, छानबीन करने के लिये श्रमिकों और नियोजकों की एक मशीनरी की व्यवस्था करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : एक नियोजक संगठन के अतिरिक्त नियोजकों और श्रमिकों के शेष सभी केन्द्रीय संगठनों ने या तो ऐसी व्यवस्था कर ली है या करने के लिये कार्यवाही की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों में ठेके की प्रथा का अन्त

†*११४३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् कोयला खानों में ठेके की प्रथा खत्म करने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). कोयला खानों की औद्योगिक समिति की बैठक में, जो २१-२-५९ को हुई थी, इस मामले पर आगे विचार किया गया था और एक टैक्नीकल समिति को मामले का अनुसंधान करने के लिये कहा गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

योजना आयोग के अंशकालिक कर्मचारी

†*११४४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार योजना आयोग के अंशकालिक कर्मचारियों के स्थान पर पूरा समय काम करने वाले कर्मचारी रखने का विचार कर रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : योजना आयोग के लिये पूरा समय काम करने वाले कर्मचारी उसी हालत में रखे जाते हैं जब इसके बिना और कोई चारा नहीं होता । योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों के हित को देखते हुये केवल तीन अतिरेक किये गये हैं ।

सौराष्ट्र के विस्थापित व्यक्ति गृहों[1] में से विस्थापित व्यक्तियों का चला जाना

†*११४५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सौराष्ट्र में विस्थापित व्यक्ति गृहों में से बहुत से पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी चले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]D. P. Homes.

†**पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं। वस्तुतः दिसम्बर १९५८ में पश्चिमी बंगाल के २८ और विस्थापित व्यक्ति उसमें भेजे गये थे। इस समय वहां ३०२ व्यक्ति हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों में भारतीय व्यापार केन्द्र

†१७०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में (देशवार) अब तक कितने व्यापार केन्द्र और 'शोरूम' खोले गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]**.

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

†१७०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री केशव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में अब तक उन्हें किन-किन देशों से वहां जाने के लिये निमंत्रण प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) १९५९ में वह किन-किन देशों में जायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). प्रधान मंत्री को कई देशों से निमन्त्रण प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन निमन्त्रणों के धन्यवाद करते हुये कहा है कि वह चाहते हैं कि उन्हें ऐसा अवसर मिले परन्तु निकट भविष्य में उनके लिये यह सम्भव नहीं है। बाद में शायद वे कुछ देशों में जा सकें। गत वर्ष अक्तूबर में वह भूटान और सिक्किम गये थे। १९५९ म उन्हें विदेश यात्रा के लिये कोई निमन्त्रण नहीं मिला है।

विदेशी प्रधान मंत्रियों का भारत आगमन

†१७०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री कालिका सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में किन-किन देशों के प्रधान मंत्री भारत आये थे; और

(ख) उनके आगमन् पर कुल कितना खर्च किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५८ में विदेशों के जो प्रधान मंत्री सरकारी मेहमान बनकर भारत आये उनके नाम नीचे दिये जाते हैं :

१. चैकोस्लोवाकया के प्रधान मंत्री, हिज़ एक्सीलेंसी श्री विलियम सिरीकी।

२. ब्रिट्रेन के प्रधान मंत्री, दि राइट आनरेबल हैरल्ड मैकमिलेन।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री, दि राइट आनरेबल वाल्टर नाश ।

४. तुर्की के प्रधान मंत्री, हिज़ एक्सीलेंसी, श्री अदनन मेंडरीज ।

५. कम्बोडिया के प्रधान मंत्री, शाहज़ादा नोरोडम सिहानूक ।

६. पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, हिज़ एक्सीलेंसी, श्री फीरोज़ खां नून ।

७. कनाडा के प्रधान मंत्री, दि राइट आनरेबल जान्न जी० डीफनबेकर ।

८. नारवे के प्रधान मंत्री, हिज़ एक्सीलेंसी ईनार गर्हर्डसन ।

९. घाना के प्रधान मंत्री, आनरेबल डा० क्वामे नक्रूमाह् ।

(ख) ३१-१-५९ वास्तव में ९८,३६४ रुपये ०६ नये पैसे का भुगतान किया गया । इन पर खर्च का कुल प्राक्कलन है ५,३४,०१० रुपये ।

जम्मू व काश्मीर में योजनायें

†१७१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू व काश्मीर में चलाई गई तथा पूरी की गई योजनाओं पर केन्द्र ने कुल कितना खर्च किया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं सम्बन्धी एक विवरण सभा-टपटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२**] केन्द्रीय योजनाओं के बारे में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अलग-अलग आवंटन बताना सम्भव नहीं है ।

जम्मू व काश्मीर में हथकरघा उद्योग का विकास

†१७११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५८-५९ में अब तक हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये जम्मू व काश्मीर को कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) किन-किन मदों पर खर्च किया गया है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) दो लाख रुपये (८०,००० रुपये ऋण और १,२०,००० रुपये अनुदान)

(ख) एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३**].

दिल्ली नगर निगम

†१७१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में दिल्ली नगर निगम की अल्प आर्य वर्ग गृह निर्माण योजनाओं के लिये ऋण और राजसहायता के तौर पर कुल कितनी राशि दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत केवल ऋण दिये जाते हैं और राजसहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ में अब तक निगम को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

निगम ने दिसम्बर, १९५८ में दिल्ली प्रशासन से अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत १७.२२ लाख रुपये (जो बाद में बढ़ा कर ५०.०० लाख रुपये कर दिया था) ऋण मांगा था। क्योंकि यह ऋण कम आय वाले व्यक्तियों के रहने के मकान बनाने के लिये ही दिया जाता है न कि दुकानें, सामुदायिक अथवा शिक्षा केन्द्रों आदि के निर्माण के लिये इस लिये दिल्ली प्रशासन ने निगम से कहा है कि वह इस प्रस्थापना पर पुनः विचार करे और आगे और ब्योरा दें। अभी निगम से उत्तर नहीं मिला है।

भारत में फिल्म कम्पनियां

†**१७१३. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (राज्य-वार) कुल कितनी फ़िल्म कम्पनियां हैं ; और

(ख) १९५८–५९ में कुल कितनी नई फ़िल्म कम्पनियां स्थापित की गयीं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार फिल्म निर्माण का विनियमन नहीं करती। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन फिल्म निर्माताओं को रजिस्टर करने की व्यवस्था हो। अतः देश में विद्यमान फिल्म कम्पनियों की संख्या अथवा किसी विशेष कालावधि में स्थापित की गयी कम्पनियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है।

बम्बई राज्य में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†**१७१४. श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में बम्बई राज्य में कितने और किन स्थानों पर प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : १९५७–५८ में बम्बई में कोई नया प्रशिक्षण केन्द्र चालू नहीं किया गया। तथापि, १९५८–५९ में जामनगर, अकोला, कांडला, नागपुर, अहमदाबाद और नान्देड़ में नयी संस्थायें आरम्भ की गयीं।

पत्थर खान में दुर्घटनायें

†**१७१५. श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में पत्थर खान उद्योग में कितनी दुर्घटनायें हुयीं; और

(ख) उन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) ५।

(ख) कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कांच के कारखाने

†१७१६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में किसी नये कांच के कारखाने की स्थापना करने अथवा मौजूदा कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कांच का कारखाना स्थापित करने के लिये सामान की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में द्वितीय योजना का प्रचार

†१७१७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन नाटक मण्डलियों को योजना प्रचार सम्बन्धी नाटक दिये गये हैं, उनके क्या नाम हैं ;

(ख) योजना के प्रचार के लिये अब तक कितने उड़िया नाटक चुने गये हैं, और वे कौन से हैं ; और

(ग) नाटकों द्वारा योजना के प्रचार के लिये उड़ीसा में द्वितीय योजना काल में अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

१. अन्नपूर्णा थियेटर ग्रुप 'ए', पुरी ।

२. अन्नपूर्णा थियेटर ग्रुप 'बी', कटक ।

३. कलिंग आर्टस प्लेयर्स, बपराबाद, डाकखाना चांदनी चौक, कटक—२ ।

४. जनता रंगमंच, कटक ।

५. नाट्य श्री थियेटर्स, स्टेशन बाजार, डाकखाना बरी पदा, जिला मयूरभंज ।

६. चन्द्रकला थियेटर, संगोशदी ।

७. गोपबन्धु ड्रामाटिक क्लब, बल्कटी ।

८. बाक्देवी नाट्य संघ, बदाला हंगा, डाकखाना भगतसिंहपुर ।

९. बोयज कल्चरल क्लब, डाकखाना नयागढ़ ।

१०. वीणापाणी क्लब, भुबनेश्वर ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) तीन—(१) कुल बहू ।

(२) हमारा गांव
(३) मान भंग } उड़िया में अनुवाद

(ग) उड़ीसा में नाटकों द्वारा प्रचार के लिये द्वितीय योजना काल में अब तक लगभग ३१,००० रुपये की राशि खर्च की गयी है ।

विस्थापित बैंकों के बन्धक दावे[1]

†१७१८. **श्री ओंकार लाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत विस्थापित बैंकों द्वारा विभाजन से पहले विस्थापित कर्जदारों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में बन्धक रखी गयी सम्पत्तियों के बारे में कितने दावे दायर किये गये हैं ;

(ख) ये दावे कितनी धनराशि के सम्बन्ध में है ;

(ग) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ६ के अन्तर्गत ऐसे दावों के सम्बन्ध में विस्थापित बैंकों को कितना धन लेना है ;

(घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ७ (२) (ख) के अन्तर्गत कर्जदारों को देय प्रतिकर में से कितना धन काटा गया है ;

(ङ) विस्थापित बैंकों को उनके दावों के सम्बन्ध में कितना धन दिया गया है ; और

(च) विलम्ब और गलती को दूर करने के लिये विस्थापित बैंकों के बन्धक दावों को ऋणी-बन्धक-कर्त्ताओं के सत्यापित दावों के साथ जोड़ने के लिये यदि कोई तरीका बनाया गया है, तो वह क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ४४वां) की धारा ६ के अन्तर्गत अधिसूचित १४ विस्थापित बैंकों ने विस्थापित कर्जदारों की सम्पत्ति के विरुद्ध ८८० दावे दायर किये हैं ।

(ख) ४,९५,६४,०७८ रुपये (बैंकों द्वारा दावा किये गये)

(ग) ६४० दावों का सत्यापन किया गया है और उनको १,०२,०८,४३६ रुपये के आंका गया है । २४० दावे अभी बाकी हैं जिनमें बैंकिंग समवायों के दावों की राशि का अभी सत्यापान किया जाना है ।

(घ) १७,२१,६०१.४० रुपये ।

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कर्जदारों के दावों के देशनांक (इंडैक्स नम्बर) दें । जैसे ही और जब भी वे देशनांक (इंडैक्स नम्बर) दे देते हैं, बैंकिंग समवायों की फाइलों

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Mortgage claims

को भी दावों के साथ लगा दिया जाता है और दोनों पक्षों को बुलाने के बाद दावे की राशि निश्चित कर दी जाती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

१७१९. **पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल सचिवालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (नेशनल सेम्पल सर्वे आफिस) अधीनस्थ कार्यालय है अथवा संगलग्न कार्यालय;

(ख) उक्त कार्यालय के श्रेणी ३ के उन कर्मचारियों को अर्धस्थायी न बनाने के क्या कारण हैं, जो लगभग दस वर्ष से काम पर लगे हुए हैं, जब कि सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् अर्धस्थायी बना दिया जाता है ;

(ग) उन कर्मचारियों को अर्धस्थायी बनाने में कितना समय लगेगा जो तीन वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं ;

(घ) श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों का क्या भविष्य है, जब कि उन्हें अर्धस्थायी नहीं बनाया गया है और कार्यालय की कोई स्थिति नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इस दफ्तर की संस्थिति अभी पक्की तरह से तय नहीं हुई है लेकिन काम के लिये इसे इस समय अधीनस्थ दफ्तर मानते हैं ;

(ख) से (घ). तीसरे दर्जे की नौकरियों के रिक्रूटमेंट रूल्स अभी पूरे तय नहीं हो पाये हैं। इस वजह से यह फैसले अभी तक रुके हुए हैं। उमीद है कि रिक्रूटमेंट रूल्स तय होते ही इन विषयों का (अर्थात् अर्धस्थायी बनाने का) फैसला जल्दी हो जायेगा।

कर्मचारियों की तरक्की क्वेसी-परमानेंसी या दफ्तर की संस्थिति पर निर्भर नहीं है। दूसरे व तीसरे दर्जे के कर्मचारी ऊंचे पदों पर तरक्की पा सकते हैं। चपड़ासी, जो ४ दर्जे के कर्मचारी हैं, दफ्तरी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं।

गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता

†१७२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय ने १९५८-५९ में अभी तक गैर-सरकारी स्कूलों को दिये जाने के लिये कोई वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक संस्था को सहायता के रूप में कितना धन दिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). विभाजन के समय भारत में जो विस्थापित संस्थायें विद्यमान थीं अथवा जो उसके बाद विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिये चालू की गयी थीं, उनको १९५८-५९ में पहले वर्षों की तरह ही वित्तीय सहायता मंजूर की गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें पश्चिमी जोन में ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार-सूची और प्रत्येक संस्थाओं को दी गयी सहायता की राशि बतायी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]**

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७२१. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक आंध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य सरकार और अन्य संगठनों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और ये अनुदान किन उद्योगों के लिये दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५७-५८ और १९५८-५९ में (फरवरी, १९५९ के अन्त तक) आंध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गयी कुल वित्तीय सहायता और जिन उद्योगों के लिये यह दी गयी है, उनके नाम बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]**

आन्ध्र प्रदेश में समवाय

†१७२२. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में आंध्र प्रदेश में कितनी कम्पनियां रजिस्टर की गयीं ;

(ख) कम्पनी-वार प्राधिकृत पूंजी कितनी है ; और

(ग) उसी कालावधि में आंध्र प्रदेश में परिसमापित कम्पनियों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). १९५८-५९ के पहले ११ महीनों में आंध्र प्रदेश में १७ कम्पनियां रजिस्टर की गयीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी ५१.७९ लाख रुपये है। अभी तक उसी कालावधि में २१ कम्पनियों के परिसमापित होने का पता लगा है।

नोट : नयी रजिस्टर की गयीं अथवा परिसमापित कम्पनियों के नाम और अन्य विवरण, जैसे औद्योगिक वर्गीकरण, मैनेजिंग एजेंटों, सेक्रेटरियों, ट्रेजरारों, मैनेजिंग डाइरेक्टरों इत्यादि के नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, उद्देश्य, प्राधिकृत, प्रार्थित और प्रदत्त पूंजी इत्यादि, भारत में ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों सम्बन्धी मासिक 'ब्लू बुक्स' में दिया जाता है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अन्धेरी (बम्बई) में फ्लेक्सिबिल ट्यूब बनाने का कारखाना

†१७२३. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई के समीप अन्धेरी में फ्लेक्सिबिल ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किसने स्थापित किया और इसकी स्थापना में कितनी लागत आयी ; और

(ग) कारखाने की वार्षिक अनुमानित क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). 'दि इंडियन फ्लेक्सिबिल ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी' अन्धेरी, ने फ्लेक्सिबिल ट्यूब का निर्माण करने के लिये एक कारखाने की स्थापना की है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३८०,००० मीटर है। इस कारखाने की, जो कि छोटे पैमाने के क्षेत्र में है, समवरुद्ध पूंजी २.९ लाख रुपये और कर्मवाहक पूंजी लगभग १.२ लाख रुपये है।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन योजना

†१७२४. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों द्वारा नेपाल को निर्यात किये गये कपड़े और सूत को सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत आयात करने के अधिकार के लिये ध्यान में नहीं रखा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी, हां।

(ख) भारत और नेपाल में आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और नेपाल से व्यापार करने में कोई विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक बस्तियां

†१७२५. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक बस्तियां किस हद तक बन गयी हैं और बस गयी हैं ;

(ख) कल्याणी में औद्योगिक बस्ती का किस प्रकार उपयोग किया गया है ;

(ग) बर्नीपुर औद्योगिक बस्ती किस प्रक्रम पर है ; और

(घ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में पश्चिमी बंगाल में कोई और औद्योगिक बस्ती भी बनायी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) से (ग). पश्चिमी बंगाल में केवल एक औद्योगिक बस्ती अर्थात् बसईपुर की बस्ती, पूरी हो गयी है। कल्याणी में औद्योगिक बस्ती आंशिक रूप से पूरी हो गयी है। दोनों बस्तियों के बारे में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

बसईपुर औद्योगिक बस्ती : लगभग ३०,००० वर्ग फुट के क्षेत्र में इस बस्ती के २० वर्क-शेडों का निर्माण पूरा हो गया है। आठ वर्क-शेडों में स्याही और चिपचिपी, छेनी, रिवट, बिजली के सामान इत्यादि बनाने वाले विभिन्न उद्योग चालू हो चुके हैं। अन्य शेडों को भी पृथक रक्षित कर दिया गया है और आशा है कि उनमें भी जल्दी ही कुछ उद्योग चालू हो जायेंगे।

कल्याणी औद्योगिक बस्ती : ८०,००० वर्ग फुट से भी अधिक के क्षेत्र में ७ वर्क-शेडों का निर्माण पूरा हो गया है और उनको छोटे उद्योगों को साइकिल रिम फैक्टरी, लग शाप, पोली गोल्ड फैक्टरी, क्रैंक शाफ्ट फैक्टरी, ड्राप हैमर, मिकेनिकल टाय फैक्टरी और छोटे औजार बनाने के केन्द्र स्थापित करने के लिये आवंटित कर दिया गया है। लगभग ३०,००० वर्ग फुट क्षेत्र में अतिरिक्त वर्क-शेड बनाने का कार्य राज्य सरकार ने आरम्भ कर दिया है और यह आशा है कि इनका निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में शक्तिगढ़, सिलिगुडी और हावड़ा में तीन और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का प्रस्ताव है।

कल्याण कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†१७२६. **श्री रा० च० माझी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बहु-प्रयोजनीय कल्याण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कुल क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) १९५८ के अन्त तक कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). १९५८ के अन्त तक ५४ व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। १०० व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मैसूर में औद्योगिक विवाद

†१७२७. **श्री केशव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में मैसूर राज्य में औद्योगिक विवाद के कारण कितने जन-दिनों[1] की हानि हुई ; और

(ख) तालाबन्दी अथवा हड़ताल की क्या मुख्य बातें हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) १९५७-५८ में ४,४६,२४७ और १९५८-५९ में (केवल दिसम्बर, १९५८ तक) २,८४,८०३।

(ख) छंटनी, श्रमिकों का निकाला जाना, मजूरी अथवा बोनस न देना, इत्यादि।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Man-Days.

औद्योगिक विवाद

†१७२८. **श्री केशव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में औद्योगिक विवादों की राज्यवार कुल क्या संख्या है ;

(ख) उसी कालावधि में, औद्योगिक विवादों के कारण राज्य-वार कितने जन-दिनों की हानि हुई ;

(ग) १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितनी श्रमिक हड़तालें हुईं ; और

(घ) उसी कालावधि में हड़तालों के कारण, राज्य-वार कितने जन-दिनों की हानि हुई ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) से (घ). सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]**.।

राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड

†१७२९. **श्री केशव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अमरीकी ढंग पर अथवा अन्य प्रकार से एक राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) क्या ऐसे बोर्ड राज्य स्तर पर भी स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बागान श्रमिकों के लिये समान मजूरी

†१७३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री केशव :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पांडे :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिकों के लिये समान मजूरी लागू करने के बारे में राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरों में क्या कहा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) आसाम सरकार को छोड़कर बाकी सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

(ख) राज्य सरकारों ने बताया है कि वर्तमान मजूरियों न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत, और कुछ मामलों में सहमति द्वारा, निर्धारित की गयी है। मजूरी की दरों में भिन्नता विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग स्थिति, जैसे बागान के आकार इत्यादि, के कारण है। अधिकांश राज्य सरकारें इस उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं।

कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण

†१७३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों के सहयोग से विभिन्न कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी पार्टियों के प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन थे, उनमें से निम्नलिखित अनुमोदित कर दिये गये हैं :

भारतीय फर्म का नाम	विदेशी सहयोगियों का नाम	निर्माण की जाने वाली वस्तुएं
१. मेसर्ज टी० मानकलाल मेन्यु-फैक्चरिंग कं०, बम्बई	मेसर्ज बेनिंगर इंजीनियरिंग कं०, स्विटजरलैंड	मर्सराइज़र्स
२. मेसर्ज स्टार ट्रेडिंग कं० लिमिटेड बम्बई	मेसर्ज फमाटेक्स, जी० एम० बी० एच०, पश्चिम जर्मनी	होट एयर स्टेन्टर्स
३. केलिको इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, बम्बई	मेसर्ज कार्लमेन्जेल, पश्चिम जर्मनी	टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग मशीनरी।

बाकी प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

†मूल अंग्रेजी में

छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण

†१७३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री द्वारिका नाथ तिवारी :
श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के ट्रैक्टर बनाने की योजनाओं का अन्तिम रूप से अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). १२–१८ डी० बी० एच० पी० से २०–३० डी० बी० एच० पी० तक के २५०० कृषि ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने की क्षमता वाली दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। विदेशी सहयोग की शर्तें पूरी हो जाने पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किये जायेंगे।

चाय बागानों का बन्द किया जाना

†१७३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय बागानों के बन्द होने से उत्पन्न समस्या पर विचार करने और उनमें सामान्य रूप से कार्य आरम्भ करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** चाय बागानों का बन्द होना असामान्य है। यह पता लगा है कि कुछ छोटे 'सब-मार्जिनल' बागान तालाबन्दी की ओर अधिक झुके हुये हैं। चाय बोर्ड 'मार्जिनल' बागानों की अधिकतम सम्भव हद तक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक चाय प्रत्यानूति निधि योजना का परीक्षण कर रहा है। उर्वरक और परिवहन सुविधाएँ देकर सहायता देने की योजनाओं पर भी विचार हो रहा है। इन उपायों से खराब हालत वाले बागानों को बल मिलेगा और उनको अच्छी प्रकार कार्य करने में सहायता मिलेगी।

आकाशवाणी

†१७३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के स्थापना व्यय में और मितव्ययता करने के लिये साधन ढूंढने के बारे में क्या कार्य-वाही की गयी है या की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** विशेषत: नये पदों पर खर्चा करने के प्रस्तावों की मितव्ययता समिति जांच कर रही है। साधारणत: थोड़े समय के लिये रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं और जहां पर अत्यावश्यक नहीं होता, पदों को खाली रहने दिया जाता है। मूल प्रसारण की साधारण प्रसारण अवधि में आधा घंटा कमी करके मितव्ययता लाई गयी। जहां तक मंत्रालय द्वारा की गयी मितव्ययता का संबंध है, २३ फरवरी, १९५९ के प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर में प्रधान

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उसका उल्लेख किया गया था। वित्त मंत्रालय का विशेष पुनर्गठन युनिट शीघ्र ही आकाशवाणी के संगठन की ब्यौरेवार जांच आरम्भ करेगा।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड

†१७३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नगंल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) फैक्टरी का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और फैक्टरी उत्पादन कब तक शुरू कर देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) 'एलेक्ट्रोलाइजर प्लांट' के लगभग ७५ प्रतिशत अंश तो फैक्टरी के स्थान पर पहुंच गये हैं और 'एलेक्ट्रोलाइसिस प्लांट' से संबंध रखने वाला लगभग ६५ प्रतिशत असैनिक कार्य पूरा हो गया है।

आशा है कि 'मेसर्ज इंगलिश एलेक्ट्रिक कम्पनी' से बिजली का सामान शीघ्र ही पहुंचना आरम्भ हो जायेगा। 'टेक्टीफायर प्लांट' के लिये इमारत का निर्माण-कार्य तथा स्विच यार्ड में ६६ किलोवाट सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

नाइट्रिक एसिड तथा अमोनिया प्लांटों तथा उर्वरक उत्पादन कारखानों की इमारतों का निर्माण-कार्य पर्याप्त सीमा तक पूरा हो चुका है। आशा यही है कि मशीनें लगाने का कार्य इस वर्ष के मध्य से पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। फैक्टरी की चारदीवारी लगभग पूरी हो गयी हैं।

फैक्टरी के प्रवेश द्वार से लेकर 'एलेक्ट्रोलाइसिस प्लांट' क्षेत्र तक रेल की पटरी बिछायी जा रही है।

फैक्टरी की जल संभरण व्यवस्था तथा जल परिशोधन संयंत्र के लिये ठेका दे दिया गया है। 'मेसनरी ग्रेविटी फ्लूम्ज' के लिये भी ठेका दे दिया गया है और कार्य प्रारम्भ हो गया है। हेर्बीवाटर प्लांट को संभारित करने, लगाने और उसे चलाने का ठेका पश्चिमी जर्मनी के मेसर्ज लिंडे को आस्थगित अदायगी की शर्तों पर दिया गया है।

स्थायी बस्ती के लिये विभिन्न प्रकार के लगभग ५० प्रतिशत क्वार्टर तैयार हो गये हैं और उनमें से बहुत से क्वार्टरों में बिजली भी लग गयी है। शेष मकान अभी तैयार हो रहे हैं। 'नंगल फर्टिलाइजर्स' द्वारा गोरनी पर्वतीय क्षेत्र में रामसर-सेरला स्थान पर चुने के पत्थर के खनन के लिये पट्टा प्राप्त किये जाने के लिये पंजाब के डायरेक्टर आफ इंडस्टरीज से आवश्यक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। इन निक्षेपों से प्राप्त होने वाले चूने के पत्थर को फैक्टरी स्थान तक पहुंचाने के लिये कुछ फासले तक रज्जुपथ का उपयोग किया जायेगा। लगभग ७$^{1}/_{2}$ मील लम्बे रज्जुपथ का निर्माण करने के लिये टेंडर मंगे गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आशा है कि हेवी वाटर प्लांट' के अतिरिक्त शेष सभी संयंत्रों को लगाने का काम १९६० के मध्य तक पूरा हो जायेगा। हेवी वाटर प्लांट' के भी १९६१ की प्रथम तिमाही में पूरे हो जाने की आशा है।

रूस के साथ व्यापार

†१७३६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस तथा अन्य सम्बद्ध देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और वहां से किन-किन वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों से/ को निम्नलिखित वस्तुओं का आयात/निर्यात किया जाता है :—

आयात

लोहा तथा इस्पात, मशीनरी, धातु (इस्पात तथा लोहे के अतिरिक्त) अन्य धातु, बिजली का सामान, रंग, रसायन, अखबारी कागज तथा गत्ता, उर्वरक आदि।

निर्यात

चाय, काफी, पटसन की वस्तुएं, कच्ची ऊन, तम्बाकू, दालें, अभ्रक, चपड़ा, वनस्पति तेल, चमड़ा तथा खालें, जूते, काजू, लौह अयस्क, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े आदि।

पटसन का व्यापार

†१७३७ **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में पाकिस्तान से पटसन के आयात के लिये अभी तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य एजेंसी के द्वारा कितने पटसन का निर्यात किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जुलाई, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक की अवधि में ७७ लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) निर्यात ठेकों से राज्य व्यापार निगम की मार्फत स्टाक और कीमतों की स्थिति को देखते हुये किया जाता है। निर्यात की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

कच्चे पटसन का निर्यात

†१७३८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, १९५९ में कच्चे पटसन का निर्यात किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन किन देशों को निर्यात किया गया है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो पटसन के निर्यात में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पता लगा है कि कुछ एक निर्यातकों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिये निर्धारित माल रोक रखा है ।

औद्योगिक उत्पादन

†१७३९. **श्री वें० प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में जानकारी है कि इस समय देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन कितना होता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) और (ख). देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य देश के किसी राज्य के किसी विशेष उद्योग के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो सरकार जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न करेगी ।

कानपुर में उपभोक्ता मूल्य देशनांक

†१७४०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५८ में कानपुर में उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त से प्राप्त हिदायतों के अधीन मालिकों द्वारा जो महंगायी खाद्य भत्ता दिया गया था उसकी गणना ५१४ देशनांक के स्थान पर ४९८ देशनांक के आधार पर की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कोई नयी हिदायतें जारी की गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कम गणना करने के क्या कारण थे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं। उपभोक्ता मूल्य देशनांक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संकलित किये जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त ने उत्तरी भारत नियोजक सन्था, कानपुर, को यह सुझाव दिया था कि क्योंकि नवम्बर, १९५८ तथा उसके बाद के देशनांकों के संकलन में गेहूं के सस्ते दामों पर संभरण के कारण देर हो गयी है, इसलिये वह अपने सदस्यों को यह परामर्श दे कि वे दिसम्बर १९५८ के लिये महंगायी भत्ता फिलहाल,

†मूल अंग्रेजी में

अस्थायी रूप से अक्तूबर, १९५८ के देशनांक, अर्थात् ५१४, के आधार पर ही अदा कर दें और बाद में आवश्यक समायोजन कर लें । नवम्बर और दिसम्बर, १९५८ के देशनांक क्रमशः ५०५ तथा ४८५ थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†१७४१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५वें तथा १६वें भारतीय श्रम सम्मेलन के किस किस निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). १५वें और १६वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय इस समय विचार अथवा कार्यान्विति के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं।

'नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड'

†१७४२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उर्वरक की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुये 'नंगल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या नंगल के उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, और यदि की जा सकती है तो कितनी ।

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में टैक्निकल संस्थायें

१७४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो आठ प्रविधिक संस्थायें खुलने वाली हैं उन्हें किन-किन स्थानों पर खोलना निश्चित हुआ है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जो संस्थायें खोली जा रही हैं उनमें किन-किन विषयों के लिये कितने-कितने छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे ; और

(घ) ऐसी प्रत्येक संस्था पर कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा बरेली, गोंडा, मिर्जापुर, बलिया, और श्रीनगर तथा हिमाचल प्रदेश में सोलन।

(ख) बलिया और श्रीनगर को छोड़ कर ऊपर लिखे सभी स्थानों में प्रादेशिक संस्थायें खुल गई हैं। आशा है कि बलिया और श्रीनगर की प्रादेशिक संस्थायें नवम्बर १९५९ में आरम्भ होने वाले सत्र (सेशन) से चालू हो जायेंगी।

(ग) और (घ). विवरण साथ लगा दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७**]

कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†१७४४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों ने ४, दिसम्बर, १९५८ और ५ जनवरी, १९५९ को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया था ; और

(ग) हड़ताल के क्या कारण थे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) उक्त दो दिनों में बोर्ड के कुछ एक कर्मचारियों ने कुछ समय के लिये काम करना बन्द कर दिया था।

(ख) जानकारी निम्नलिखित है :—

तिथि	जितने लोग काम से अनुपस्थित रहे	जितने समय के लिये
४-१२-५८	लगभग ९५५	४ घंटे
५-१-५९	लगभग १०४१	४ घंटे

(ग) गोदी बोर्ड के इस निर्णय की, कि प्रत्येक मजदूर के पहिचान के कार्ड पर एक स्लिप चिपकायी जाय जिसमें उनके पहिचान के कार्ड के क्रमांक लिखे हों, कुछ एक शरारती लोगों ने गलत व्याख्या करके मजदूरों को भड़का दिया था और उनसे कुछ समय के लिये काम बन्द करवा दिया था।

गवर्नमेंट प्रेस, दिल्ली की मुद्रण क्षमता

१७४५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी के कितने फर्मे प्रतिदिन छापने की क्षमता है ; और

(ख) काम के घंटों में प्रतिदिन होने वाले कार्य का क्षमता से क्या अनुपात है ?

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) नई दिल्ली में स्थित सरकारी छापाखाने में लेटर प्रेस विंग की कम्पोज करने की क्षमता, आठ आठ घंटे की दोनों पारियों को मिला कर, प्रतिदिन ९६० रायल आक्टेवो पृष्ठ हैं। इसमें से २२० पृष्ठ अंग्रेजी या हिन्दी में किये जा सकते हैं और शेष केवल अंग्रेजी में। विंग की मशीन छपाई की क्षमता उतने ही समय में २,६५,००० अंक है यदि छपाई अधिक संख्या में हो अर्थात् प्रत्येक फर्मे की इतनी कापिया छपें जिसमें मेक-रेडी टाइम को मिला कर एक पारी का आधा समय लगे। यदि छपाई कम संख्या में हो तो क्षमता घट जाती है क्योंकि पारी के दौरान में अधिक फर्मे तैयार करने तथा बदलने में समय लग जाता है। इस क्षमता पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोलिथो विंग में कम्पोज करने की क्षमता ५० पृष्ठ और छपाई की ४,२५,००० अंक प्रतिदिन है यदि छपाई अधिक संख्या में हो। इस विंग में कार्य एक ही पारी में होता है और केवल अंग्रेजी में कम्पोज किया जाता है।

(ख) लेटर प्रेस विंग में दोनों पारियों को मिला कर प्रतिदिन का वास्तविक उत्पादन ८४२ पृष्ठ तथा १,६५,००० अंक है, और फोटोलिथो विंग जिसमें एक पारी काम होता है उसका प्रतिदिन का उत्पादन ३५ पृष्ठ तथा २,२५,००० अंक है। यह अन्तर कम्पोज करने में लाइनों की नाप को घटाने या बढ़ाने तथा छपाई की संख्या परिवर्तनीय होने के कारण है।

उड़ीसा में लघु उद्योग

†१७४६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्था ने १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में उड़ीसा के लघु उद्योगों को कोई सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) संस्था १९५६-५७ में प्रारम्भ हुई थी और उस समय से वह उड़ीसा के लघु उद्योगों को सहायता दे रही है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]

मोटर गाड़ी टायर निर्माण उद्योग

†१७४७. { **श्री कोडियान** :
श्री पुन्नूस :
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ी टायर निर्माण उद्योग में मुख्य रूप से क्या क्या कच्चा सामान इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्येक का अनुपात (मूल्य में) क्या है;

(ख) (१) टायरों और (२) कच्चे सामान और विशेषकर कच्चे रबड़ के परिवहन पर कितनी लागत आती है; और

(ग) इस्तेमाल होने वाली बिजली पर कितने प्रतिशत लागत आती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मोटर गाड़ी के लिये टायरों और ट्यूबों के निर्माण में मुख्यतया निम्नलिखित कच्चे सामान की जरूरत होती है :—

(१) रबड़, (२) फेब्रिक, (३) कार्बन ब्लैक, (४) बीड वायर, (५) ट्यूब वाल्व, (६) कई प्रकार के रसायन, जैसे गन्धक, जिंक ऑक्साइड, एक्सेलेटरर्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिक साइजर्ज, साफ्टनर्स, फिल्लर आदि ।

जहां तक उनके अनुपात का सम्बन्ध है इस बारे में ठीक ठीक जानकारी संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकार के टायर में विभिन्न वस्तुएं विभिन्न मात्राओं में इस्तेमाल की जाती हैं ।

(ख) परिवहन पर आने वाला खर्च बताना संभव नहीं है क्योंकि यह तो उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कारखाना स्थापित हो । फिर भी टायर की लागत की तुलना में परिवहन पर आने वाला खर्च बहुत कम है ।

(ग) इस सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१७४८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के अतिरिक्त किसी और संगठन के द्वारा भी काम दिलाने का काम किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के क्या क्या नाम हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). काम दिलाऊ दफ्तरों के अतिरिक्त अन्य संगठनों के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है । अक्टूबर, १९५७ में शुल्क पर नौकरी दिलाने वाले अभिकरणों की एक सूची निम्नलिखित है :—

राज्य	क्रमांक	अभिकरण के नाम और पता
बिहार . .	१.	मैसर्स मुकन्द लाल एण्ड सन्स, धनसार, धनबाद ।
	२.	मैसर्स भारतीय मजदूर सप्लायर्ज, धनसार, धनबाद ।
	३.	मैसर्स कोलियरी लेबर सप्लायर्ज, धनसार, धनबाद ।
	४.	मैसर्स अवध बिहारी सिंह एण्ड को०, धनसार, धनबाद ।
बम्बई .	५.	सूचना तथा सहायता ब्यूरो, ओल्ड किखाबवाला मार्केट, सैकण्ड फ्लोर, टावर रोड, सूरत ।
	६.	आर्चबिशप्स एम्प्लाएमेंट ब्यूरो, आर्चबिशप्स हाऊस, वोडे हाऊस रोड, बम्बई—१.
	७.	वाइ० एम० सी० ए० एम्प्लाएमेंट ब्यूरो, मेयो रोड, बम्बई ।
	८.	दी एशियाटिक सर्विस ब्यूरो, फर्स्ट फ्लोर, निवांडीवाला बिल्डिंग, लेमिंगटन रोड, बम्बई ।
पश्चिमी बंगाल	९.	वाइ० एम० सी० ए० एम्प्लायमेंट ब्यूरो, कलकत्ता ।

†मूल अंग्रेजी में

आणविक शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग

†१७४९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को आणविक शक्ति का कृषि खाद्य तैयार करने, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, वनरोपण तथा अन्य विषयों में उपयोग करने के सम्बन्ध अनुसंधान करने के लिये सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिये किन्हीं विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो आणविक शक्ति विभाग द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) इस विषय में कौन कौन विश्वविद्यालय और संस्थायें रुचि ले रही हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । इस के लिय अभी तक केवल एक ही विश्वविद्यालय ने प्रार्थना की है ।

(ख) प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

(ग) केवल उक्त एक ही विश्वविद्यालय, जिसका नाम है अन्नामलाई विश्वविद्यालय ।

भारत सरकार द्वारा की गई खरीद

†१७५०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में ३१ दिसम्बर, १९५८ तक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कितनी मात्रा और कितनी कीमत की वस्तुओं की खरीद की थी ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष अपने देश के आन्तरिक संसाधनों से कितने प्रतिशत वस्तुओं की खरीद की थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) प्रत्येक वस्तु की मात्राओं के अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में डी० जी० ए० एण्ड डी०, डी० जी० आई० एस० डी० लन्दन और आई० एस० एम० वाशिंगटन द्वारा कितनी कीमत की वस्तुएं खरीदी गयी थीं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]**

गर्म मसालों की निर्यात संवर्द्धन परिषद्

१७५१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गर्म मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है; और

(ग) प्रस्तावित परिषद् की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) गर्म मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् या मण्डल स्थापित करना ठीक है या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) ज्यों ही आवश्यक पूछताछ का काम पूरा हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१७५२. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीमा धारी कर्मचारियों के कितने परिवारों को १९५८-५९ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के निर्णयों के अनुसार सुविधायें दी गयी हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अभी तक बीमा धारी कर्मचारियों के १९६,५०० कर्मचारियों को सुविधायें दी गयी हैं ।

उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त संसाधन

†१७५३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अतिरिक्त संसाधनों, जैसे कि सुधार प्रशुल्कों का अनुमान लगाने और उनकी वसूली, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली कृषि सम्बन्धी भूमि पर विशेष कर लगाना, कर व्यवस्था में सुधार और लघु बचत आन्दोलन का अधिक प्रचार से अपने राजस्व के प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं ; और

(ख) इन अतिरिक्त संसाधनों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना राजस्व प्राप्त हो सकेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख) प्रश्न में जिन उपायों से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है उन सभी पर योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया गया है । कोई निश्चित प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं । राज्य सरकार इस समस्या को सदा ध्यान में रखेगी ।

हिमाचल प्रदेश में श्रम सम्बन्धी विधियां

†१७५४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल में न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा अन्य वर्तमान श्रम विधियों के अधीन नियम बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन नियम बन गये हैं और हिमाचल प्रदेश प्रशासन उन्हें अन्तिम रूप दे रहा है । शेष श्रम विधियों के अधीन भी नियम शीघ्र ही तैयार किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में १०० किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर का लगाया जाना

†१७५५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, दिल्ली, में १०० किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उसमें वैदेशिक प्रसारण कार्यक्रम के लिये ईस्ट वैस्ट बीम की व्यवस्था की गई है । इस ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर चलाने वाले कर्मचारियों के लिये आधुनिकतम सुरक्षा उपाय निहित हैं और उससे "आपरेटिंग फ्रीक्वेंसी" को शीघ्रता से बदला जा सकता है ।

परियोजना पर लगभग ४०·३१ लाख रुपये खर्च आयेंगे ।

दक्षिणी अफ्रीका में पैदा हुआ भारतीय

†१७५६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी अफ्रीका में पैदा हुए कुछ एक भारतीयों ने भारत में बम्बई के निकट शखरोल नामक गांव में बसने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन्हें इसके लिये अनुमति दे दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है ।

गोदी श्रम बोर्ड कलकत्ता के क्लर्कों द्वारा हड़ताल

†१७५७. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ दिसम्बर, १९५८ को गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता में काम करने वाले रिजर्व पूल टैली के ५६३ क्लर्कों ने कुछ एक घंटों के लिये हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) ५६३ रजिस्टर्ड टैली क्लर्कों में से २५२ से यह कहा गया था कि वे ७ दिसम्बर, १९५८ को सायं तथा रात्रि की शिफ्टों में काम करें, परन्तु उन्होंने ऐसा करना स्वीकार न किया ।

(ख) एक क्लर्क ने क्लाट बोर्ड के दफ्तर में घुसने का प्रयत्न किया, परन्तु रक्षक ने उसे दाखिल होने से रोक दिया था क्योंकि बुकिंग के अवसर पर दाखिल होना मना है । दोनों में कुछ हाथा पायी हुई और उसके उपरान्त सभी क्लर्कों ने संयुक्त रूप में उस दुर्व्यवहार के विरोध में एक प्रदर्शन किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेलगांव को अभ्रक और तम्बाकू का निर्यात

†१७५८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलगांव को अभ्रक और बढ़िया किस्म के तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि होने की गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). बेलगांव को अभ्रक के भारत से सीधे ही निर्यात या नीदरलैण्ड, इंगलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी की राह से निर्यात को बढ़ाने के पर्याप्त गुंजाइश मालूम होती है । तैयार किया हुआ अभ्रक केवल यूरोपीय देशों से ही आयात किया जाता है । निर्यात संवर्धन परिषद् अभ्रक को जहाज पर चढ़ाने से पहले उसका निरीक्षण करने के लिये योजनायें बना रही है और सीधे ही निर्यात को बढ़ाने के लिये वस्तुओं को ठीक समय पर डिलीवरी करने के सम्बन्ध में उपाय कर रही है ।

जहां तक बेल्जियम को तम्बाकू भेजने का सम्बन्ध है, केवल मध्यम तथा घटिया दर्जे के तम्बाकू की मांग है । भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति, तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् और अन्टवार्प्स और लन्दन में स्थित तम्बाकू अफसर बेल्जियम में भारतीय तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

रूई के लिये निर्यात लाइसेंस

†१७५९. **श्री यात्निक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में वास्तविक निर्यात करने वालों को देसी, बंगाली और वगाड़ी रूई के निर्यात के लिये लाइसेंस दिये जा रहे हैं, और ऐसे कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) क्या गुजरात के कुछ भागों की कुछ सहकारी समितियों को भी इस प्रकार की रूई के लिये, जो उस क्षेत्र में पैदा नहीं की जाती, यह लाइसेंस दिये जा रहे हैं, और इन लाइसेंसों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार प्रत्येक वर्ष कुछ रूई का निर्यात करने की अनुमति देती रही है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् कुछ रूई बचती है या नहीं । आम तौर पर जिन किस्मों की रूई के निर्यात की अनुमति दी जाती है उनके रेशे की लम्बाई ३/४ इंच या कम होती है । निर्यात के प्रयोजन के लिये बंगाल देशी और वगड़ रूइयां अनुमत किस्मों में आती हैं । रूई का निर्यात करने वाले सभी व्यक्तियों को क्रानुसार लाइसेंस मंजूर कर दिये जाते हैं । बम्बई राज्य में वास्तव में निर्यात करने वालों को दिये गये लाइसेंसों की संख्या का पता नहीं है ।

(ख) समय समय पर जितनी रूई के निर्यात की अनुमति दी जाती है उसमें से १५ प्रतिशत देश के सभी राज्यों की सहकारी समितियों के लिये सुरक्षित कर दी जाती है । इस सुरक्षण के अधीन बम्बई राज्य की रूई का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों को निर्यात के लाइसेंस मिलते रहे हैं । इन लाइसेंसों से उन क्षेत्रों का सम्बन्ध नहीं होता जिनमें निर्यात की जाने वाली रूई पैदा की गयी थी । गुजरात की सहकारी समितियों को कुल ३९ लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी वाणिज्य केन्द्र

१७६०. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने विदेशी वाणिज्य केन्द्र काम कर रहे हैं ; और

(ख) भारत में इन विदेशी वाणिज्य केन्द्रों को जो सुविधायें प्राप्त हैं क्या भारत को भी वैसी ही सुविधायें प्राप्त हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). भारत में कोई भी विदेशी वाणिज्य केन्द्र नहीं चल रहा है लेकिन जो भी विदेशी दूतावास वाणिज्यिक प्रचार के लिये अपने ही कार्यालय में या नुमाइशों में प्रदर्शित करने के लिये वस्तुऐं भारत लाना चाहते हैं, उन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए ये प्रदर्शनीय वस्तुएं बिना किसी प्रकार का शुल्क लिये आयात करने दी जाती हैं। भारत को भी विदेशों में ऐसी ही सुविधाएं प्राप्त हैं।

ब्रिटेन और अमरीका को चाम और खालों का निर्यात

†**१७६१. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि १९५७ की तुलना में १९५८ में चाम और खालों के उद्योग में, विशेष रूप से कमाई हुई चामों के ब्रिटेन और अमरीका को निर्यात में भारी मन्दी आ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो यह मन्दी किन कारणों से आई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) चामों और खालों के निर्यात में, जिसमें ब्रिटेन को कमाई हुई खालों का निर्यात भी शामिल है, कुछ कमी हो गयी है।

(ख) भारतीय चाम और खालों का चमड़े के निर्मातागण कच्चे माल के रूप में इस्तैमाल करते हैं। ब्रिटेन तथा अन्य देशों की आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ जाने के कारण खरीदारों में कम खरीदने की प्रवृत्ति आ गयी और उन्होंने खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सूची कम कर दी है।

पत्र-पत्रिकायें

†**१७६२. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस समय कौन-कौन सी पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित करती है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक की कितनी कितनी प्रतियां छपीं और कितनी बिकीं ; और

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक पर कुल कितना व्यय हुआ और प्रत्येक पर कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं (जिनमें रेडियो सम्बन्धी पत्र शामिल नहीं हैं) के विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारी

†१७६३. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक सी ही परिस्थितियों में और एक सी ही शर्तों पर रखे गये डिग्रीधारियों और डिप्लोमाधारियों के वेतन-क्रमों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस अन्तर को दूर करने वाली है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य इंजीनियरिंग के उन डिप्लोमा और डिग्रीधारियों के वेतन-क्रमों से है जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शन अफसरों के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद का वेतन-क्रम रुपये १००—८—१४०—१०—२०० का है और उपर्युक्त दोनों श्रेणियों—डिग्रीधारियों और डिप्लोमाधारियों—के लोगों को इस पद पर नियुक्त होने पर यही वेतन-क्रम दिया जाता है। इस प्रकार इन कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन डिग्रीधारियों को उनकी उच्चतर अर्हताओं के कारण इसी वेतन-क्रम में १६० रुपये आरम्भिक वेतन दिया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शाल्डीन-सीरियन बैंक लिमिटेड[1] त्रिचूर

†१७६४. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में त्रिचूर के शाल्डीन-सीरियन बैंक के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के विवाद के सम्बन्ध में कोचीन के समझौता-अधिकारी[2] का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) इस मसले पर विचार किया जा रहा है।

हड्डी दलित्र[3]

†१७६५. **श्री नाथ पाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चमड़ा उतारने वाले केन्द्रों के लिये हड्डी दलित्रों के निर्माण और संभरण का एकाधिकार बम्बई की एक गैर-सरकारी इंजीनियरिंग फर्म को मिला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक हड्डी दलन यूनिटों के चमड़ा उतारने वाले केन्द्रों को कुल कितने हड्डी दलित्रों का संभरण किया गया है और उन में से कितने अपनी शक्तिभर कार्य कर रहे हैं और क्या उनका कार्य संतोषप्रद रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chaldean-Syrian Bank Ltd.

[2]Conciliation officer.

[3]Bone Digesters.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं। आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विवरणों के दलित्रों के निर्माण के लिये आयोग ने चार इंजीनियरिंग की फर्मों को मान्यता प्रदान की है। यदि अनुमोदित विशिष्ट विवरण के अनुसार और कोई फर्म भी दलित्रों का निर्माण करने के लिये राजी हो तो आयोग उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिये तैयार है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अब तक कुल लगभग ४०० दलित्रों का संभरण किया गया है। हड्डी दलित्रों की क्षमता और कार्य के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कागज

१७६६. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अखबारी कागज के अतिरिक्त कागज की कितनी मांग है;

(ख) देश की मिलों से उक्त कागज की कुल आवश्यकता में से कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है;

(ग) १९५७-५८ में कुल कितने मूल्य का कागज विदेशों से मंगाया गया ;

(घ) क्या भारतीय कागज विदेशों को निर्यात किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो कितने मूल्य का ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लगभग ३,००,००० टन की।

(ख) लगभग ८४ प्रतिशत।

(ग) ५४९.२० लाख रु० का।

(घ) और (ङ). १९५७-५८ में ७५.६१ लाख रु० के मूल्य का कागज विदेशों को निर्यात किया गया।

ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनायें

†**१७६७. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतान का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना योजना के अधीन ६ गवेषणा व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). ग्राम्य गृह-निर्माण के सिलसिले में गवेषणा, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आरम्भ करने के लिये ६ इंजीनियरिंग संस्थाओं में नये केन्द्रों की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है। मोटे तौर पर, इन केन्द्रों के कृत्यों में ये कृत्य भी शामिल होंगे :

(१) स्थानीय इमारती सामान के बेहतर इस्तेमाल के बारे में गवेषणा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ग्राम्य गृह-निर्माण के लिये निर्माण विधि में सुधार; और

(३) ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना योजना के अधीन ग्राम्य गृह-निर्माण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में लगे प्रविधिक कर्मचारियों का अल्प-कालिक प्रशिक्षण और पुनरनुस्थापन ।

जन-सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति

†१७६८. **श्री कुमारन्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की जन-सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति द्वारा नियुक्त की गयी उप-समितियों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य सुझाव और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने उन पर विचार कर लिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) तीनों उप-समितियों के प्रतिवेदनों की प्रतियां लोक-सभा पटल पर रखी जाती हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-१२७६/५६]

(ग) इन प्रतिवेदनों पर जन-सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति की अगली बैठक में, जिसकी तारीख अभी तय होनी है, विचार किया जायेगा ।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†१७६९. श्री **दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू नंगल के नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स में कितने सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त किया गया है; और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ५२ ।

(ख) १ ।

छातों का निर्यात

†१७७०. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कुल कितने सम्पूर्ण छातों का निर्यात किया गया; और

(ख) इनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जनवरी-नवम्बर, १९५८ में ३६५४ दर्जन का निर्यात किया गया । दिसम्बर, १९५८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मुख्यतः अदन, टांगानीका, न्यासालैण्ड, अफगानिस्तान, फीजी द्वीप-समूह, कीनिया, रोडेशिया, बेल्जियम कांगो और ट्रूशियल ओमान को ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विवाद तथा तालाबन्दियां

†१७७१. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के नवम्बर और दिसम्बर में और १९५९ के जनवरी महीनों में देश भर में प्रत्येक राज्य में कुल कितने औद्योगिक विवाद और तालेबन्दी की घटनायें हुईं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: अपेक्षित जानकारी शिमले की श्रम ब्यूरो के निदेशक नियमित रूप से भारतीय लेबर गजट में प्रकाशित करते हैं। गजट के नवीनतम (१९५९ के जनवरी) अंक के अनुसार नवम्बर, १९५८ में आंन्ध्र से १ औद्योगिक विवाद की, आसाम से ३ की, बिहार से ८ की, बम्बई से २४ की, केरल से ७ की, मध्य प्रदेश से १ की, मद्रास से २७ की, मैसूर से ८ की, उड़ीसा से १ की, पंजाब से ४ की, राजस्थान से ३ की, उत्तर प्रदेश से ६ की, पश्चिम बंगाल से ३१ की और दिल्ली से ४ की सूचना आयी थी। इस अवधि म पश्चिमी बंगाल ने ६ तालाबन्दियों की, बम्बई ने ३ की, मद्रास ने २ की और मैसूर ने १ की सूचना दी थी।

दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ सम्बन्धी आंकड़े गजट में यथासमय प्रकाशित हो जायेंगे।

ल्हासा (तिब्बत) में सम्पत्तियों का अधिग्रहण

†१७७२. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ल्हासा (तिब्बत) में कुछ सम्पत्तियां अधिगृहीत करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संघ सरकार ने अन्य देशों में भी सम्पत्तियां अधिगृहीत की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ये किन-किन देशों में अधिगृहीत की गयी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) हमारे महावाणिज्य दूत के निवास और कार्यालय के लिये ५,५०० वर्ग फुट भूमि और उसके ऊपर बने भवनों को पट्टे पर लेने के सम्बन्ध में बात चीत चल रही है।

(ग) जी हां।

(घ) सम्पत्तियों के ब्यौरे और जिन देशों में ये सम्पत्तियां अधिगृहीत की गयी हैं उनके नामों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१**]

स्विट्जरलैण्ड के साथ व्यापार

†१७७३. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में भारत और स्विट्जरलैण्ड के बीच कुल कितना व्यापार हुआ; और

(ख) स्विट्जरलैण्ड से व्यापार-सम्बन्धों को दृढ़तर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५७–५८ में और १९५८–५९ के प्रथम आठ मास (अप्रैल-नम्बर, १९५८) के, जिनके सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, दौरान में भारत और स्विट्जरलैण्ड के बीच हुए व्यापार के आंकड़ों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) विशेष रूप से स्विट्जरलैण्ड से भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये की गयी कार्यवाही का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

स्विट्जरलैण्ड के साथ भारत का व्यापार

(कीमत लाख रुपयों में)

	१९५७–५८	१९५८–५९ (अप्रैल-नवम्बर)
स्विट्जरलैण्ड से आयात	१६,५०	६,२९
स्विट्जरलैण्ड को निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है)	१,०४	४६
स्विट्जरलैण्ड से व्यापार में भारत का व्यापारिक घाटा	१५,४६	५,८३

नोट : ये आंकड़े अस्थायी हैं और इन में परिवर्तन हो सकता है ।

स्विट्जरलैण्ड को निर्यात बढ़ाने के लिये की गयी कार्यवाही ।

१. जेनेवा में एक व्यापारिक केन्द्र व शोरूम चलाया जा रहा है । यह केन्द्र स्विस बाजारों में भारतीय माल का प्रचलन कराने के लिये चलाया जा रहा है ।

२. टी बोर्ड नमूने और उपहार के रूप में भारतीय चाय के पैकेट भेजकर प्रचार कर रहा है । तम्बाकू के बारे में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ।

३. एक स्विस स्टोर के साथ मिल कर भारतीय सामान की एक लघु-प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगार

†१७७४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों के १९५७–५८ और १९५८–५९ के चालू रजिस्टरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने ग्रैजूयेट, इंटर पास और मैट्रिक पास बेरोजगार व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे ; और

(ख) उक्त अवधि में इन में से कितने व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था कर दी गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) यह जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ग	३१-१२-१९५७ को चालू रजिस्टर में		३१-१२-१९५८ को चालू रजिस्टर में	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
ग्रैजुयेट	५१	—	४२	—
मैट्रिक पास (जिनमें इंटर-पास लोग भी शामिल हैं)	१,०२१	६	१,०७५	१
जोड़:	१,०७१	६	१,११७	१

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में नयी फैक्टरियों के लिये लाइसेंस

†१७७५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन नये कारखाने चालू करने के लिये १९५६, १९५७ और १९५८ में पंजाब राज्य के कितने व्यक्तियों ने उन के मंत्रालय के विकास अनुभाग को अपने आवेदन-पत्र भेजे थे; और

(ख) उनमें से कितनों को नये कारखाने चालू करने की अनुमति दी गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	प्राप्त अर्जियों की संख्या	लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा अनुमोदित अर्जियों की संख्या
१९५६	*३७	१५
१९५७	४१	२०
१९५८	४१**	१२

†मूल अंग्रेजी में

*इसमें रोलिंग मिलों सम्बन्धी अर्जियां नहीं। चार राज्यों अर्थात् बिहार, आन्ध्र, आसाम और केरल के एक एक कारखाने के अलावा देश पर के लिये ऐसे कारखानों की स्थापना की अर्जियां नामंजूर कर दी गयी थीं ।

**इन ४१ में से २१ विचाराधीन अर्जियों पर १९५९ में विचार किया जायेगा ।

आंध्र में स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों की योजनायें

†१७७६. **श्री म० वें० कृष्णराव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन भेजा है कि स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के कार्यों को अलग अलग गांवों में जल संभरण सम्बन्धी योजनाओं तक ही सीमित रख कर १९५९–६० तक जारी रखने का निश्चय किया गया है । राज्य सरकारों को इस बात की सूचना दे दी गयी है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार

†१७७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों में लाभप्रद योजनाओं की व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना इस समय किस अवस्था में है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). सरकार स्वयं ही पिछले ३/४ वर्षों से एक योजना क्रियान्वित करती आ रही है जिसके अधीन उपक्रमी व्यक्तियों को (जिनमें विस्थापित व्यक्ति भी शामिल हैं) विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है । लगभग ११९ लाख रुपयों की लागत की १७३ योजनायें तो मंजूर भी की जा चकी हैं और आशा है कि इन में पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के १५,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का ब्रज में पुनर्वास

†१७७८. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का ब्रज में पुनर्वास कराना संभव है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि ब्रज में खेती और कुटीरोद्योग आरम्भ करने के लिये उपयुक्त स्थान मौजूद है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). भारत सरकार को पता नहीं कि ब्रज में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की गुंजायश है या नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में खेती या कुटीरोद्योग में पुनर्वास कराने का कोई प्रस्ताव सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० एम० आर० जयकर का निधन

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : माननीय सदस्यों ने आज के समाचारपत्रों में डा० एम० आर० जयकर के देहान्त का दुःखद समाचार पढ़ा होगा । डा० जयकर का ८६ वर्ष की आयु में कल देहान्त हो गया । वह बड़े विद्वान तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और उनमें से हरेक में प्रतिष्ठा पाई । १९१६ से वह सार्वजनिक जीवन में आये और बम्बई विधान परिषद् में स्वराज्य दल के नेता बने और बाद में केन्द्रीय विधान सभा तथा संविधान सभा के सदस्य भी रहे । वह अपने समय के बड़े सुप्रसिद्ध वकील थे और बाद में फ़ेडेरल कोर्ट के न्यायाधीश तथा प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य नियुक्त किये गये । अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वह पूना विश्वविद्यालय की सेवा में लगे रहे, जिसके वह संस्थापक थे और जिसके वह कितने ही वर्षों तक उपकुलपति रहे थे । हमें उस महान, विद्वान, गुणवान व्यक्ति और एक उच्च कोटि के वक्ता के देहान्त का बड़ा शोक है । उन्होंने देश की ४० वर्षों से अधिक तक सेवा की । मेरा आप से अनुरोध है कि आप डा० जयकर के देहान्त पर उनके शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति और समवेदना पहुंचा दें ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं डा० जयकर के निधन पर शोक प्रकट करने में माननीय मंत्री के साथ हूं । जब से उनका पूना विश्वविद्यालय से सम्बन्ध स्थापित हुआ तब से मेरा उनके साथ काफ़ी निकट सम्पर्क रहा था । हम सभी जानते हैं कि १९१५ से, सेवानिवृत्ति तक के अपने राजनैतिक जीवन में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनाया । जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया वह बड़े विद्वान, तथा प्रसिद्ध वकील थे । उनके राजनैतिक जीवन में वह कठोरता नहीं आ पाई थी जो राजनीतिज्ञों में प्रायः आ जाती है । उनकी जीवनी से लगभग आधी शताब्दी की देश की घटनायें हमारे सामने आ जाती हैं । डा० जयकर की मृत्यु से समस्त देश को, विशेषतः महाराष्ट्र को जो हानि हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री का समवेदना प्रकट करने में साथ देता हूं । डा० जयकर बड़े भारी विद्वान, शिक्षाशास्त्री थे तथा उन्होंने अपने समस्त जीवन में देश की सेवा की । मुझे विश्वास है कि शोकग्रस्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी । माननीय सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहें ।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : आज के समाचारपत्र में सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के संशोधन प्रकाशित हुए हैं । माननीय गृह-कार्य मंत्री उसके लिये बधाई के पात्र हैं । समाचार-पत्रों में ये नियम भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को इस विषय में कोई जानकारी चाहिये थी तो उसके लिये पूर्वसूचना देनी चाहिये थी । इस प्रकार से सभा का समय नष्ट करना अनुचित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पटसन के मूल्यों का गिरना

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा पटसन के मूल्य के गिरने के सम्बन्ध में दी गयी ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में ८ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये वक्तव्य को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२**]

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : मैं चलचित्र अधिनियम १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १२७८/५९**]

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे रोहतक के सुपरिंटेंडेंट पुलिस से १० मार्च १९५९ का यह तार मिला है :—

"मुझे आपको यह बताना है कि सब-इंस्पैक्टर मेहगां राम, स्टेशन आफीसर पुलिस स्टेशन, नगर रोहतक ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५४ के अधीन अपने अधिकारों के अनुसार १४.१५ बजे रोहतक की ज़िला अदालत में अवैध सभा में शामिल होने के अपराध में चौधरी प्रताप सिंह दौलता को गिरफ्तार कर लिया है । इस समय वह पुलिस स्टेशन नगर, रोहतक, की पुलिस की हिरासत में है और मुकदमे के लिये आज रोहतक के अतिरिक्त ज़िलाधीश के न्यायालय में उन्हें पेश किये जा रहा है ।"

सदस्य को सज़ा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे रोहतक के सुपरिंटेंडेंट पुलिस से १० मार्च १९५९ का एक और तार मिला है । तार इस प्रकार है :—

"चौधरी प्रताप सिंह दौलता, सदस्य—लोक-सभा, को आज मुकदमे के लिये रोहतक के अतिरिक्त ज़िलाधीश के सामने पेश किया गया था । उन्होंने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ के अधीन ज़िला अदालत, रोहतक में अवैध सभा में शामिल होने का अपराधी पाया और दो मास की सादी कैद और २०० रुपये जुर्माना अथवा जुर्माना न देने पर एक मास की और सादी कैद की सजा दी । उनको ज़िला जेल, रोहतक में 'ए' श्रेणी में रखा गया है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सरकारी समवायों के प्रतिवेदनों के बारे में घोषणा

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। सभा को पता है कि समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अधीन सरकारी समवायों के प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। अब तक यह व्यवस्था है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाने के बाद ही सदस्यों में परिचालित किये जाते हैं, हालांकि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत समवाय के अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक होते ही उसका वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हो जाता है। और उसके अंश समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिये उद्योग मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि समवायों की वार्षिक सामान्य बैठकों के होते ही निदेशक बोर्ड सीधे ही संसद् सदस्यों को इन प्रतिवेदनों की प्रतियां भेज दिया करे, और उसके बाद औपचारिक रूप से उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाये। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में सरकारी समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक सामान्य बैठक के पश्चात् सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व सदस्यों को भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी समवाय इन प्रतिवेदनों की दस प्रतियां भी संसद् की पुस्तकालय को भेज दिया करें।

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्रीमान्, पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा पर गोली चलाये जाने की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की चिन्ता को मैं अच्छी तरह समझती हूं। प्रधान मंत्री ने २३-२-१९५९ को एक स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे जाने के समय, तथा २६-२-१९५९ को तारांकित प्रश्न के अनुपूरकों का उत्तर देते हुए पाकिस्तानियों द्वारा बिना कारण गोली चलाये जाने के बारे में कुछ सूचना दी थी। मैं अब निम्नलिखित बातें और बताती हूं।

आसाम सीमा पर हाल ही में दो क्षेत्रों में गोलियां चलाई गई थीं। वे क्षेत्र हैं (क) पथरिया वन तथा (ख) आसाम में जिला कछार में करीमगंज के पश्चिम के गांव। पथरिया वन में पिछले दो सप्ताहों में हरताकि टिल्ला तथा आदम टिल्ला की ओर गोलियां चलाई गईं। सभा को याद होगा कि पाकिस्तान ने ६-२-१९५९ को पथरिया वन में गोलियां चलानी शुरू की थीं। २८-२-१९५९ को हरताकि टिल्ला सीमा पुलिस चौकी पर एक भारतीय कांस्टेबल मारा गया तथा आदम टिल्ला पर एक दूसरा कांस्टेबल घायल हो गया था। सम्पत्ति की हानि का कोई समाचार नहीं मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

करीमगंज के पश्चिम के गांवों में पाकिस्तानी गोलियां महिशासन, मदनपुर, लाटू, सुतारकन्डी, जडपेटा, लफासलि, बोरापूंजी तथा कुरीखुला के गांवों की ओर चलाई गईं। यह भारतीय गांव सीमा के निकट हैं जिनमें से कुछ कुशीपारा नदी के तट पर हैं। इस क्षेत्र में १३-२-१९५९ को पाकिस्तानियों ने गोलियां चलानी आरम्भ की थीं जो बार बार चलाई जाती रहीं। २३-२-१९५९ को मैंने बताया था कि एक व्यक्ति मरा तथा दो घायल हुए। इनके अतिरिक्त २६-२-१९५९ को जडपेटा में एक महिला पाकिस्तानी गोली से घायल हो गई तथा ४-३-१९५९ को मदनपुर में सुरक्षा दल का एक सिपाही भी घायल हो गया था। २८-२-१९५९ को रतनपुर गांव में तीन पाकिस्तानी सैनिकों तथा एक असैनिक ने एक भारतीय राष्ट्रजन, नामशूद्र के घर पर हमला किया, गांव के निवासियों को मारा पीटा, और १७०० रुपये लूटे तथा दो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को अपराधियों को दण्ड देने के लिये, लूटा हुआ धन लौटाने के लिए तथा घायलों को प्रतिकर देने के लिये लिखा है। हमने कराची में अपने उच्चायुक्त को भी मामला उठाने को कहा है। सम्पत्ति की हानि के बारे में कोई अन्य सूचना नहीं मिली है।

कछार तथा सिलहट के उप आयुक्तों ने युद्ध विराम की व्यवस्था की और ८-३-१९५९ से समस्त कछार सीमा पर गोली चलनी बन्द हो गई है।

उपरिलिखित दोनों क्षेत्रों में से कहीं भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया गया है; आवश्यकता होने पर भारतीय सेना ने उत्तर में गोलियां चलाईं।

पाकिस्तानी सीमा सेना द्वारा बार-बार इस प्रकार की आक्रामक कार्यवाहियां किए जाने की ओर पाकिस्तानी सरकार का कई बार ध्यान दिलाया गया है। प्रधान मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रकार के गोली काण्ड से किसी देश को फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी नेताओं ने भी यही बात कही है लेकिन गोली वर्षा बराबर हो रही है। इन परिस्थितियों में जबकि हमें सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को होने वाली हानि और असुविधा का बड़ा खेद है, फिर भी हमें सभी प्रकार की ऐसी कार्यवाही करनी हैं जिससे हमारी सीमा और सीमा पर रहने वाले हमारे नागरिक सुरक्षित रहें और इसके लिये पूर्ण व्यवस्था है।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। श्रीरामेश्वर टांटिया अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : श्रीमान् मैं इस समय उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज जहां एक स्थान पर बिजली से चलने वाले ४ से अधिक करघे हों वहीं उत्पादन शुल्क लगता है और जहां ४ से २५ के बीच में हैं वहां थोड़ा सा शुल्क लगता है। मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने उत्पादन शुल्क से बचने के लिये अपने करघों को इस प्रकार विभाजित कर दिया है कि कहीं पर ४ से अधिक करघे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि बिजली से चलने वाले करघों पर कठोर नियन्त्रण होना चाहिये ताकि कर का अपवंचन न हो सके।

खांडसारी पर उत्पादन शुल्क के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा भी अपना विचार है कि खांडसारी को उत्पादन शुल्क से कुछ छूट दी जानी चाहिये। जिससे उन क्षेत्रों में, जिनमें चीनी मिलें नहीं हैं गन्ना उत्पादकों का गन्ना उठाने का उत्साह कम न हो जाये। मेरा यही अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वर टांटिया]

चाय का निर्यात करने पर दो नये पैसे की छूट उत्पादन शुल्क में दी गई है । परन्तु साधारण चाय की बात कुछ दूसरी है । आज साधारण चाय पूर्वी अफरीका, इंडोनेशिया, लंका तथा चीनी में भी उगाई जाती है । चाय के निर्यात से १३९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमें मिलती है जिसमें से ५० करोड़ रुपये साधारण चाय पर ही मिल जाते हैं । इसलिये हमें इस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए अन्यथा आज ११ चाय के बाग तो बन्द हो ही चुके हैं और अधिक बन्द हो जायेंगे । हमें आसाम राज्य से कह कर कम से कम चाय पर लिया जाने वाला सड़क कर या वहन कर अवश्य कम करा देना चाहिए ।

विभाजन से पूर्व हम पटसन की ३२ लाख गांठों का उत्पादन करते थे । कृषि मंत्रालय प्रचार के कारण आज मेस्टा का उत्पादन ७० लाख गांठें हो गया है लेकिन हमारी पटसन मिलें केवल ६३ लाख गांठों का ही उपयोग कर पाती हैं । इस वर्ष जबकि अन्य वस्तुओं के दाम चढ़े हैं पटसन के दाम इतने गिरे हैं जितने पिछले २० साल में नहीं गिरे थे । इस बारे में बिहार विधान सभा सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन भेजा है और उन्हें उत्पादकों तथा व्यापारियों की स्थिति से परिचित कराया है । मेरा विचार है कि पटसन का और अधिक निर्यात किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त निर्यात किये जाने वाले पटसन पर कुछ समय पहले जो शुल्क लगा था, वह अगर उगाहा नहीं गया है तो कम से कम कागज़ पर चले जा रहा है । कृपा करके उसे अभी न लगायें क्योंकि इसको न लगाने से लगभग २ लाख मजदूरों तथा किसानों का लाभ हो जायेगा और वह अधिक पटसन उगा कर उसका निर्यात करेंगे जिससे सरकार को अधिक लाभ होगा ।

यद्यपि माननीय वित्त मन्त्री ने प्रतिरक्षा व्यय २४ करोड़ रुपये कम कर दिया है परन्तु मैं समझता हूं कि इसको अभी और कम किया जा सकता है । जैसा श्री रघुनाथ सिंह ने कहा, हमें पुराने जहाजों को खरीद कर रुपया बरबाद नहीं करना चाहिये । इस धन को हम अधिक लाभदायक और ठोस कामों में लगा सकते हैं ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने असैनिक व्यय की आलोचना की है । मेरा भी अपना विचार है कि असैनिक व्यय बहुत बढ़ रहा है । आज वित्त मन्त्रालय से धन लेकर अन्य मन्त्रालय, इस तरह बरबाद कर रहे हैं जिस प्रकार किसी बूढ़े बाप का कठिन परिश्रम से कमाया धन उसके खर्चीले लड़के उड़ा रहे हों । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्रालय को अन्य मंत्रालयों पर नियन्त्रण रखना चाहिये जिससे असैनिक व्यय कम हो सके । हमें सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहियें जिससे इमारतों, बड़े विभागों तथा सरकारी कर्मचारियों पर कम धन व्यय किया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : अध्यक्ष महोदय, अब बजट पहले की तरह केवल आय-व्यय का लेखा मात्र नहीं रह गया है । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इसके आधार पर हमको योजना को ज्यादा प्रगति देनी है । और योजना का निर्माण इसलिये हुआ है कि हमें एक नये ढंग के समाज का सृजन करना है और वह नया समाज वर्गहीन समाज होगा । तो मैं तो इसी आधार पर बजट पर कुछ कहूंगा कि वर्गहीन समाज की स्थापना करने में हमारी दो योजनायें तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के जितने भी बजट आये, उन सभी ने कितनी प्रगति की है ।

जहां तक प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त करने का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि इस बारे में दोनों ओर से बहुत से मित्रों ने आंकड़े दिये हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि का उत्पादन घटा है । सन् १९४९ में जहां इसका सूचक अंक १०० था वहां पिछले वर्ष वह केवल ११३.४ हुआ, सारी कोशिशों के बावजूद ।

औद्योगिक क्षेत्र के लिये जो कच्चा माल चाहिए उसकी कीमतें कम हुई हैं हालांकि और तमाम चीजों में कमी नहीं हुई है। पिछले दो सालों में उद्योग के क्षेत्र में भी उत्पादन में कमी हुई है। १९५७-५८ में राष्ट्रीय आय दो प्रतिशत घटी और थोक चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। १९५२-५३ में सूचक अंक १०० था, जोकि बढ़ कर ११४.५ हो गया है। लोगों के रहन-सहन के दर्जे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा—उसमें गिरावट आई। उनके खर्चे में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। मार्च, १९५८ में सूचक अंक ११० था और दिसम्बर, १९५८ में वह ११९ हो गया। जहां तक बेकारी का सम्बन्ध है, वह तो सारे देश में रोज़ रोज़ बढ़ रही है। योजना की प्रगति की बात कही जाती है, लेकिन बेकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज़ के रजिस्टरों के आधार पर १९५७ के अन्त में ९.२ लाख बेकार थे, जो कि अब ११.८ हो गए हैं, लेकिन ये आंकड़े देश की बेकारी को पूरी तरह प्रतिविम्बित नहीं करते हैं—वे कुछ हद तक ही उसको प्रतिबिम्बित करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो या तो अपना नाम दर्ज कराते ही नहीं हैं और या दर्ज कराने में असफल हो जाते हैं। इरिगेशन पोटेंशियल सिंचाई साधन के बारे में इरिगेशन मिनिस्ट्री की तरफ से और सब की तरफ से दावे किये गये हैं, लेकिन उसमें भी चालीस लाख एकड़ ज़मीन के लिये पानी की क्षमता बेकार हो गई। मैं इन बातों का ज़िक्र इसलिये कर रहा हूं कि हम देखें कि हम कहां तक अपने देश में एक वर्गहीन समाज बनाने की ओर प्रगति कर पाए हैं। युनाइटिड नेशन्ज़ की टीम चारों तरफ़ घूम कर दिल्ली आई थी और उसने यह आशंका प्रकट की थी कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के कार्यों में कुछ ढील आई है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम उस क्षेत्र में कितने सफल हो पाए हैं यह कहना कुछ कठिन मालूम पड़ता है। छात्रों और शिक्षकों में जितनी निराशा की भावना आज है, उतनी मेरे जीवन में कभी दिखाई नहीं पड़ी थी।

अभी माननीय उप-मंत्राणी जी देश की सरहद की सुरक्षा के बारे में वक्तव्य दे रही थीं। डिफ़ेन्स एक्सपेंडीचर बढ़ाने की बात मैं कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारी सरहदों पर ७५० घंटे गोली चले, तो कम से कम एक मंत्री को ज़रूर उन सरहदों पर घूमते रहना चाहिए था, जब कि हमारी डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री में काफ़ी मिनिस्टर हैं, और उन को अपने व्यक्तिगत ज्ञान की बात वहां बतानी चाहिए थी। हमारे देश में हिम्मत होनी चाहिए और वह है। हमारे देश में हिम्मत का अभाव नहीं है। किसी दूसरे को हमारे देश की सरहदों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कल आचार्य कृपालानी कह रहे थे कि औरतों को सेना में भर्ती न होने दिया जाय। मैं आचार्य जी की ज़रूरत से ज्यादा कद्र करता हूं, लेकिन अभी सरहद पर महिलाओं के बारे में उप-मंत्राणी ने जो कुछ बताया और श्री बरूआ ने जो प्रश्न पूछा, उस को देखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारी महिलायें इतनी शानदार हों कि उन की तरफ़ किसी की आंख उठाने की शक्ति न हो और अगर कोई उन की तरफ़ आंख उठाने की शक्ति करे, तो हमारी महिलाओं में उस की आंख निकाल लेने की ताकत हो। मैं इस आधार पर अपने देश का संगठन चाहता हूं।

मैं ने अभी अपनी योजनाओं की एचीवमेंट बताई है। हमारे बहुतेरे साथियों ने कीमतों की चर्चा की है। मैं ने भी थोड़ी की और होलसेल प्राइसिज़ का और कास्ट आफ़ लिविंग इन्डेक्स का भी हवाला दिया। मैं नहीं चाहता कि बजट में जिस बात का समावेश हो, उस को हमारे वित्त मंत्री रोज़-रोज़ बदलते रहें लेकिन सरकर की तरफ़ से घोषणा हो कि दिल्ली में साढ़े पंद्रह रुपए मन आटा मिलेगा, तो सरकार के सम्बद्ध विभाग को देखना चाहिए कि वह उस भाव पर मिले, नहीं तो उस के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। अगर वह चौबीस और पच्चीस रुपए मन बिकता है, तो उस के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। इतनी क्षमता होनी चाहिए और बजट भी इसी हिसाब से बनाना चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा है कि हम ने योजनाओं की आवश्यकताओं का

[डा० राम सुभग सिंह]

ख्याल कर के यह बजट बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन के साथ ही प्रशासन के अन्य सब कार्य ऐसे ढंग से चलाने के लिए बजट में व्यवस्था करनी चाहिए कि उन में तनिक भी कमज़ोरी न आने पाये और अगर उन में कमजोरी दिखाई देती है, तो उस पर अंकुश लगाने की बात भी बजट में ज़रूर रहे। उस अंकुश का सनावेश बजट में है, लेकिन पूरा नहीं है ।

जहां तक फूड प्राडक्शन का सवाल है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन बहुतेरे साथियों ने प्राइसिज़ के बारे में बताया है कि जमुना पार दूसरे दाम हैं और दिल्ली में दूसरे दाम हैं, पंजाब में एक दाम हैं और बिहार में दूसरे दाम हैं। दामों में इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए और अगर हम इन चीज़ों को रोक सकने में सफल नहीं हो सकते हैं, तो हम को खुद-ब-खुद सोचना चाहिए कि हम इस काम को हाथ में रखें या न रखें ।

इसी तरह से सेविंग्स का सवाल है । यह ज़रूरी है कि हम जनता को इस बारे में उपदेश दें कि वह राष्ट्रीय कार्यों और विकास के कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया बचाए, लेकिन हम को यह भी देखना चाहिए कि जनता से लिए गए एक भी पैसे का दुरुपयोग न होने पाए। मैं चाहता हूं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था हो यदि एक भी व्यक्ति आवाज़ उठाए और कहीं पर किसी दोष को बताए, तो उस की तुरन्त छान-बीन हो और उस की सफ़ाई दी जाये । अगर एक समाधि के बनाने के सम्बन्ध में यहां पर दस बरस तक सवाल आते रहें, तो यह बात कोई क्षमता की द्योतक नहीं है । अगर पार्लियामेंट के मेम्बर यह कहें कि दस रुपए की कुर्सी के दाम चालीस रुपए दिए गए हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए । मैं उदाहरण के तौर पर यह बात कह रहा हूं । यदि सरकार की ओर से इस प्रकार के खर्चे होते हैं, तो सेविंग्ज़ कराने की बात करना एक विरोधी चीज़ मालूम होती है । तेईस, साढ़े तेईस करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं । मैं कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर हिम्मत से काम लिया जाये, मिनिस्टर से ले कर नीचे तक कोशिश करें, तो इतनी रकम बचाई जा सकती है । यदि हम एक क्लार्क से आठ दस घंटे काम की उम्मीद करते हैं, तो मिनिस्टरों और बड़े-बड़े आफ़िसरों से भी यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे दस घंटे बैठ कर ईमानदारी से काम करें और अपना समय, शक्ति और पैसा नाजायज़ कामों में कम से कम लगायें । अगर देश भर के सब दफ्तरों में यह व्यवस्था की जाये और अगर पांच कुर्सियों के बजाय एक कुर्सी रखी जाय और सोफ़ा-सेट के बजाय साधारण कुर्सी रखी जाय, तो आसानी से बाईस, तेईस करोड़ रुपए एक साल में निकाले जा सकते हैं । लेकिन इस के लिए कड़ाई की ज़रूरत है । अगर देश को वर्गहीन समाज की ओर ले जाना है, तो हमें कड़ाई करनी होगी ।

श्री म० प्र० मिश्र (वेगू सराय) : अब तो शासकों का एक नया वर्ग बन गया है ।

डॉ० राम सुभग सिंह : वर्गहीन समाज की मूल कल्पना यह है कि अन्त में शासकों का कोई वर्ग नहीं रहेगा वह धीरे-धीरे विदर आउट कर जायगा । यह आप संक्रमण-काल की बात करते हैं वर्गहीन समाज की नहीं ।

श्री वाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जातिहीन समाज पहले बनना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : साथ-साथ बनना चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह : बाल्मीकी जी ने एक मूल प्रश्न उठाया है । यदि हम देखें कि १९४७ में भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश में जाति-चेतना को ज्यादा प्रश्रय मिला

है या जाति को लोप करने की भावना को ज्यादा प्रश्रय मिला है तो, जहां तक मैं विश्लेषण कर पाया हूं, मैं समझता हूं कि जातीय चेतना को ज्यादा प्रश्रय मिला है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रिज़र्वेशन के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो । हमारे विधान में रिज़र्वेशन की दस बरस के लिए व्यवस्था है । मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे यहां के जितने भी दुर्बल अंग हैं, उन सब अंगों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिये, जाति के नाम पर नहीं बल्कि दुर्बलता के आधार पर, पेशे के आधार पर । हल जो चलाता है, उसको अधिक से अधिक सीटें मिलें । इस आधार पर कि यह ब्राह्मण है या चमार है, संरक्षण नहीं मिलना चाहिये । इस संरक्षण का सवाल यहां पर उठाया भी गया था और इसके उत्तर में होम मिनस्टर महोदय ने कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन है । मैं चाहता हूं कि जहां तक संरक्षण का मामला जाता है, वह केवल पेशे के आधार पर होना चाहिये न कि जाति के आधार पर । अगर कोई मछुआ मछली मारता है और इसी आधार पर कि उसको इस पेशे को करने के लिए संरक्षण मिला हुआ है, वह पार्लियामेंट में आवे लेकिन लौट कर फिर मछली मार कर गुज़ारा करे । इसी तरह से वकील लोग यहां पर आवें या दूसरे लोग आवें । जो भी लोग इस तरह से आवें वे इस आधार पर न आवें कि वे मुसलमान हैं, हरिजन हैं, ब्राह्मण हैं । इस आधार पर, जाति के आधार पर उनको मिनिस्टर, क्लार्क या चपड़ासी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये ।

जहां तक वेज़िस का सवाल है किसी को तो दस हज़ार रुपया मिल रहा है और किसी को पचास रुपया और दस रुपया । इस तरह का जो भेद है यह भी कम होना चाहिये । हमें देखना होगा कि इसमें हम कितनी दूरी तक सफलता अर्चीव कर पाये हैं । इसको भी हम हटा नहीं पाये हैं । वर्ग भेद को हटाने की बात भी इस बजट में आनी चाहिये थी ।

हमारे मसानी साहब ने ब्लडशैड की बात की है, खून खराबे की बात की है । खून खराबे की बात शायद वही लोग करते हैं जिन को इस से होली खेलने का मौका नहीं मिला है । जो लोग कितने ही समय से होली खेलते आए हों, उनको इसका कभी डर नहीं लग सकता है । जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि ब्लडशैड हो जायगा उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं और उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जिन लोगों ने कभी भी हल को कंधे पर नहीं रखा है, कभी गाय बैल नहीं रखे हैं कि वे किसानों के नाम पर खून खराबे की बात करना बन्द कर दें । वे ही किसानों के बारे में बोल सकते हैं जिन्होंने हल को अपने कंधों पर रखा है, जो बैलों को खिलाते हैं, जो गाय को दूहते हैं या और कोई कृषि से सम्बन्धित काम करते हैं या जिन्होंने किया है । मैं चाहता हूं कि बजट का निर्माण भी उस आधार पर हो कि उन लोगों को जो हल पर अपना हाथ नहीं रखना चाहते हैं, हल के बारे में बोलने की बात न आवे ।

सहकारी खेती के बारे में देश में एक प्रकार से तमाशा मच गया है । फिर यह सहकारी ढंग की हो या संयुक्त ढंग की हो किसी और प्रकार की हो । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त सहकार की व्यवस्था हमारे देश में कितनी अधिक है । मेरा एक छोटा सा गांव है । वहां पर थोड़ी बहुत खेती होती है । वहां पर कोई भी काम होता है, उसमें सहकार का अंश अवश्य रहता है । कोई भी काम बिना सहकारी आधार पर नहीं होता है । हमारे घरों में भंवरी कटनी होती है, उसके लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, अपने बैलों से बोनी नहीं होती है, दूसरों से वे लेने पड़ते हैं, मकान बनते हैं, तो सहकारी आधार पर बनते हैं, लड़कियों की शादियों होती हैं, तो उनमें भी सहायता ली जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : सरकार बीच में मत आवे ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे माथुर साहब हों, या मसानी साहब हों—किसी को में व्यक्तिगत रूप में नहीं कहना चाहता, मैं साधारण तौर पर कहता हूं—कि जिन लोगों ने हल पर अपना हाथ नहीं रखा है, वे किसानों के बारे में न बोलें और अगर वे न बोलें तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसानों की जो समस्यायें हैं खुद-ब-खुद हल हो जायेंगी।

अब मैं खांडसारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं दानों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का दान भी नहीं चाहता। दान की मनोवृत्ति मैं समझता हूं देश में नहीं बढ़नी चाहिये। आचार्य जी ने दान की बात भी कही और साथ ही साथ लेजिस्लेट करने की बात भी कही। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, भिक्षा वृत्ति को किसी भी प्रकार का प्रश्रय, मैं चाहता हूं, न दिया जाए। अगर हमने इसको बढ़ावा दिया तो इससे देश में और भी असन्तोष बढ़ेगा। आप सीलिंग की बात भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि सीलिंग हो, बगैर सीलिंग के काम नहीं चल सकता है। जिस के पास दस एकड़ भूमि है मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों की तरह से उसके पास भी दो एकड़ या जितनी भी आप चाहें उसके पास भूमि रह जाए। लेकिन यह जो आधार है यह हम पर भी लागू होना चाहिये जोकि चार सौ या छः सौ रुपया पाते हैं। हमें भी खाने भर के लिए ही मिलना चाहिए। साथ ही साथ यह आधार सभी पर लागू होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कितना बड़ा सीलिंग आप चाहते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं कहता हूं कोई भी आदमी हो, जिस को चार हजार तनख्वाह मिलती है, फिर चाहे वे मैम्बर पार्लियामेंट हो जिसको चार सौ या छ : सौ तनख्वाह मिलती है, सब के लिए एक सिद्धान्त लागू करें, यह नहीं होना चाहिए कि एक के लिए एक सिद्धान्त हो और दूसरे के लिए दूसरा सिद्धान्त, एक के लिए एक स्टैन्डर्ड हो और दूसरे के लिए दूसरा। लेकिन यह देखना भी अपका फर्ज है कि काम करने का इंसैंटिव रहे। मैं इस बात को मानता हूं कि कृषि की जो व्यवस्था आज है, उसको उसी तरह से रखना गलत बात होगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी पूछना चाहता हूं कि आज यह बात क्यों पैदा हुई ? यह बात आज इसलिए पैदा हुई कि कृषि की उन्नति के लिए वे काम नहीं किये गये जो सरकार द्वारा किये जाने चाहिये थे। ज़मींदारी अबालीशन तुरन्त कर दिया जाना चाहिये था, जो बहुत बड़े-बड़े होल्डर्स हैं उनकी ज़मीन को लिया नहीं गया है, जो ईरिगेशन की व्यवस्था की जानी चाहिये थी, वह नहीं की गई, कैटल की नसल का जो सुधार किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया, उनकी जितनी व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। आज आप वनस्पति पर टैक्स लगाने जा रहे हैं और उसके बारे में हल्ला होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस टैक्स के साथ साथ घी का उत्पादन बढ़ाने की बात की जाती ? क्यों नहीं इन सब चीज़ों की तरफ़ ध्यान दिया गया।

आज हम सहकारी खेती की बात करते हैं और इस चीज़ को चलाना चाहते हैं और यह हम इसलिये करने जा रहे हैं कि हम अपने कामों में असफल हो गये हैं और कृषि में सुधार कर पाने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। किसान असफल नहीं हुआ है। यहां पर मैं यह डिसटिंकशन कर देना चाहता हूं कि अगर कोई यह कहता है कि यह असफलता किसान की अकर्मण्यता के कारण हुई है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। असफलता हुई उन लोगों की ओर से जिन को कृषि का काम बढ़ाने के लिए ज़रिये प्रदान करने चाहिये थे।

आज यहां यह कहा गया है कि दौलताना साहब को पंजाब में एरेस्ट कर लिया गया है। मैं इस बात में जाना नहीं चाहता हूं कि यह चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। वहां पर बैटरमेंट

नवी का सवाल है और कहा जा रहा है कि कम्पाउंड इंटिरेस्ट नहीं लेना चाहिये । फर्क इतना है कि यहां पर कम्युनिस्ट एरेस्ट होते हैं और मैं अपनी कंसिट्टयुएंसी में ११ लाख या १२ लाख छोड़ आया हूं और इसलिए छोड़ आया हूं कि यह किसानों की भलाई की चीज है, वाजिब चीज है । अगर जितने भी कृषि के बारे में काम होने चाहिये थे वे कर दिये जाते तो हमारा उत्पादन अवश्य बढ़ा होता । छोटी-छोटी अडचनें भी सामने आती हैं और अगर उनको भी सरकार ने हल कर लिया होता उनको भी दूर कर दिया होता तो हमें सफलता मिल सकती थी ।

मैं वर्ग संघर्ष की बात कर रहा था । शिक्षा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में अगर संरक्षण की बात चलती है तो इस से जातीय चेतना को बहुत अधिक प्रश्रय मिलता है । यह चीज बढ़ी है, कम नहीं हुई है । मैं चाहता हूं इस की रोकथाम हो । पेशे पर संरक्षण होना चाहिये । वर्ग सहयोग के आधार पर हम लोगों का बहुत सा काम चलता आया है और वह चलते रहना चाहिये । आज भी वह चलता है और किसी छोटे से क्षेत्र में ही नहीं चलता दुनिया में चलता है और मैं चाहता हूं लोगों में सहयोग की भावना बढ़नी चाहिये और भेद की जो भावनायें हैं, उन का लोप होना चाहिये ।

खांडसारी की बात टांटिया जी ने कही । मैं भी चाहता हूं कि खांडसारी मुक्त होवे । यह सही चीज है। मान लीजिये कि किसान ऊख पैदा करता है और वह गुड़ बनाता है। किसी दूसरी जगह पर चीनी की फैक्टरी है। अब इन दोनों के सुरक्षित क्षेत्र रहते हैं। शूगर फैक्टरी के लिये जो क्षेत्र सुरक्षित है, जो क्षेत्र उस के अन्तर्गत आता है, वहां के किसान गुड़ नहीं बना सकते हैं, उन को ऊख को फैक्टरी को देना ही पड़ेगा । मिल के रिजर्वेशन के बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर जो लोग ऊख पैदा करते हैं वे जो चाहें उस का बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, खांडसारी बना सकते हैं । चीनी की फैक्टरी जहां पर होती हैं उस के लिये यदि यह निश्चित कर दिया जाये कि जिस क्षेत्र में वह पड़ती है उस क्षेत्र से सब के सब लोग नहीं तो कम से कम ७० परसेंट ऐसे आदमियों को रखा जायेगा उस मिल में जो उसी क्षेत्र के हों, तो असन्तोष नहीं होगा । लेकिन आज चीनी की फैक्टरी खोली जाती है और जो लोग रखे जाते हैं उन में से ७० परसेंट उन लोगों को रखा जाता है जो दूसरे क्षेत्रों के होते हैं । इस से स्वभावतः गड़बड़ी पैदा होने लगती है ।

आप चीनी का उत्पादन बढ़ाना चहते हैं, उस का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं । मैं सहमत हूं इस बात से कि अधिक से अधिक चीनी का एक्सपोर्ट होना चाहिये । लेकिन उन किसानों का भी ख्याल रखा जाना चाहिये जिन का सदा से यही रोजगार का जरिया है। वे दो क्राप्स उगाते हैं, कैश क्राप और खाद्य पदार्थ जो ऊख है, जो गन्ना है वह कैश क्राप है । इन्हीं पर उन की रोजी निर्भर करती है । उन को इस की छूट होनी चाहिये कि जहां चाहें वे इस को बेचें । वे चाहें तो खुद राब बना लें, उसको खुद बेच लें । मैं जानता हूं कि सल्फिटेशन वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं, चाहें वे नाम के लिए खांडसारी की फैक्ट्रियां हों, उन पर टैक्स लगें । दूसरी तरह की जो यूनिट्स हैं वे चाहे तीन हार्स पावर की या पांच हार्स पावर की, इनके बारे में आप टैक्स की दरों को दोहरायें या न दोहरायें—इसके बारे में मैं कोई याचना नहीं करता हूं—लेकिन किसानों के दिमाग में यह बात खटकती है कि इन पर कर लगने से मील मालिकों का एकाधिकार हो जायगा । इस साल तो ऐसा है कि दो अधिकारी हैं इसलिये कोई चिन्ता नहीं है । जिस दिन एकाधिकार होगा उस दिन देखना होगा । जिस दिन आप मिल मालिकों को एकाधिकार देंगे उस दिन का सवाल है । आप भले ही खंडसारी को नेस्तनाबूद कर दें, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन शूगर फैक्टरीज को फौरन ही नैशनेलाइज कर दीजिये । इसी तरह से डीजल आदि का भी सवाल है या और जो तेल हैं उन की भी रिफानामी का सवाल है । इन सब बातों को मैं इस वास्ते रख रहा हूं कि अगर आप सचमुच बजट को एफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आज जितने भी भेद हैं—आज तरह तरह के भेद नजर आते हैं—उन

[डा० राम सुभग सिंह]

सब भेदों को खत्म कर के हम एक ढंग के समाज को बनाने की ओर बढ़ें। आज तक हम उस ओर कम बढ़ पाये हैं। मेरा यही कहना है।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : इस आयव्ययक की करारोपण प्रस्थापनाओं का व्यापारिक संस्थाओं तथा घरेलू सामानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस संबंध में अनेक माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। अत : उन बातों को न ले कर मैं आयव्ययक के समग्र आर्थिक प्रभाव की चर्चा करूंगा।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट व्याख्या दी है। पर कुछ बातों के हल के सम्बन्ध में उन्हों ने कोई उपाय नहीं बताया है। आगामी कार्यक्रम की जो रूपरेखा उन्हों ने उपस्थित की है वह बहुत अस्पष्ट तथा लड़खड़ाती हुई है। माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि विकास की गति में काफी मन्दी आ गई है। केवल औद्योगिक विकास के दर में ही ८ प्रतिशत से ३$^{१}/_{२}$ प्रतिशत की कमी नहीं हुई है बल्कि वर्ष १९५७–५८ में राष्ट्रीय आय में भी २ प्रतिशत की कमी रही है। इस के कारण क्या थे इस के बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

विनियोजनों के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा ४७ में अन्तिम वाक्य में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है और हम सब उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कि पहले के वर्षों में हम जिस दिशा में जा रहे थे उस से बिल्कुल विपरीत दिशा में अब हम जा रहे हैं। १९५९–६० में १९५८–५९ की अपेक्षा पूंजी निर्माण कम होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है और जो आर्थिक समीक्षा हमें दी गई है, उस में भी कहा गया है कि कुछ अवरोधक व प्रतिसंतुलनकारी कार्यवाही की जायेगी। मैं पूछता हूं कि मूल्यों को नियंत्रणाधीन रखने के लिये क्या व्यवस्था है तथा क्या कार्यवाही की गई ? इस सम्बन्ध में हमें अनेक बातों पर चर्चा करनी है क्योंकि इस के कारण अनेक अनुचित बातें हो गई हैं।

पिछले दो या तीन वर्षों में हमारे औद्योगिक विकास की गति संसार के देशों से आगे थी। संसार के अन्य देशों की औसत प्रगति लगभग ६ प्रतिशत थी जब कि हमारी प्रगति ८ प्रतिशत थी। पर अब हमारी स्थिति काफी नीचे गिर गई है। चीन, रूस, स्वेडन, जापान आदि के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को पता ही होगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी प्रगति में इस प्रकार कमी होने का क्या कारण है ? यह स्थिति हमारे जैसे कृषि प्रधान देश के निम्न स्तर के लोगों के लिये बहुत ही खतरनाक है। अभी आज सुबह योजना मंत्री द्वारा आमन्त्रित परामर्शदाता समिति में दो परस्पर बातें कही गयीं—(१) गांवों के बेकार या अर्द्ध-बेकार लोगों को रोजगार देने के लिये कुछ उपाय किये जायें और (२) गांवों में श्रमिकों की कमी है। इन दोनों बातों में कोई समन्वय नहीं है। स्पष्ट है कि हमारे सामने एक बड़ा संकट है।

सहकारी खेती अच्छी है या बुरी इस संबंध में मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। मैं बता रहा था कि १९५७–५८ में राष्ट्रीय आय में २ प्रतिशत की कमी रही। पर सरकारी राजस्व राष्ट्रीय आय से १ प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ। इस संबंध में माननीय सदस्यों में जो प्रतिक्रिया है उसे मैं समझता हूं। चीन का उदाहरण लीजिये। वहां भी १९५० और १९५७ के बीच राष्ट्रीय आय से ११ प्रतिशत अधिक धन विनियोजन में लगाया गया और देश की खपत के लिये १० प्रतिशत कम पूंजी मिल सकी। इस प्रकार उन्हों ने राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाया। गत १० वर्षों में हमारे देश में राष्ट्रीय उत्पादन में ८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि आप राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाये बिना विनियोजन में अधिक राशि लगायेंगे,

†मूल अंग्रेजी में

तो निश्चय ही हमारे सामने संकट पैदा होगा। अतः हमें विनियोजन कम नहीं करना है अन्यथा हम ऐसे कीचड़ में फंस जायेंगे जिस में हम फंसना नहीं चाहते। चीन ने १९५०--५७ के बीच जितनी प्रगति की है उस की एक तिहाई प्रगति हम ने की है। हम विकास कार्य की अवहेलना नहीं कर सकते। विकास की उच्च दर बनाये रखने के लिये हमें राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना होगा।

रोजगार की व्यवस्था के संबंध में मेरा निवेदन है कि हमें प्रतिमास २ लाख नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिये। हम केवल १ लाख नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में आगे क्या करने जा रहे हैं ?

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि हमें इस आयव्ययक को ऐसा नहीं समझना चाहिये कि वह वित्तीय नीति को स्थिर करने में समर्थ होगा। स्वेच्छा से होने वाले विनियोजनों की कमी होने पर यह सरकार का कर्तव्य होता है कि वह विनियोजन बढ़ाये। पर इस से संसाधनों की समस्या पैदा होती है।

मेरा निवेदन है कि हमें देश के भीतर के संसाधनों की ओर अधिक जोर देना चाहिये। दूसरी योजना को बनाते समय देश की आय की प्रणाली की धारणा को हम ने बदल दिया। योजना के पूर्व के काल में देश की धन-आय को सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। प्रथम योजना में हम ने यह अनुपात ५२ और ४८ का रखा। दूसरी योजना में हमारा इरादा इसे ६१ और ३९ के अनुपात में लाने का था। पर इस में कठिनाई क्या है ? इस के परिणामों का असर बहुत दूर तक पड़ेगा। जब यह धन-आय जब सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित की जायेगी तो हमें ७३ प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र को देना होगा यदि हम ६१ और ३९ वाले अनुपात के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यहीं पर करारोपण नीति का प्रश्न पैदा होता है। व्यापारियों, कृषकों तथा मध्य वर्ग की कुछ आय होती है। मैं पहले बता चुका हूं कि यदि हम राष्ट्रीय आय को कम होते जाने देंगे तो हम विनियोजन की दर को बढ़ा नहीं सकते। किसी भी योजना को स्वीकार करने के बाद उस के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का हमें सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। जब हम यह तय कर चुके हैं कि हमें समाज का समाजवादी ढ़ाचा तैयार करना है तो आप यह क्यों कहते हैं कि सब धन-आय का एक बहुत बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र में जायेगा। मैं इस बात का मतलब नहीं समझता। एक बार एक नीति निर्धारित करने के बाद हमें उससे पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि हम किसी विशेष नीति को अपनायें या न अपनायें। पर एक बार किसी नीति को अपनाने के बाद हमें उस के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

गत १० वर्षों में देश के आन्तरिक संसाधनों में राजस्व में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर वाणिज्यिक विभाग से जो राजस्व मिला है उस में कोई वृद्धि नहीं हुई है औद्योगिक उपक्रमों में हम ने ४०० करोड़ रु० का विनियोजन किया है पर उस से हमें १०० रुपये में ४ आने के बराबर लाभ हुआ है। मेरा अभिप्राय यही है कि इन की आय में भी वृद्धि होनी चाहिये। हम सरकारी क्षेत्र को समाप्त तो नहीं कर सकते पर हमें इस से भी तो लाभ कमाना है, यदि हमें देश में विकास तथा उन्नति करना है।

आयकर के सम्बन्ध में गत वर्ष भी मैं ने कहा था और इस वर्ष भी उस प्रश्न को उठा रहा हूं। १९५७-५८ में इस से १५५·५ करोड़, १९५८-५९ में १५२·४ करोड़ की आय हुई और १९५९-६० में १५५·९ करोड़ की आय का अनुमान आयव्ययक में है। मैं पूछता हूं कि इसका क्या कारण है? आयकर में वृद्धि क्यों नहीं होती ? हमें कोशिश कर के जानना चाहिये कि इस की व्यवस्था में क्या त्रुटि है जिस से आय-कर की वृद्धि नहीं हो पाती। १९५१ से १९५७-५८ के बीच आय कर तथा निगम कर की निर्धारित आय से ७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर निर्धारियों की संख्या २१·५ प्रतिशत कम हो गयी है।

[श्री अशोक मेहता]

कर राजस्व में ३६प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों से कुल राष्ट्रीय आय के ९ प्रतिशत से कुछ अधिक भाग की प्राप्ति होती है। चूंकि इस में निगम कर भी सम्मिलित है अतः स्पष्ट है कि गैर-सरकारी क्षेत्र म लाभ बहुत कमाया गया। आप देखिये, क्या यह लाभ योजनाबद्ध रूप में विनियोजित किया गया या नहीं? यदि इन का विनियोजन नहीं हो रहा है तो इस का अर्थ है कि देश के संसाधनों की बरबादी हो रही है।

मैं माननीय वित्तमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह समवाय करारोपन के स्वरूप को सरल बनाना चाहते हैं या उसे वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहते हैं। कुछ बातों का, जिनका निर्णय किया गया है, समवायों के संगठन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार वित्तीय छूट देकर हमें समवायों का पोषण नहीं करना चाहिए।

मैं देखता हूं कि लगभग २२८४ निर्धार्य ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय १ लाख रु० या इस से अधिक है। २२९ ऐसे निर्धार्य हैं जिनकी आय आय कर देने के बाद भी १ लाख है। इन लोगों का कहना है कि लगभग ५ लाख आय वाले व्यक्तियों को कुल मिला कर ११८ या १२० प्रतिशत कर देना पड़ता है। यह तो ठीक है पर पूंजी की वृद्धि भी होती है। यदि १½ पर सैंट वार्षिक वृद्धि होती है तो भी कोई व्यक्ति १२० प्रतिशत कर देकर भी गरीब नहीं हो सकता। अतः यदि आप लोगों को कुछ प्रेरणा भी देना चाहते हैं और साथ ही आर्थिक व सामाजिक समानता भी पैदा करना चाहते हैं तो आप को कर के वर्तमान स्वरूप में कोई अन्तर नहीं करना चाहिए।

मैं देखता हूं कि उत्पादन शुल्क का प्रश्न भी अक्सर पैदा होता है। कारखाना उत्पादों, छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों के संबंध में प्रायः विवाद होता है। जब हमारे पास एक संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम है तो हमें उसी पर चलना चाहिए। उत्पादन सब तरफ बढ़ना चाहिए। आचार्य कृपालानी ने कहा कि आज निष्ठा या विश्वास का संकट है। उन्होंने कहा कि सामर्थ्य को देख कर कार्य करों पर हमारी सामर्थ्य तो कम है। आवश्यकतायें हमारी अधिक हैं। अतः सामर्थ्य बढ़ाना होगा। इस संबंध में संगठन के नये उपायों तथा प्रणालियों का पता लगाने के लिए परिश्रम करने की इच्छा की आवश्यकता है। हमें पता लगाना है कि हम में क्या कमी है; संगठन में त्रुटि कहां है? यदि हम उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करेंगे तो उस के लिए हमें संगठन सामर्थ्य की महत् आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम संगठन सामर्थ्य का विकास नहीं करेंगे और सारा बोझ सरकार पर ही डालेंगे, तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : श्रीमान्, आप के बार बार कहने के बाद भी मैं देखता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर सभा में माननीय मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद बहुत है कि माननीय मंत्रीगण सामान्य आय-व्ययक की चर्चा के समय भी उपस्थित नहीं हैं। सम्बद्ध मंत्रालय के मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के एक मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है। कम से कम कनिष्ट मंत्री तो उपस्थित रह सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : नागपुर प्रस्ताव के संबंध में हम बहुत सी बातें सुन चुके हैं। यदि मुझे कोई सहकारी कृषि के संबंध में संतुष्ट कर दे तो मैं उसका समर्थन करने को तैयार हूं। एक माननीय सदस्य ने रूस तथा चीन की सफलताओं का उल्लेख किया। मैं उनकी बात मानता हूं पर हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं। मैं आयोजकों तथा मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि अनेक बातें कागजों पर बहुत आकर्षक लगती हैं; पर हमें उन के संबंध में जनता को साथ लेकर चलना ही चाहिए।

आप बिहार की बात लीजिए। बिहार सरकार की सरकार ने सोचा कि चकबन्दी बहुत अच्छी चीज है। मेरे चुनाव क्षेत्र में उस ने चकबन्दी करने का प्रयत्न भी किया पर जनता की इच्छा न होने के कारण उसे यह काम रोकना पड़ा। मैं माननीय मित्रों को बता देना चाहता हूं कि उन्हें जनता की इच्छा तथा जनता के सहयोग का ध्यान रखना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति समाप्त हो जायगी। केवल बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा।

जहां तक गांधीवादी अर्थशास्त्र का संबंध है हम लोग उस से बहुत दूर जा चुके हैं। गांधी जी ने कहा था कि किसी को ५०० रु० से अधिक वेतन नहीं लेना चाहिये। पर आज हमारे मित्र इस से बहुत अधिक ले रहे हैं। अतः हमें इन बातों की ओर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उत्पादन-शुल्क के प्रश्न को लीजिए। उस समय तो साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध यह हमारा प्रतीक संघर्ष था। विचार यह था कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर नमक मिले। पर उत्पादन शुल्क हटाने से क्या हुआ? अब दाम ५ गुने बढ़ गये हैं। आप ने किस प्रकार गरीब व्यक्तियों की सहायता की है?

दूसरी निराशा मुझे इस संबंध में है कि प्रशासन के काम में सुधार नहीं किया गया है। सामुदायिक विकास मंत्रालय को ही लीजिए। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा। लोगों को आशा थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद उपनिवेशवाद समाप्त हो जायेगा पर उसके स्थान पर अब एक नया उपनिवेशवाद है। वहां ऐसे लोग, जो वहां की भाषा नहीं जानते, हमारी सेवा करने के लिए रखे गये हैं और उनको राज्य सरकार तथा केन्द्र से धन दिया जाता है मैंने एक विकास खंड को स्वयं देखा। मुझे बड़ी निराशा हुई। इन खण्डों में काम करने वाले वहां के आदिवासियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। उन से घृणा करते हैं। अन्य भी मंत्रालयों से धन बरबाद किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा के आय-व्ययक को कम कर दिया गया है, उस से मुझे बड़ी निराशा हुई है। धन की बचत के अन्य उपाय हो सकते थे। सैनिक व्यय में कमी करना मुझे रुचिकर नहीं है। माननीय मंत्री का ध्यान मैंने कई ऐसी बातों की ओर आकृष्ट किया है जिस में काफी धन बरबाद हो रहा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय कई बार भूमि अर्जित कर लेता है पर उसका कोई उपयोग नहीं करता और न उसका विसर्जन करता है। उसका लगान बराबर दिया जाता है जिस में लाखों रुपये बरबाद होते हैं। इसी प्रकार रांची में भी बहुत से मकान अर्जित किए हुये पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार प्रतिरक्षा विभाग बहुत सारा धन व्यय कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र में जो व्यापारिक कार्य हो रहे हैं उन्हें व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाया जाना चाहिए। इसी प्रकार इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की एक विमान सेवा तो व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाई जा रही है पर दूसरी नहीं क्यों? सिन्दरी उर्वरक कारखाने को लीजिए वहां के जनरल मैनेजर को आप बाहर भेजा अनुभव प्राप्त करने के लिए पर जब वह भारत लौट कर आया तो आप ने उसे वहां से हटा कर कहीं और नियुक्त कर दिया। आप को इन सब सेवाओं के लिए अब अलग पदाली बनानी चाहिए।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि प्रश्न काल में एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था जिस में रेलवे में किए गये संभरण के संबंध में कुछ शिकायत की गयी थी। पर माननीय मंत्री ने कहा कि उसकी छानबीन हो रही है। पुलिस जांच कर रही है। ठीक है पर उस कारखाने के संभरण को क्यों

[श्री जयपाल सिंह]

बन्द कर दिया गया। इस से ४००० कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस में दोष रेलवे बोर्ड का है। जो कुछ जांच अभी तक संयुक्त निरीक्षण द्वारा हुआ है उस से पता लगता है कि इस कारखाने का कोई दोष नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब आप ने न्याय की फ्रांसीसी प्रणाली अपना ली है कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति दोषी है जब तक कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध न कर दें ।

माननीय मंत्री ने कहा कि हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। पर सहयोग की उनकी परिभाषा क्या है ? क्या अपने इस शुष्क रवैये को वह सहयोग मानते हैं। हमारी बातें सही हैं या उनकी यह तो केवल परीक्षा करने पर ही मालूम हो सकता है ।

करों के संबंध में मुझे कुछ भी नही कहना है। मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : मैं ने अपने पूर्ववक्ताओं के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है । कुछ लोगों ने बजट की प्रशंसा की है और कुछ ने आलोचना की है। मेरे विचार से वित्त मंत्री ने इस बजट को प्रस्तुत करने में पर्याप्त यथार्थवादिता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। मैं बजट के ब्यौरे में तो नहीं जाना चाहता परन्तु एक बात उस में ऐसी है जिस से चिन्ता उत्पन्न होती है। वह बात यह है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष तीन प्रतिशत कम हुआ और चालू वर्ष में भी २ ५ प्रतिशत कम होगा ।

विदेशी संसाधनों की कठिनाई हमारे निर्यातों में अत्याधिक गिरावट के कारण उत्पन्न हुई है । हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे निर्यात की समस्त वस्तुएं गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में आती हैं। इसलिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए सरकार को उसी पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए दोनों क्षेत्रों में बहुत सहयोग की आवश्यकता है। हमें अपने निर्यात की वस्तुओं के लिए विदेशों में बाजार ढूंढ़ कर विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधारना चाहिए। इस संबंध में वाणिज्य मंत्री द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न सराहनीय हैं।

यह कहा गया है कि हमारी योजना का आधार खाद्यान्न की स्थिति है। खाद्यान्न के मूल्यों पर ही समस्त अर्थ-व्यवस्था निर्भर रहती है। पता नहीं हम खाद्यान्न के सम्बन्ध में कब तक स्वावलम्बी हो सकेंगे। दूसरी योजना के प्रारंभ के समय से हम लगभग २ ८ करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात कर चुके हैं। यद्यपि खाद्यान्न के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हो रही है परन्तु दूसरी योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। १९५६ में यह अनुमान लगाया गया था कि योजना काल में १०० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होना चाहिए। बाद में योजना आयोग ने इस लक्ष्य को बढ़ा कर १५० लाख टन कर दिया। परन्तु अब बताया गया है कि १०० लाख टन से अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार के प्रयोजन का क्या लाभ है ?

माननीय खाद्य मंत्री ने बताया है कि विभिन्न सिंचाई योजना, उर्वरकों, अच्छे बीज और भूमि-कृष्यकरण से कई लाख टन उत्पादन बढ़ जाएगा। उन्होंने जो विस्तृत आंकड़े दिए हैं पता नहीं उनकी प्राप्ति कहां तक हो सकेगी क्योंकि इन योजनाओं का अभी तक जो परिणाम दिखाई दिया है वह आशाजनक नहीं है ।

पहले मैं बड़ी सिंचाई योजनाओं को लूंगा। समस्त राज्यों की योजनाओं से लगभग ९० लाख एकड़ भूमि के खेती के अन्तर्गत आने का अनुमान किया गया था। परन्तु पंजाब की भाखड़ा-नांगल

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना को छोड़ कर अन्य समस्त राज्यों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। इन परियोजनाओं पर लग भग ६०० से ७०० करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। परन्तु इनकी तुलना में जितनी भूमि खेती के अन्तर्गत लाई जा सकी है वह बहुत कम है। यह अनुमान लगाया गया था कि इन योजनाओं से ३० लाख टन अधिक उत्पादन होगा। पता नहीं इसमें से कितने टन उत्पादन वास्तव में बढ़ सका है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, उसके संबंध में आयोजकों ने गलत अनुमान लगाया है। मुझे विवश हो कर यह कहना पड़ता है कि उर्वरकों की आवश्यकता के संबंध में आयोजकों ने अपर्याप्त ध्यान दिया है। देश का प्रत्येक भाग उर्वरकों की मांग कर रहा है। इसके संबंध में मेरा यह सुझाव है कि पी० एल० ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्नों के साथ उर्वरकों का भी आयात किया जाये यदि वैसा संभव हो सके। सरकार को अमेरिका से यह तय करना चाहिए कि अभी जो धन स्थानीय विकास पर व्यय किया जा रहा है उसे उर्वरकों के आयात पर व्यय किया जा सके।

जहां तक खाद्यान्न के आयात का संबंध है, मेरे विचार से अभी निकट भविष्य में हमारा उत्पादन इतना नहीं बढ़ सकता है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

यह कहा जाता है कि उर्वरकों के प्रयोग से ढाई गुना लाभ हो सकता है। इसकी जांच की जानी चाहिए और उर्वरकों के आयात तथा निर्यात निर्माण पर पर्याप्त धन का विनियोजन किया जाना चाहिए।

खाद्य मंत्री ने राज्य-सभा में कहा था कि सरकार दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई की सुविधायें देने और उर्वरकों के कई कारखाने खोलने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु अभी तक केवल नांगल उर्वरक कारखाने का नाम ही सुनने में आया है।

खाद्यान्न के मूल्य नियंत्रण का बहुत प्रचार किया गया है। यह कहा गया है कि सरकार खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है। परन्तु इस के लिए समुचित प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप व्यापारी लोग खाद्यान्न को जमा करने में लगे हुए हैं और उन के भाव चढ़ गए हैं। खाद्यान्न का राज्य-व्यापार संगठित करना सरल नहीं है। सरकार को चाहिए कि गल्ला जमा करने, खरीदने और वितरित करने के समस्त यंत्र को एक साथ अपने हाथ में लेने के बजाय उसे खंडशः प्रारंभ करे। इस से एकदम बेकारी भी नहीं फैलेगी और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी।

जहां तक करों का संबंध है, मैं सैनिक व्यय में कमी का स्वागत करता हूं। इस में और भी कमी की जा सकती है क्यों कि आणविक अस्त्रों के निर्माण से युद्ध-नीति बदल रही है। पुराने शस्त्रास्त्रों का महत्व खत्म हो गया है। हम अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं पर कितना भी व्यय करें परन्तु बड़े राष्ट्रों के समक्ष हम कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे विचार से प्रतिरक्षा के व्यय की भली प्रकार से छान बीन कर के उस में और कमी की जानी चाहिए।

जहां तक खांडसारी पर लगाए गए कर का संबंध है उस के संबंध में अच्छी तरह सोच विचार किया जाना चाहिए। मैं उत्पादन शुल्कों की आवश्यकता को तो स्वीकार करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि कुटीर उद्योगों को उससे छूट मिलनी चाहिए। खांडसारी एक कुटीर उद्योग है इसलिए उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस कर की पूर्ति प्रशासन-व्यय में कमी द्वारा की जा सकती है।

आयोजन के अभाव के कारण खांडसारी और चीनी उद्योगों का विकास पास-पास हुआ है और इसी से प्रतियोग्यता का भय उत्पन्न हुआ है। वास्तव में इस के लिए सरकार ही दोषी है जो उस ने इस तरह का विकास होने दिया। अब सरकार को चाहिए कि वह खांडसारी उद्योग की रक्षा करे।

इसी प्रकार मोटर के टायरों और डीजल तेल पर करों का प्रभाव भी मध्य-वर्गों पर पड़ता है। रेलवे की हानि की पूर्ति इस प्रकार करना उचित नहीं है। सड़क परिवहन का इतना विकास होगा कि वह एक सेवामात्र न रह कर एक उद्योग का रूप धारण कर लेगा। उदाहरणतः मेरे जिले में, जिसकी आबादी २३ लाख है, केवल ८० मील की रेलवे लाइनें हैं। शेष भाग में सड़क परिवहन ही है। इसलिए डीजल तेल और मोटर टायरों पर कर बढ़ाना अनुचित है।

इस के अतिरिक्त डीजल के कर से तो कृषि पर भी असर पड़ेगा क्योंकि दक्षिण में खेती में डीजल इंजनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। एक ओर तो आप किसानों से अधिक उत्पादन करने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर यह कर लगाते हैं।

अन्ततः प्रश्न यह है कि इस प्रकार के करों से आपका कितना घाटा पूरा होगा? आपका घाटा ८०० करोड़ रुपए है जब कि इन करों से केवल ३० करोड़ रुपये मिल सकेंगे। इस लिए इन करों को समाप्त करके इसकी पूर्ति प्रतिरक्षा और शासकीय क्षेत्र में अधिक सतर्कता द्वारा की जानी चाहिए।

†**श्री जमाल ख्वाजा** (अलीगढ़) : हम साम्यवादी तथा समाजवादी दलों से प्रायः सुनते हैं कि सरकार अपने आदर्श के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है और हमें अपनी मूल भूत नीति का स्पष्ट रूप में ज्ञान नहीं है। मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस दल तथा सरकार का एक निश्चित आदर्श है और वह आदर्श मेरे शब्दों में 'सन्तुलनवाद' है। इस शब्द 'सन्तुलन वाद' से हमारा आदर्श, हमारा दर्शन, हमारे मूलभूत सिद्धांत सभी स्पष्ट हो जाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री इस बात को बार बार बताते हैं परन्तु खेद है कि आज उसको कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूंजीवाद अथवा समाजवाद के चक्कर में न पड़ कर हमें समझना चाहिए कि इन दोनों का रहना नितांत आवश्यक है और तभी देश का विकास संभव है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जबकि कुछ ने फरमाया कि हमारी रफ्तार बड़ी धीमी है। दोनों प्रकार की बातों का कहा जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार ने व्यक्ति का रास्ता अपनाया हुआ है अर्थात् सरकार अपने नियंत्रण द्वारा पूंजीपतियों के स्वामित्व-प्राप्त संसाधनों का विकास कर रही है। स्वामित्व प्राप्त करना कठिन काम नहीं है। कठिन काम नियंत्रण रखना है।

सभी को उत्सुकता है कि देश का शीघ्रता से औद्योगीकरण किया जाए। और इसीलिए हम वस्तुओं के उत्पादन करने पर अधिक व्यय कर रहे हैं। परन्तु फिर भी हमें यह मूलभूत सिद्धांत नहीं भूल जाना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनी हो, स्थिर प्रशासन हो और ठोस न्यायपालिका हो। आज इनकी ओर अर्थात् ऐसे कामों की ओर जिनके द्वारा कोई उत्पादन नहीं होगा, हमारा ध्यान नहीं है और हम उन पर धन व्यय नहीं कर रहे हैं। सभा में बढ़ते हुए असैनिक व्यय के सम्बन्ध में बड़ा दो-पल्ला हो रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है; हमें यह समझना चाहिये कि मितव्ययता तो आवश्यक है लेकिन इस से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकुशलता है। यदि हम ने

†मूल अंग्रेजी में

कार्यकुशलता को छोड़ कर मितव्ययता पर ज़ोर दिया तो अच्छा नहीं होगा। यदि इस सभा ने इस खर्च पर अधिक आपत्ति की तो हमारे बहुत से कल्याणकारी और विकास कार्य खत्म हो जायेंगे।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं परन्तु मेरे विचार से इसका सब से सुन्दर चित्र हमारे सामने आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करने वाले मंत्रालय ने हमारे सामने रखा है।

मैं बताना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों के अतिरिक्त यद्यपि, हमारा उत्पादन बढ़ा है परन्तु जहां तक अच्छी या बुरी किस्म का प्रश्न है हमारी वस्तुओं की किस्म अच्छी नहीं रही है। मैं तो समझता हूं कि यदि हमारी भावनाए ऐसी बना दी जायें कि हम अच्छी किस्म की वस्तुओं का ही निर्माण करेंगे तो वह अधिक उचित होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारी शिक्षा ही इस प्रकार की न बना दी जाये।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : इस आय-व्ययक के प्रस्तावों में छोटे-मोटे विनियोजकों और उपभोक्ताओं का गला काट कर, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को रियायतें दी गई हैं। समवायों पर करों का बोझ हलका कर दिया गया है। पर शेयरधारियों पर बढ़ा दिया गया है। अब शेयरधारियों को समूची राशि पर छूट नहीं मिलेगी।

समवायों पर से धन कर और अतिरिक्त लाभांश कर हटा दिये गये हैं। यह रियायत देने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। यदि इसका उद्देश्य यह था कि समवायों को दोहरे कराधान से बचाया जाये, तो हमें साहस के साथ कहना चाहिये था कि हमने आर्थिक समस्या और कर-ढांचे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने समवायों पर आय-कर की वृद्धि का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि उस से कर अपवंचना बन्द होगी। उन्होंने समवायों पर धन कर लगाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि पांच लाख रुपये तक की आस्तियों पर कर नहीं लगेगा और उससे अधिक मूल्य की आस्तियों पर इस सीमा के बाद, आधे प्रतिशत की दर से धन कर लगाया जायेगा। धन कर को उन्होंने मुख्यतया व्यक्तियों पर लगने वाला कर ही बताया था। उन का विचार था कि धन कर से भी कर-अपवंचना की रोक थाम होगी। क्या अब देश की परिस्थिति बदल गई है ? यदि धन कर और पहले के ऐसे सभी कर लगाने में हमने ग़लती की थी, तो हमें साहस के साथ उसे स्वीकार करना चाहिये। हमें रियायतें देने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका कारण भी तो स्पष्ट होना चाहिये।

इस कराधान का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? समवायों को जो ये रियायतें दी गई हैं, उन से आम जनता के उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कराधान होगा। इस से जनता तो यही सोचेगी कि सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों की सहायता कर रही है। मैं तो समझता हूं कि अतिरिक्त लाभांश कर हटा देने से भी वस्तुओं के बाजार भावों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उसका प्रभाव उच्च वेतन भोगियों पर नहीं, बल्कि आम मध्यवर्गीय जनता और निम्न मध्यवर्गीय ग़रीब जनता पर पड़ेगा। खांडसारी चीनी और डीजल तेल पर लगाये गये करों का प्रभाव गरीब जनता पर ही पड़ेगा। खाने योग्य तेलों, कृत्रिम रेशम और सिगरेटों के करों की वृद्धि भी ऐसी ही जनता को प्रभावित करेगी।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मूल्यों के स्थायित्व और निर्यातों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये लागत पर सतर्कता से नजर रखने की बात कही है। लेकिन उपभोक्ताओं के लिये तो मूल्य स्थायी होते ही नहीं ; उन्हें तो ऊंचे दाम देने ही पड़ते हैं। नियंत्रित मूल्य से बाजार भाव डेढ़ गना हो जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्लै]

पर भी माननीय मंत्री कहते हैं कि कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है। कम आय वाले उपभोक्ताओं की बात तो कोई पूछता ही नहीं ।

हमारे यहां वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार वेतन निर्धारित करने की नीति नहीं है। उत्पादन गिरने के भय से, हम मूल्यों को स्थिर नहीं करना चाहते। फिर ग़रीब जनता की बसर कैसे हो ? लेकिन जब तक सरकार किसी एक मान दण्ड को स्वीकार करके खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित नहीं करती, तब तक हमारी सारी योजनायें असफल रहेंगी। सभी जानते हैं कि खाद्यान्नों की कीमतें चढ़ने से सभी अन्य वस्तुओं की कीमतें भी चढ़ जाती हैं।

एक ओर तो हम बड़े-बड़े समवायों को रियायतें दे रहे हैं, और दूसरी ओर छोटे-छोटे कृषकों के लिये भू-सीमा निर्धारित कर रहे हैं। हमने भू-सीमा अभी ठीक से बताई भी नहीं है कि कितनी होगी। एक राज्य एक सीमा बताता है, तो दूसरा कुछ दूसरी। इससे कृषकों में बड़ी बेचैनी फैल रही है। यदि हम अपनी नीतियां और ऐलान इसी तरह अस्पष्ट रखेंगे, तो उसके कारण उत्पादन गिर ही सकता है। यदि हम सहकारी खेती ही देश में लाना चाहते हैं, तो उसकी सफाई सी क्यों देते फिरते हैं। हमारे देश के कृषकों में भू-स्वामी बने रहने की भावना बड़ी प्रबल है। इसलिये हमें देश में कृषकों की अनिवार्य सेवा सहकारी समितियां ही संगठित करनी चाहियें। फिर कोई झगड़ा ही नहीं रह जायेगा ।

असल में लोग सहकारी समितियों के विरुद्ध इसलिये खड़े हो रहे हैं कि वे सोचते हैं कि सरकार भू-सीमा बहुत ही कम निर्धारित करेगी। प्रधान मंत्री ने कह ही दिया है कि सहकारी समितियां कृषकों की अपनी इच्छा के आधार पर संगठित की जायेंगी, जोर-जबरदस्ती से नहीं। फिर इतनी सारी गरमा-गरमी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।

हमें हर चीज को याथार्थवादी, तर्क-संगत दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

यदि हम भू-सीमा निर्धारित करने में उदारता से काम लें, तो वह सभी को स्वीकार होगी। यदि भू-सीमा बहुत कम निर्धारित की जाती है, तो हमें यह भी तो देखना चाहिये कि धन के अन्य रूपों की भी सीमायें निर्धारित की जायें ।

सिर्फ भू-स्वामियों को ही क्यों नियंत्रित किया जाये ?

क्या हमने तय कर लिया है कि इस देश में भूमि को सम्पत्ति नहीं माना जायेगा ? हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिये ।

आचार्य कृपालानी ने आस्था जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लेकिन आस्था के साथ निर्भीकता भी जरूरी है। मेरा अपना ख्याल तो यह है कि हमारी सरकार भय से आक्रांत है। यदि सरकार और हमारे नेता समझते हैं कि सहकारी समितियां ही देश के हित में हैं, तो निर्भीकता से उसकी घोषणा करनी चाहिये, उसकी सफाई सी देते नहीं फिरना चाहिये। हमें कहना चाहिये कि अनिवार्य सेवा सहकारी समितियां अनिवार्य हैं। हमें जनता का समर्थन खोने का डर नहीं रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे लोकतंत्र का मूल आधार विचार-स्वतंत्रता पर ही है, और यदि वही नहीं रहा तो फिर देश के पतन को कोई भी नहीं रोक सकता। विभिन्न दलों के साथ हमारे मतभेद होते हुए भी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। हमारे राष्ट्र-पिता सदा ही विविधता पर, अनेकता पर जोर देते रहे हैं, एकरूपता पर नहीं। हमें उस सिद्धान्त को नहीं त्यागना चाहिये।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : इस आय-व्ययक में प्रस्तावित उत्पादन-शुल्क का मैं इतना अधिक विरोधी हूं कि उसका विरोध करने के लिये मैं अपनी भूख-हड़ताल के दसवें दिन भी यहां आया हूं।

आज से पहले मैंने कभी भी इससे अधिक पूंजीवादी आय-व्ययक नहीं देखा। कांग्रेस तो समाजवादी ढंग का समाज बनाने की दुहाई देती है, लेकिन मंत्रीमंडल के एक मंत्री ही "समाजवाद" से इतनी तीव्र घृणा करते हैं।

वित्त मंत्री महात्मा गांधी की सीखों पर चलने का दम भरते हैं। लेकिन मैंने इससे अधिक गैर गांधीवादी आय-व्ययक ही नहीं देखा। इस आय-व्ययक में खांडसारी, चीनी और तेल निकालने के कुटीर उद्योगों पर भारी करारोपण किया गया है। गांधी जी को कुटीर उद्योग ही सबसे अधिक प्रिय थे।

इसी तरह गरीब जनता पर अप्रत्यक्ष कराधान किया गया है। बीड़ी, मोटर टायरों, और डीजल तेल पर कर लगाये गये हैं। मोटर टायरों और डीजल तेल पर लगाये गये करों के कारण गांवों की गरीब जनता को सड़क-परिवहन मंहगा पड़ेगा।

घी तो पहले ही बाजार में नहीं मिलता था, लेकिन अब गरीब जनता के उपयोग के खाने योग्य तेलों पर भी कर लगा दिया गया है।

इस आय-व्ययक में मध्य वर्ग और गरीब जनता को कोई भी राहत देने की कोशिश नहीं की गई है। हां, किसी को रियायतें दी गई हैं, तो समवायों को। तीन हजार से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर से आय-कर नहीं हटाया गया है।

आय-व्ययक में ८१·६७ करोड़ रुपयों के घाटे की व्यवस्था की गई है। इन करों से कुल २३·३५ करोड़ रुपये ही मिलेंगे। आय-व्ययक में कुल घाटा २२२ करोड़ रुपये का रहेगा। धनी वर्गों पर कर लगाकर और असैनिक प्रशासन में मितव्ययता कर के इसे पूरा किया जा सकता था। असैनिक प्रशासन का व्यय अब इन दस वर्षों में ५०० प्रतिशत बढ़ गया है, छः गुना हो गया है, जबकि हमारा कुल आय-व्ययक १०० प्रतिशत ही बढ़ा है। अब असैनिक प्रशासन का व्यय २२३ करोड़ रुपये हो गया है। यदि इसमें प्रतिरक्षा आय-व्ययक के संस्थापन व्यय को और जोड़ दिया जाये, तो कुल व्यय ५९६·५० करोड़ रुपये हो जाता है। इस प्रकार असैनिक प्रशासन का व्यय कुल मिलाकर ३७·३४ प्रतिशत बैठता है। गांधी जी ने तमाम संस्थाओं के लिये एक नियम बना दिया था कि प्रशासन पर १० प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होना चाहिये। फिर भी कांग्रेस अपने को महात्मा गांधी का दल बताती है।

चीन जनवादी जनतंत्र का आय-व्ययक देखिये। वहां असैनिक प्रशासन पर १० प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाता। यही उसकी प्रगति का रहस्य है।

गांधी जी के भक्त, हमारे वित्त मंत्री ने असैनिक प्रशासन के व्यय को घटाने की कोई कोशिश नहीं की है। पिछले दो वर्षों में यह व्यय ९१ करोड़ रुपये बढ़ गया है। गरीब जनता पर कर लगाने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शि० ला० सक्सेना]

से कहीं अच्छा होता, यदि इस व्यय में २० करोड़ रुपये की कमी कर दी जाती। यदि गांधी जी की सीखों पर चला जाये, तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था की जरूरत ही न पड़े।

मैं वित्त मंत्री से घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं कि वह गरीब जनता पर से इन करों को हटा दें। खांडसारी चीनी, और सरसों का तेल गरीब जनता के लिये जरूरी है। हमने गरीब जनता पर लगाये जाने वाले इन करों का विरोध करने के लिये ही लखनऊ में भूख हड़ताल शुरू की है।

अमरीकी-पाक संधी भी बड़ी चिन्ताजनक है। प्रधान मंत्री ने सभा में उसे जितनी आसानी से निबटा दिया है उससे हम आश्वस्त नहीं हो सके हैं। हमें इस के लिये अमरीकी सरकार के पास विरोध-पत्र भेजना चाहिये।

मैं सहकारी खेती का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह समाजवाद की ओर हमारा पहला कदम है। जब तक हमारा कृषीय उत्पादन पांच गुना नहीं होता, तब तक चीनी जैसे बड़े-बड़े उद्योगों के लिये धन सुलभ नहीं हो सकेगा। मैं उन से सहमत नहीं जो सहकारी खेती को अव्यावहारिक बताते हैं। मैं इसके लिये प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं।

अब खांडसारी पर लगाये गये कर को लीजिये। बड़ी विचित्र सी बात तो यह है कि खाद्य मंत्री भी उसका समर्थन करते हैं।

भारतीय चीनी मिल संस्था की २६वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार ने गुड़ में चलने वाले वायदा व्यापार को इसीलिये विनियमित किया है कि उससे उसके भावों में तेजी की प्रवृत्ति आती थी। श्री अ० प्र० जैन तो खांडसारी को चीनी ही नहीं मानते। उन्होंने खांडसारी उत्पादकों के प्रतिनिधियों से कहा भी था कि चीनी उद्योग को बचाने के लिये ही खांडसारी पर शुल्क लगाया गया है। भारतीय चीनी मिल संस्था के सभापति की भी यही मांग थी कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये गन्ने को खांडसारी के उत्पादन में लगने से रोका जाये।

इस प्रकार, सफेद चीनी के उद्योग को बचाने के लिये ही, खांडसारी जैसे कुटीर उद्योग पर करारोपण किया गया है। सारे देश में सफेद चीनी उद्योग की लगभग २०० फैक्टरियां हैं, जो हर वर्ष २० लाख टन चीनी तैयार करती हैं। लेकिन हमारे देश में खांडसारी चीनी उद्योग की लगभग ३-४ हजार इकाइयां हैं। सफेद चीनी उद्योग की अकार्यक्षमता स्पष्ट है कि वह इतना सशक्त होते हुए भी खांडसारी जैसे कुटीर उद्योग से लोहा नहीं ले पाता। असल में, इस इतने सशक्त उद्योग को डर यह है कि यदि खांडसारी का कुटीर उद्योग विकसित होता रहा, तो वह एक बड़ा प्रतिद्वंदी बन जायेगा। और तब चीनी उद्योग इस ढंग से बेतरह मुनाफे नहीं कमा सकेगा, क्योंकि मनमाने ढंग से मूल्य नहीं बढ़ा सकेगा।

खांडसारी उद्योग संसार का सबसे पुराना चीनी उद्योग है। उसमें पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। महात्मा गांधी खांडसारी को ही पसंद करते थे, और चीनी को जहर समझते थे। लेकिन उनके शिष्य चीनी के पीछे खांडसारी को बलिदान करने पर तुले हुए हैं।

यदि आप चीनी उद्योग से सम्बन्धित आंकड़े देखें, तो स्पष्ट हो जायेगा कि उसकी कार्यक्षमता इन बीस वर्षों में लगातार गिरती ही रही है। उस की उत्पादन लागत भी बढ़ती गई है। उन्हें किसी भी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। अब वे चीख इसलिये रहे हैं कि उन्हें खांडसारी से आन्तरिक प्रतियोगिता का भय होने लगा है।

खांडसारी उद्योग का मौजूदा विस्तार सरकार के अपने प्रयासों का ही परिणाम है। १९३५ में 'इम्पीरियल इन्स्टीच्यूट आफ शूगर टैक्नोलाजी' की सिफारिश पर ही, मुरादाबाद जिले के बिलारी में एक गवेषणा संस्था स्थापित की गई थी। इसके लिये विशेष अनुदान मंजूर किया गया था। अब वह संस्था लखनऊ में स्थानांतरित कर दी गई है।

वास्तव में, १९३१ में प्रशुल्क बोर्ड के प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि खांडसारी की विधि से चीनी तैयार करने की लागत ज्यादा नहीं पड़ती। १९३१ में उस की उत्पादन लागत ६.७९ आने प्रति मन गन्ना पड़ती थी, जबकि चीनी के बड़े-बड़े कारखानों में वह एक रुपया प्रति मन थी।

अब इन तीस वर्षों में खांडसारी उद्योग ने इतनी प्रगति कर ली है कि बड़े-बड़े चीनी कारखानों को उससे डर लगने लगा है। इसीलिये वे खांडसारी उद्योग पर झपट रहे हैं और हमारे खाद्य मंत्री तथा वित्त मंत्री उनकी सहायता करने पर तुले हैं।

खांडसारी उद्योग के बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है? प्रशुल्क आयोग ने १९३१, १९३८, १९४७ और १९५० में, हर बार, यही सिफारिश की थी कि खांडसारी उद्योग की सहायता की जानी चाहिये। १९५१ में, प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया था कि खांडसारी फैक्टरियां यथेष्ट रूप से विकसित नहीं है और उनको विकसित करके उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले गन्ने की अतिरिक्त उपज का उपयोग करना चाहिये। १९३८ में भी, प्रशुल्क आयोग ने खांडसारी उद्योग को उत्तर प्रदेश की कृषीय व्यवस्था का एक विशेष आवश्यक अंग बताते हुए, उस सम्बन्ध में गवेषणा कार्य की जरूरत पर जोर दिया था।

अब इस इतने विस्तृत कुटीर उद्योग को इस भारी शुल्क से खत्म किया जा रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है।

१९४७ में, चीनी प्रशुल्क बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में, खांडसारी निर्माता संस्था के सभापति, श्री मोहम्मद जिलानी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को भी सम्मिलित किया था। श्री जिलानी ने कहा था कि यदि सरकार खांडसारी उद्योग को चीनी उद्योग को दी गई सहायता की आधी सहायता भी देती तो खांडसारी उद्योग चीनी उद्योग से कहीं अधिक प्रगति कर दिखाता। अमरीका में हमारे भूतपूर्व राजदूत, श्री जी० एल० मेहता ने १९५० के अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि खांडसारी के ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और इसीलिये खांडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिये।

खांडसारी चीनी बनाने की नई विधि, सरकारी संस्थाओं की ३० साल की गवेषणाओं का ही फल है। सरकार ने खुद ही उस पर कई लाख रुपये खर्च किये हैं। और अब वह इस कुटीर उद्योग का गला घोंटना चाहती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब खांडसारी उद्योग गन्ना-उत्पादकों को उनके गन्ने का चीनी उद्योग की अपेक्षा, अधिक मूल्य दे सकता है, और अच्छी चीनी के साथ ही काफी अच्छे किस्म का सीरा भी जुटा सकता है, तब उसको वरीयता क्यों नहीं दी जाती? तब हमें चीनी उद्योग के लिये विदेशों से बड़ी-बड़ी मशीनों का आयात करने की क्या जरूरत है?

खांडसारी कुटीर उद्योग की सहायता करने से बेरोज़गारी की समस्या भी एक हद तक हल की जा सकती है।

इस कुटीर उद्योग के लिये आवश्यक उपकरण भी अपने देश में ही तैयार होता है। इसके अलावा देश में चीनी की २०० मिलों में २० लाख टन चीनी तैयार होती है, और डेढ़ लाख आदमी काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के खांडसारी कुटीर उद्योग की ३,००० छोटी-छोटी इकाइयों ने १९५७-५८

[श्री शि० ला० सक्सेना]

में १·७५ लाख टन खांडसारी चीनी तैयार की थी और उसके लिये तीन लाख व्यक्तियों को काम जुटाया था। वित्त मन्त्री ने राज्य-सभा में कहा था कि खांडसारी चीनी में प्रतिमन मुनाफा १३ रुपया होता है, और वह कर लगा कर उसमें से सिर्फ ५ रुपये ले रहे हैं, ८ रुपये तो छोड़ रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है।

खांडसारी तैयार करने के चार तरीके इस्तैमाल किये जाते हैं। इन चारों तरीकों की प्रतिमन उत्पादन लागत भिन्न है पहले की २८ रुपये १० आने; दूसरे की २७ रुपये ६ आने; तीसरे की २८ रुपये १० आने; और चौथे की २८ रुपये २ आने। इन चारों प्रकार की खांडसारी चीनी के मौजूदा बाज़ार भाव क्रमशः ये हैं पहली ३० रुपये, दूसरी २९, तीसरी साढ़े तीस रुपये और चौथी बत्तीस रुपये प्रति मन।

इसलिये खांडसारी पर औसत मुनाफा सवा-दो रुपये प्रति मन ही होता है। इस नये उत्पादन शुल्क से उसका दम घुट जायेगा।

सफेद चीनी उद्योग की सारी वर्तमान कठिनाइयां उसकी अपनी स्वार्थपरता के कारण ही हैं। आजकल सफेद चीनी का भाव मद्रास में ४२ रुपये, बम्बई में ४१ रुपये और उत्तर प्रदेश में ३७ रुपये प्रतिमन है। यदि सरकार इसे विनियमित करने के लिये एक चीनी क्रय-विक्रय बोर्ड बना दे और सारे देश में एक ही भाव पर सफेद चीनी बिके, तो उद्योग, गन्ना-उत्पादकों, श्रमिकों और निर्यातकों सभी का भला हो सकता है।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट-रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं अधिक बातों में न जाकर केवल कुछ एक बातों का ही उल्लेख करूंगा। वित्त मंत्री महोदय व्यवहारिक आदर्शवादी सिद्ध हुये हैं। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है। इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि किस प्रकार हम अपने आन्तरिक साधनों को योजना के कार्यान्वित करने में लगा सकते हैं। इस दिशा में सबसे आवश्यक बात यह है कि उपलब्ध साधनों का उपयोग कैसे हो ?

योजनाओं के निर्माण में और कार्यान्वित होने में बहुत देरी हो जाती है। इसका कारण यह भी होता है कि वरिष्ठ अधिकारी इसलिये अन्तिम निर्णय करने में डरते रहते हैं कि कहीं मंत्री महोदय उनके किये निर्णयों को बदल न दें। वैसे भी सरकारी कर्मचारी योजना के प्रति जागरूक नहीं हैं। उनमें इस सम्बन्ध में उत्साह का नितान्त अभाव है। बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते। इसके साथ ही योजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वित करने के मामले में हमें पूरी छानबीन से काम लेना चाहिए और अधिक से अधिक सतर्क रह कर फिजूलखर्ची से बचना चाहिए।

अन्य बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि सरकार को औद्योगिक और कृषि विकास का पूर्ण रूप से समन्वय करके चलना चाहिए। दोनों क्षेत्रों का विकास एक स्तरीय रूप में होना चाहिए। हमारी सरकार का ध्यान देहाती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों के विकास की ओर आकृष्ट नहीं हो रहा, उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल इस मामले में भूमि की अधिकतम सीमा तथा सहकारी खेती की काफी चर्चा है। हमारे लोगों को जो कि अधिकतर भूमिहीन किसान है कहां तक इससे लाभ होगा, इस पर विचार करना चाहिये। परन्तु फिर भी हम इस शर्त पर इसका समर्थन करने को तैयार हैं कि सरकार भूमिहीन किसानों के लिए समुचित व्यवस्था करे। हमारा सम्बन्ध किसी भी 'वाद' विशेष से नहीं है। हमने तो हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भूमिहीन किसानों को बेकार पड़ी हुई भूमि पर बसा दिया जाय। यदि एक अकेला विनोबा भावे जैसा महानुभाव इसे कर सकता है तो सरकार के लिये तो यह बहुत ही सरल कार्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य वाद जिस पर हमारे दल का विश्वास है, वह यह कि हम संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि लोगों के भले के लिए संसदीय लोकतन्त्र का विकास हो । परन्तु आज इस सदन से बाहर जो लोकतन्त्र पनप रहा है उसमें तो कांग्रेस और साम्यवादी दल एक ही दिशा को जा रहे हैं । और जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है और न ही मुझे निकट भविष्य में देश के लाभ की कोई आशा ही दिखाई देती है ।

हम समाजवादी समाज की बातें करते आये हैं । महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, न्याय और समान अवसरों के नारे लगाते हैं विभिन्न प्रकार की योजनायें हमारे समक्ष हैं सामुदायिक परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा, खंड विकास योजना और अन्य बहुत सी समाज कल्याण योजनायें सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं । परन्तु इन योजनाओं का लाभ सभी लोगों को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जो लोग इन योजनाओं को चला रहे हैं वह वास्तव में दिल से इसमें कुछ करना नहीं चाहते । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण इत्यादि नहीं दिया गया । इसका परिणाम यह होता है कि जिन लोगों की उन्नति के लिये इन योजनाओं का निर्माण किया गया है उनको इससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता ।

समाजवादी समाज की चर्चा हम करते हैं, परन्तु हमारे हिन्दू समाज में जो कि शताब्दियों से ब्राह्मणवाद के प्रभाव में रहा है, हमेशा असमानता रही है । आज भी वही मनोवृत्ति कायम है, चाहे कोई कांग्रेसी हो अथवा साम्यवादी । यदि हम सचमुच समाजवादी समाज चाहते हैं तो हमें हिन्दू समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त करना होगा ।

†श्रीमती **इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं आय-व्ययक का स्वागत करती हूं । हमें आलोचना करते समय यह समझना चाहिये कि आखिर वित्त मंत्री को आय और व्यय में सन्तुलन करने के लिये कुछ क़दम तो उठाने ही थे । लोगों के सम्पर्क में रहते हुए और उनकी कठिनाइयों को समझते हुए मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूं । हमें वित्त मंत्री से यह सुन कर अतीव हर्ष हुआ कि कठिनाइयों के दिन व्यतीत हो गये हैं परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमें अभी कठिनाइयों पर काबू पाना है । यह बातें परस्पर विरोधी हैं । घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी है परन्तु शायद उत्पादन बढ़ जाने की आशा से इसके लिए कोई विशेष चिन्ता न की गयी हो ।

खाद्य स्थिति के बारे में सरकार को बहुत कुछ करना है । खाद्यान्नों के दाम इतने चढ़ गये हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिये उनको खरीदना असम्भव है । आज सारे देश में सर्वत्र यह भावना फैल गयी है कि जहां भी सरकार हस्तक्षेप करती है वहां कीमतें बढ़ जाती हैं । यह ठीक है कि आबादी बढ़ गयी है और सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है । कुछ भी हो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें खाद्य स्थिति का कुछ तो हल निकालना ही है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि चाय बागान क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र समुचित चावल देना चाहिए क्योंकि सरकार ने श्रमिकों को चावल देने का वायदा कर रखा है ।

डीजल के तेल पर जो उत्पादन कर लगाया गया है उसका भार सामान्य व्यक्तियों पर ही पड़ता है । इसी प्रकार की अवस्था सरसों के तेल की है । सरसों के तेल से देश के कई भागों में खाना बनाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है । अतः इन तेलों पर से यदि उत्पादन शुल्क हटाया नहीं जा सकता तो उसे कम अवश्य कर दिया जाना चाहिये ।

कलकत्ते में पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता जो पानी वहां मिलता है वह खारा है, पीने के क़ाबिल नहीं । अतः लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसलिये गंगा बांध

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

वहां के लिये बहुत आवश्यक हो गया है । मुझे आशा करनी चाहिए कि इस मामले को प्राथमिकता दी जायेगी और द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में यह बांध बन कर तैयार हो जायेगा । इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि कलकत्ता पत्तन का विकास किया जाना चाहिए और गियोंखाली में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना बनाना चाहिए ताकि जहाज निर्माण के कार्य को समुचित सुविधायें प्रदान की जा सकें । हम आशा करते हैं कि इसको प्राथमिकता दी जायेगी । कलकत्ते के पास हाल्दी पत्तन का विकास बहुत ही हर्ष की बात है परन्तु कलकत्ते की ओर भी अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, यह सारे भारत का जीवन केन्द्र है । मेरा यह भी निवेदन है कि व्यापारिक सूचना विभाग को कलकत्ते से नहीं हटाया जाना चाहिए । तटीय व्यापार के बारे में मेरा विचार है कि छोटे ५०० टन के जहाजों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । हमें अपने बजट को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति दिल से उसका स्वागत कर सके ।

कुटीर उद्योगों पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगना चाहिए । इनमें काम करने वाले लोग इतने अशिक्षित और सीधे हैं कि उन्हें इस कर की जटिलताओं की कुछ जानकारी ही नहीं है उनके लिये यह परेशानी का कारण बन गया है ।

सरकार को इन शरणार्थियों के मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए जो कि सरकारी कर्जा अदा करने में असमर्थ हैं । उनकी अवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । वित्त प्रशासन अधिनियम में गिरफ्तार करके वसूली करने की जो व्यवस्था है उससे समस्या हल नहीं होगी । जेलों में फेंकने से वसूली तो होगी नहीं, उल्टा सरकारी खर्चे पर उन्हें पालना होगा ।

पुनर्वास मंत्रालय का कहना है कि उद्योगपति देश के सभी भागों में विस्थापितों को नौकरियां दे रहे हैं और आशा है कि ९००० लोगों को नौकरियां उपलब्ध हो जायेंगी । परन्तु अभी तक १००० व्यक्तियों को भी नौकरियां प्राप्त नहीं हो सकीं । मेरा निवेदन है कि सरकार को इन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिए ।

भारतीय क्षेत्र के पाकिस्तान को हस्तान्तरण करने के मामले पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । जिन लोगों का इन पर प्रभाव होगा उनकी समस्याओं को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए । इन लोगों को तो पुनः घरों से निकाल कर विस्थापित बना दिया जायेगा ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि आय-व्ययक को सन्तुलित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग इससे प्रभावित हों तथा आय-व्ययक अथवा योजना के प्रति उनके उत्साह में वृद्धि हो ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्) : आय-व्ययक भाषण और 'आर्थिक सर्वेक्षण' में दो बातें मुख्य हैं : एक यह कि खाद्य उत्पादन काफ़ी नहीं और दूसरा विदेशी विनिमय पर पड़ रहा अधिक जोर । सब से प्रथम मैं खाद्य उत्पादन की बात कहूंगा । गत दस वर्षों में हम ५०० करोड़ तक अनाज बाहर से मंगाते रहे हैं । काफी प्रयत्न करने पर भी हम अनाज की कमी को दूर नहीं कर सके । १९५८-५९ के आधे वर्ष में हम ने ५३ करोड़ रुपये का खाद्यान्न बाहर से मंगवाया । १९५६-५७ में १०१ करोड़ रुपये का और १९५७-५८ में १५३ करोड़ का खाद्यान्न बाहर से आया । इससे स्पष्ट है कि हमारी समस्या कितनी गम्भीर है और किस प्रकार अपनी इस दिशा की आवश्यकताओं को दूर करने में हम असमर्थ हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस कमी का सब से बड़ा कारण यह है कि सरकार इसके लिए समुचित वातावरण निर्माण नहीं कर पाई। लोगों में अधिक खाद्य उत्पादन के लिए उत्साह पैदा नहीं हुआ। भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देने से भी अधिक उत्पादन की समस्या हल नहीं होगी। हां, सेवा सहकार समितियों से ज़रूर कुछ लाभ हो सकता है। उस दशा में जब कि हम नये नये प्रयोग कर रहे हैं उच्चतम सीमा का निर्धारित कर देना लोगों के उत्साह को कम करने वाला सिद्ध होता है। आज कृषि में इतने अधिक लोग लगे हैं जितने कि अपेक्षित नहीं। अतः इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिये ग्रामों में छोटे छोटे उद्योग चालू किये जाने चाहियें। छोटे उद्योगों से वैसे भी लाखों बेकार लोगों को काम पर लगाया जा सकता है इस सम्बन्ध में मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कई बार सरकार ऐसी भूमि पर कारखाना लगाने अथवा मिल चालू करने का लाइसेंस दे देती है जो कि सिंचाई के लिए अति उत्तम होती है। अतः इस प्रकार के लाइसेंस देते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

यदि हम उच्चतम सीमा निर्धारित करना ही चाहते हैं तो हमें सब प्रकार की सम्पत्ति की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इसमें शहरी और देहाती का कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए।

अब मैं विदेशी विनिमय की बात कहता हूं। हम यह जानते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है। हम इसके लिये बांध और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। अतः विदेशी विनिमय कमाने के लिये भी हमें अपने आन्तरिक साधनों का संगठन करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा निर्यात व्यापार अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। इस सम्बन्ध में मैं हथकरघा उद्योग का उल्लेख करना चाहता हूं। हमें पता है कि भारत में लगभग २५ लाख करघे हैं जिनमें से ५ लाख मद्रास राज्य में ही हैं। इस उद्योग में २०—३० लाख लोग लगे हुए हैं और ये सब हथकरघे के बने कपड़े के निर्यात पर निर्भर करते हैं। प्रयत्न किया जाना चाहिए कि कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पुरानी मंडियां हमारे हाथ में ही रहें। जहां ये चीज़ें लोकप्रिय हैं वह तो हैं ही, उसको खपत करने के अन्य साधन भी ढूंढने चाहियें। इसके अलावा खालों से भी विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि कच्ची खालों के निर्यात पर रोक लगाई जाय। उन पर निर्यात शुल्क लगाया जा सकता है और उनका प्रयोग देश के स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देने में किया जा सकता है।

वित्त मंत्री महोदय ने समवायों को धन कर से मुक्त कर दिया है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति और संयुक्त परिवार पर लगने वाले कर की दर $^1/_2$ प्रतिशत से बढ़ा कर १ प्रतिशत कर दी है यह बात हमारी समझ में नहीं आ सकी कि ऐसा क्यों किया गया है। वनस्पति तेलों पर कराधान करते हुए छोटे और बड़े कारखानों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। ५, १० हज़ार रुपये लगा कर चलने वाले कारखानों और बड़ी-बड़ी मिलों पर एक ही दर का कर लागू किया गया है यह ठीक नीति नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ दक्षिण के भारतीय श्रमिक श्रीलंका और मलाया में काम कर रहे हैं। ये लोग वहां दस दस, बीस बीस वर्ष से कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें वहां से निकाला जा रहा है उनके लिये समुचित व्यवसाय तलाश करके, काम पर लगाना कठिन हो रहा है। सरकार ने इसके लिए एक समिति नियुक्त की थी, परन्तु उस समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। समिति की सिफारिश थी कि दक्षिण में कुछ उद्योगों को चालू करके मलाया और लंका से निकाले गये मजदूरों को काम पर लगाया जाय।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : वर्तमान बजट इस प्रकार का है कि इस पर न तो वित्त मंत्री को बधाई ही दी जा सकती है न उनकी आलोचना ही की जा सकती है। अधिक से अधिक हम इस पर संतोष प्रकट कर सकते हैं। १९५८-५९ के आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे देश की आर्थिक नीति की आधारशिला कृषि व्यवस्था है। अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कृषि उत्पादन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ष मानसून इत्यादि की खराबी के कारण ही वस्त्र उद्योग में प्रभाव पड़ा। अतः हमें कृषि से उद्योगों की ओर पदार्पण करना है। इसके लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना में भारी उद्योगों को महत्व देकर सही दिशा में कदम उठाया गया है। अतः हमें बजट को इस व्यापक दृष्टि से देखना चाहिये।

जब हम बजट को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें वित्त मंत्री की इस बात से सहमत होना पड़ता है कि बजट में करारोपण द्वारा संसाधनों के उपयोग का साधन अपनाया गया है। योजना ने सरकार पर बहुत भारी जिम्मेदारी थोप दी है और इसके लिये कर लगाना अनिवार्य हो जाता है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का प्रश्न है वे हमारे देश में अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं। उससे आगे इन करों से कोई लाभ होने की संभावना नहीं रहती है। इसी कारण वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। निसंदेह इनका भार अमीर-गरीब दोनों पर पड़ता है लेकिन सिवाय इसके हमारे देश के सम्मुख और कोई विकल्प नहीं है।

आचार्य कृपलानी ने यह शिकायत की है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और मुद्रास्फीति हो रही है कीमतें बढ़ने का एक कारण इस वर्ष मानसून की खराबी भी है। हमें आशा रखनी चाहिये कि अगले वर्ष अच्छी पैदावार होने से भाव गिरेंगे। इस संबंध में स्वयं अशोक मेहता ने अपने एक लेख में कहा है कि भविष्य में तेजी से प्रगति करने के लिये हमें अधिक कर लगाने होंगे, मूल्यों में वृद्धि होगी तथा रोजगार की संभावना कम रहेगी। अतः हमारी जनता को इन संकटों का सामना करना होगा। लेकिन हमें इतना त्याग अवश्य करना होगा।

जहां तक विकास कार्यों के अतिरिक्त किया जाने वाला व्यय है वित्त मंत्री ने कहा है वे इस पर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने व्यक्तित्व के बल पर वे कुछ ठोस परिणाम प्राप्त कर सकेंगे तथापि हमें इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना है। बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, कार्य कुशलता का अभाव इत्यादि बातें पैदा हो गई हैं। वे कार्य करते हैं। उनका भय समाप्त हो गया है। हमें इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये बल्कि वेतन आयोग को इन त्रुटियों का परिष्कार करने के लिये सुझाव देने को कहना चाहिये।

रूरकेला के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने यह कहा था कि रूरकेला के अतिथि गृह के लिये साढ़े सात लाख रुपये व्यय करना अधिक नहीं है। मेरे विचार से इतना अधिक व्यय ऐसी बातों पर करना उचित नहीं है। इससे जनता में यह भ्रांति फैलेगी कि उनसे लिये गये रुपये का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है परिणाम यह होगा कि वे इच्छा पूर्वक सहयोग नहीं करेंगे अतः सरकार को ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें।

†**डा० कृष्णास्वामी** (चिंगलपट) : हमें यह स्वीकार करना होगा कि बजट बहुत श्रम, सच्चाई और बुद्धिमानी से तैयार किया गया है। उससे वित्त मंत्री की सच्चाई और स्पष्टता

---

†मूल अंग्रेजी में

की झलक मिलती है। वस्तुतः हमें वित्त मंत्री के भाषण को आधार मान कर ही चर्चा नहीं करनी चाहिये, अपितु हमें उन दो पुस्तिकाओं पर भी ध्यान देना है जो बजट प्रस्तुत करने के पूर्व सदस्यों को परिचालित की गई हैं । इन में से एक १९५८–५९ का आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरी आर्थिक वर्गीकरण है। मैं अपनी चर्चा इन्हीं दो पुस्तिकाओं पर आधारित रखूंगा।

यदि हम आर्थिक वर्गीकरण को लें तो ज्ञात होगा कि १९५७–५८ से १९५९–६० के दो वर्षों के बीच सरकार के वेतन व मजूरी में २५% की वृद्धि हो गई है। इस में से यदि १२ परसैंट वृद्धि, वेतन वृद्धि इत्यादि के कारण भी हुई हो तो १३% वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया गया है। मेरे विचार से भविष्य में यह नीति होनी चाहिये कि भले ही हम कर्मचारियों को कम संख्या में नियुक्त करें तथापि उनका वेतन अधिक होना चाहिये।

दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उपभोक्ता व्यय बढ़ता जा रहा है, ऋण के व्याज की रकम में वृद्धि हो रही है। तथा हमारे द्वारा किये गये सौदे तथा सेवाओं में ३३५ रुपये का घाटा होता है ।

पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि होती जा रही है। वित्तीय सहायता की यह राशि १९५८–५९ में ५८७ करोड़ में से २५० करोड़ की व्यवस्था, घाटे की अर्थ व्यवस्था के द्वारा और ३०० करोड़ की व्यवस्था विदेशी सहायता के द्वारा की गई। चालू वर्ष के ५३६ करोड़ रुपयों में से २२२ करोड़ रुपये घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा तथा ३२० करोड़ विदेशी सहायता द्वारा पूरी की जायेगी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अब मैं करों की ऊंची दरों को लेता हूं निसंदेह प्रत्यक्ष कर में भी, सीमांत दरें पर्याप्त ऊंची हैं। अप्रत्यक्ष करों में भी यही हालत है कुछ क्षेत्रों में तो प्रत्यक्ष कर इतने अधिक हैं कि उन से व्यक्तियों का उत्साह समाप्त हो जाता है और वस्तुतः उन से आय में कमी होनी भी प्रारम्भ हो गयी है । यही हाल अप्रत्यक्ष करों का भी है। हम कुछ ही वस्तुओं पर प्रतिवर्ष कर लगाते जा २ हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमें वांछनीय आय प्राप्त नहीं हो रही है। स्वयं वित्तमंत्री ने इसे स्वीकार किया है । अतः आवश्यकता यह है कि कुछ विशेष वस्तुऐं न चुन कर हमें कई अन्य वस्तुओं पर भी उत्पादन शुल्क लगाना चाहिये और इस प्रकार इस कर का क्षेत्र अ क व्यापक करना चाहिये। सीमेंट और इस्पात पर उत्पादन शुल्क की दर पर्याप्त ऊंची रखी गई है । जबकि इसका अधिकांश भाग सरकार को ही देना पड़ता है। इसी प्रकार डीजल तेल पर शुल्क बहुत बढ़ा दिया गया है वित्त मंत्री ने अन्यत्र बोलते हुए इसका यही कारण बताया है कि इस से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह गलत है यदि विदेशी मुद्रा की बचत करनी थी तो मिट्टी के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना था । इसी प्रकार मोटर टायरों पर ४० परसेंट यथामूल्य उत्पादन. शुल्क लगा दिया है। जो अत्याधिक अधिक है ।

अतः हमें अपने उत्पादन शुल्क की व्यवस्था पर पुनः विचार करना चाहिये।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इतना सब होते हुए भी खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ता जा रहा है । वस्तुतः जनता हमारी नीतियों को इस पैमाने से देखती है कि आम वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। देश की खाद्य स्थिति इस प्रकार की है कि उस पर नियंत्रण करने में अभी समय लगेगा । तथापि मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देता हूं कि उत्पादन शुल्कों पर पुनः विचार करें। और मद्यनिषेध हटाने और नमक कर पुनः लगाने पर विचार करें। जब हम इन स्रोतों से रुपया वसूल कर सकते हैं तो महज पुरानी नैतिकता के नाम पर इनकी उपेक्षा करना उचित

†**श्री कमलनयन बजाज** (वर्धा) : वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह स्पष्टवादी व्यावहारिक और समझदारी से परिपूर्ण है। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। पाकिस्तान के साथ तनातनी चलने के बावजूद भी उन्होंने जो प्रतिरक्षा बजट में २७५ करोड़ रुपयों की कमी की है, यह एक प्रशंसनीय और साहस का कार्य है। आशा है पाकिस्तान इस संबंध में भारत के कार्य से प्रेरणा ग्रहण करेगा।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** पीठासीन हुए]

यह प्रसन्नता का विषय है कि आय कर, अधिकर व सम्पत्ति कर में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि वे अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हो गये हैं। कम्पनियों पर सम्पत्ति शुल्क और लाभांश कर हटा दिया गया है। तथापि इस से राजकोष को होने वाली आय में कोई कमी नहीं आयेगी।

व्यापारियों ने भी वित्त मंत्री को उनके इस आश्वासन पर कि यह कर, अधिक आय प्राप्त करने के आशय से नहीं लगाये गये हैं, उन्हें बधाई दी है। उनका विश्वास है कि इसमें पूंजी लगाने वालों को पूरा विश्वास प्राप्त होगा और उनका उत्साह बना रहेगा।

अब मैं कर सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को लेता हूं आशा है वे उन पर विचार करेंगे। लाभांश कर हटा दिया गया है तथा बोनस अंशों पर कर जारी रखा गया है इतना ही नहीं, उसे अंशधारियों से एकत्र किये जाने वाले अंशों की किस्तों पर भी विस्तृत कर दिया गया है। यह अनुचित है।

कम्पनियों को मिलने वाली अवक्षयण रियायत अचानक बन्द कर दी गई है। मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि इसे कम से कम १९६२ तक जारी रखा जाय। इस के जारी रखने से सरकार को अधिक आय की हानि नहीं होगी तथापि कम्पनियों को इस से बड़ी सुविधा पैदा होगी क्योंकि वे अपने भावी कार्यक्रमों में पहले ही इस रियायत का हिसाब लगा चुके हैं।

व्यय कर अभी पिछले वर्ष लागू किया गया है। पिछले वर्ष उस में कुछ छूट दी गई। जो इस वर्ष हटा दी गई हैं। यह उचित नहीं है कि हम प्रतिवर्ष व्यक्ति गत प्रकार के करों में परिवर्तन करते रहें। इस से कर दाताओं को कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं अतः हमें कर व्यवस्था पर कम से कम पांच वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं करने चाहियें।

व्यय कर में एक असंगति यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने रिहायशी मकान की मरम्मत करता है तो भी उस पर व्यय कर लग जायेगा। यदि उस से मकान की कीमत में वृद्धि होगी तो उस पर सम्पत्ति कर लग जायेगा। यह अनुचित है।

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : यद्यपि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं तथापि संधारण के अंतर्गत नौकर व अवेक्षक इत्यादि आते हैं जिन पर रखने में कर की छूट नहीं दी जाएगी। मकान की मरम्मत होने से कर तभी लगेगा जब उससे मकान की कीमत में वृद्धि होगी।

†**श्री कमलनयन बजाज**: यदि मकान की सामान्य मरम्मत पर कोई कर नहीं लगता है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनियों पर पूंजी के अन्तर्गठन के संबंध में मैं ने एक विवरण तैयार किया है आप कि अनुमति से मैं उसे सभा पटल पर रखता हूं। वित्तीय संस्थाओं में अधिकांश बैंकों के अंश होते हैं और बैंकों में कम्पनियों के और कम्पनियों में व्यक्तियों के अंश होते हैं अतः मेरा सुझाव है कि दूसरी या तीसरी कम्पनी के अंशों पर कर की छूट मिलनी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उन से प्रकट होता है कि वे घाटे के आयव्ययक की नीति से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन मेरा विचार है कि घाटे का आयव्ययक कुछ प्रश्नों तक और कुछ हद तक चल सकता है। किन्तु इतना अवश्य है कि यदि घाटे का आयव्ययक बिना किसी प्रतिबन्ध के चलता रहे तो यह मुद्रास्फीती की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। घाटे के आयव्ययक में मुद्रा अधिक मात्रा में जारी की जाती है और अधिक मात्रा में आस्तियों की व्यवस्था की जाती है। ये आस्तियां ऐसी होती हैं जिन से तुरन्त लाभ तो नहीं होता किन्तु आगे चल कर लाभ-दायक बनती हैं। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा कुछ अनउत्पादक कामों के लिये भी, जैसे कि युद्ध आदि, जारी की जाती है इसके कारण चीजों के मूल्य बढ़ते जाते हैं इसलिये नहीं कि लोगों की मांग बढ़ गई बल्कि इस लिये कि लोगों का मुद्रा से विश्वास हट गया है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग उस मुद्रा के बदले चीजें इकट्ठी करने लगते हैं चाहे वे उनकी आवश्यकता की हों अथवा नहीं। घाटे के आयव्ययक के कारण हमारी आस्तियों का मूल्य बहुत बढ़ गया है। घाटे का आयव्ययक न तो बहुत अच्छा होता है और न बुरा किन्तु फिर भी घाटे की आयव्ययक के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस की जांच करने के लिये हमें यह देखना होगा कि क्या घाटे के आय व्ययक के कारण चीजों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि मूल्यों की वृद्धि का कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं है क्योंकि और सब चीजों के मूल्य तो इतने नहीं बढ़े हैं जितने कि खाद्यान्नों के। किन्तु खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने का कारण कुछ और दूसरा ही है।

हमारे यहां बेकारी भी काफी मात्रा में बढ़ रही है। उस का उपाय तो यही है कि हमें अतिरिक्त निधियों का विनियोजन करना चाहिये क्योंकि विनियोजन अधिक करने से लोगों को अधिक मात्रा में काम मिलेगा।

इस की तीसरी जांच धन का संभरण है। जनता के पास धन काफी है। इस की मात्रा में कुछ घटा बढ़ी हुई है और घटना बढ़ना स्वाभाविक है किन्तु फिर भी इतना कहा जा सकता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ा रही है जिस से कि हमें डरना नहीं चाहिये। किन्तु इतनी बात अवश्य है कि जिस के लिये कि सरकार धन्यवाद की भागी है और वह यह है कि सरकार ने मुद्रास्फीति को ज्यों का त्यों रखते हुए घाटे की अर्थ व्यवस्था प्रस्तुत की है।

किन्तु इस के होते हुए भी यह आवश्यक है कि हमारा आयव्ययक संतुलित हो इस का संतुलन चाहे राजस्व बढ़ा कर अथवा व्यय को घटा कर किया जा सकता है। किन्तु पिछले वर्षों से हम देख रहे है कि राजस्व को तो बढ़ाया जा रहा है किन्तु व्यय में कमी करने की ओर बहुत कम काम किया गया है। मेरा अपना विचार है कि यदि प्रशासन को अच्छी तरह से संचालित एवं ठीक से चलाया जाये तो इतने राजस्व से ही कार्य चल सकता है और व्यय की भली भांति जांच की जाये अथवा उस का सही-सही व्यौरा बनाया जाये तो उस में कमी की जा सकती है।

इस संबंध में पहला सुझाव तो यह है कि आयकर-विभाग अथवा राजस्व एकत्रित करने वाले विभाग को सुधारा जाये और उस को और भी कुशल बनाया जाये। दूसरे उत्पादन शुल्क की भी जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

की जानी चाहिये। रोज सुनने में आता है कि लाखों की मुद्रा विदेशों को गई और काफी मात्रा में सोना विदेशों से चोरी छिपे लाया गया। इस पर भी रोक लगानी चाहिये। व्यय के क्षेत्र में भी बचत की काफी गुंजाइश और विशेष रूप से स्वायत निगमों के व्यय में काफी बचत की जा सकती है। करों के एकत्रित करने में भी बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संघ के व्यय में भी वृद्धि हुई है और यह ६७ लाख से बढ़ कर १४१ लाख हो गया है। इस पर इतना खर्चा करना हमारे सरीखे देश की हस्ती से बाहर की बात है। इसलिये इस क्षेत्र में काफी बचत की जा सकती है। इस्पात संयंत्रों में तथा खडकवासला की सैनिक एकेडेमी में काफी व्यय व्यर्थ में ही हुआ है। किन्तु इस का अभिप्राय यह नहीं है कि सेना को अधिक व्यय न दिया जाये किन्तु व्यय देने के साथ सरकार को उस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये।

हमारे आय-व्ययक के संबन्ध में एक विदेशी प्राध्यापक की इच्छा इस प्रकार है कि व्यय कर की छूट में कुछ कमी की जाये, व्यक्तिगत सम्पति कर में वृद्धि की जाय, निगम कर में संशोधन किया जाना चाहिये और अतिरिक्त अवक्षयण भत्ता समाप्त कर देना चाहिये।

हमारे यहां कराधान जांच आयोग है। श्री सी० डी० देशमुख ने कहा है कि इस के प्रतिवेदन को कभी-कभी देखना चाहिये कि इस के अनुसार क्या कार्यवाही करनी चाहिये। किन्तु श्री कालडार ने इस प्रतिवेदन के महत्व को कम कर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राजस्व में ८१.६७ करोड़ का घाटा है किन्तु मेरा सविनय निवेदन है कि यह घाटा १०६.६७ करोड़ रुपये का है। इसलिये मेरा कहना है कि इस वर्ष का घाटा १०६.६७ करोड़ का घाटा है न कि ८१ करोड़ का। सीमा शुल्क राजस्व से गत वर्ष १७० करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था किन्तु वास्तव में हुई १३६ करोड़। इस के बारे में यह कहा गया है उन दिनों आयात व्यापार में कठिनाइयां थीं। आयात व्यापार की प्रणाली बदल रही थी। निर्यात बढ़ाने की इच्छा थी और कुछ चीजों पर निर्यात शुल्क लगाये जाने वाला था। सम्पति कर, व्यय कर और दान कर से १७.५ करोड़ की आय का अनुमान लगाया गया था जब कि वास्तविक आय कुल १२.२० करोड़ रुपये की हुई। माननीय वित्त मंत्री न कहा कि छोटी बचत आन्दोलन को और बढ़ाने का विचार है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है डाकखाने के सेविंग्स बैंक खातों में से चैक द्वारा रुपया निकालने की छूट दी जायेगी। मैं जानता हूं कि इस से कुछ परिणाम भी निकलेंगे और यह जनप्रिय भी होगा।

विदेशों से ऋण लेने के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है। एक दल ने इस प्रकार समय-समय पर ऋण लेने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। नवम्बर, १९५८ के अन्त तक हम ने कुल मिला कर १२३२·४७ करोड़ रुपया ऋणस्वरूप लिया है जिसमें लगभग ५० प्रतिशत अमरीका का ऋण है, और केवल १० प्रतिशत ऋण रूस का है। हमें इस विदेशी सहायता की आवश्यकता है। आलोचकों को चाहिये कि यदि वे इस ऋण के पक्ष में नहीं हैं तो उन्हें कोई अन्य वैकल्पिक साधन सुझाने चाहियें। विशेष बात तो इन ऋणों के सम्बन्ध में यह है कि जब मुद्रास्फीति के कारण हमारी स्थिति खराब होने जा रही है उस समय हमें यह ऋण मिले हैं इस से हमारी साख का पता चलता है।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर): पूर्व वक्ताओं ने इस आयव्ययक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् से यह पहिला ही अवसर है जब कि इतना अच्छा आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है। किन्तु मेरे विचार से तो इस आयव्ययक का आधार समाजवाद की कोरी बातें करना और कार्यवाही में पूंजीवाद का एकाधिकार स्थापित करना है। प्रायः यह देखने में

†पूल अंग्रेजी में

आता है कि आन्तरिक संसाधनों के लिये करोड़ों व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है किन्तु इन लखपतियों से इस मद के लिये बहुत थोड़ी राशि मिलती है और वे किसी न किसी प्रकार बच निकलते हैं ।

जब हम अपने देश के उत्पादन के बारे में विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन के मामले में हमारा उत्पादन कम है इसीलिये खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ रहा है । इसके अलावा आज हमारे देश में उत्पादन का संकट है । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि हमारे निर्यात की मात्रा कम है, दूसरे जनता के उपभोग की क्षमता निरन्तर कम होती जा रही है। कपड़ा, सीमेंट आदि का उत्पादन खूब हो रहा है किन्तु उसकी निकासी बहुत कम है इसी कारण कुछ मिलें भी बन्द हो रही हैं। मंदी के कारण किसानों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है । इस प्रकार देश का विकास रुक रहा है । इस प्रकार हमारे देश का उत्पादन दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है इसलिये जब तक हम आर्थिक तथ्यों पर विचार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है ।

विदेशी व्यापार और विदेशी सहायता के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक मंदी जो पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक अंग है हमारे विकास पर आघात पहुंचाती है । इसलिये हमें इस पर ध्यान देना चाहिये बल्कि इसके बारे में पहले ही ध्यान देने की आवश्यकता थी । वित्त मंत्रालय को हर बार यह चेतावनी दी जाती है किन्तु वह कोई ध्यान नहीं देती और इसका परिणाम यह होता है कि उन देशों को निर्यात न करने के कारण जिनसे कि हमें सहायता मिलती है, वह सहायता बेकार हो जाती है । जो व्यक्ति कि विदेशी विनिमय संकट के लिये उत्तरदायी है आज वे ही योजना को छोटी करने की बात कहते हैं। आज देश की जो स्थिति हो गई है उस के लिये मैं वित्त मंत्रालय को उत्तरदायी ठहराता हूं । यह स्थिति वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीतियों के फलस्वरूप ही है । बात तो बड़ी-बड़ी कही गई किन्तु काम बहुत थोड़ा किया गया ।

हर साल यह कहा जाता है कि हमारे आन्तरिक संसाधनों के साधन बहुत थोड़े हैं हमें उन्हें बढ़ाना चाहिये किन्तु क्यों ? किन्तु दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ धनिक वर्ग तो और भी धनी बनते जा रहे हैं और उद्योगों पर एकाधिकार की पकड़ और भी कठोर होती जा रही है । आयकरों के इकट्ठा करने में प्रायः एक प्रकार से कोई उन्नति नहीं हो रही है । हमें इसका कारण ढूंढना होगा । योजना को चालू हुये आज आठ वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक करों को इकट्ठा करने में कोई वृद्धि नहीं हुई है । प्रत्यक्ष कराधान की वृद्धि भी नहीं के बराबर है ।

उत्पादन शुल्क की स्थिति भी आश्चर्य जनक है । इसमें बड़ी वृद्धि हुई है । आज यह तिगुनी हो गई है । आज हम समाजवाद, सामाजिक अर्थव्यवस्था, विकासोमुख अर्थव्यवस्था आदि की बातें करते हैं । मेरा कहना है साधारण व्यक्ति ने अपने आप को जितना सीमित कर लिया है उतना सीमित शायद ही किसी ने किया हो ।

एकाधिकारी लाभ कमा रहे हैं । दूसरी ओर गैर-सरकारी उद्योग सरकारी धन के आधार पर विकास कर रहे हैं । किन्तु उन से होने वाले लाभ उन उद्योगपतियों की जेबों में ही जा रहे हैं । सरकार को उनसे कुछ नहीं मिल रहा है । यदि सरकारी धनों का उपयोग इस प्रकार होता रहा जिस प्रकार कि उसका उपयोग आज किया जा रहा है तो सरकारी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र बड़े तेजी से उन्नति करेंगे और यही कारण है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना आज संकट में है ।

अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी देश में दूसरे देश की गैर-सरकारी पूंजी का आना बहुत ही खतरनाक है । हमारे यहां उद्योगपतियों को जिनका कि उद्योगों पर एकाधिकार है कि विदेशी निजी पूंजी को तेल उद्योगों में लगाने की आज्ञा मिलनी चाहिये । हमने उस की आज्ञा

[श्री नागी रेड्डी]

भी दे दी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तेल उद्योगों में विदेशी निजी सम्पत्ति को लगाने की आज्ञा हम ने दे दी है। किन्तु हमने देखा है कि मध्य पूर्व के देशों में इसका परिणाम बड़ा खराब रहा है। समाजवादी समाज का अभिप्राय यदि अपने देश में विदेशी निजी पूंजी का विनियोजन ही बढ़ाना है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार आप देश को पूंजीवाद के संकट में डाल रहे हैं, खाद्यान्न के संकट में पटक रहे हैं और इस प्रकार उसे बेरोजगारी की ओर ले जा रहे हैं तथा अन्य प्रकार की विपत्तियां देश के लिये मोल ले रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इसकी जांच करे। ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं समझता कि सरकार को जन साधारण का वह सहयोग मिल सकेगा जो कि सरकार चाहती है। इसलिये अन्त में सरकार से निवेदन है कि वह इस आय-व्ययक के ढांचे को बिल्कुल ही बदल दे जिस से कि देश की प्रगति हो सके।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[बुधवार, ११ मार्च, १९५९ / २० फाल्गुन, १८८० (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७९३—२८१६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९७	शक्ति चालित पम्प उद्योग	२७९३—९५
१०९८	ऊन उत्पाद	२७९५—९८
१०९९	सऊदी अरब में प्रदर्शन-कोष्ठ (शो रूम)	२७९८—२८००
११००	कच्चे मैंगनीज का व्यापार	२८००—०१
११०१	महात्मा गांधी की समाधि का निर्माण	२८०१—०२
११०२	भारत में विदेशी फर्मों का भारतीयकरण	२८०२—०५
११०३	उत्तर कुजामा कोल्यिरी में दुर्घटना	२८०५—०६
११०४	खनिज विकास	२८०७—०८
११०५	भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय को मसूरी ले जाना	२८०८—०९
११०७	दिल्ली में श्रमिकों के लिये कैन्टीन	२८०९—१०
११०८	बागे पंचाट की कार्यान्विति	२८१०—१२
११०९	पाकिस्तान जाने वाले भारतीय दर्शक	२८१२—१३
१११२	सीमावर्ती आक्रमण	२८१३
१११३	टैक्नीकल संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर निकले हुए शिशिक्षुओं को नौकरी	२८१४
१११४	पाकिस्तानी प्रचार	२८१५—१६
१११५	सुधार शुल्क	२८१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८१७—६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११०६	मोटर निर्माता	२८१७
१११०	ट्रकों का संभरण	२८१७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११११	निर्मित माल का निर्यात	२८१८
१११६	भारत और सोवियत रूस के बीच-व्यापार	२८१८
१११७	सर्वोदय गृह-निर्माण संस्था	२८१८–१६
१११८	मुलुन्द (बम्बई) में बिजली के औजार बनाना	२८१६
१११६	बर्मा में भारतीय	२८१६–२०
११२०	खेल के सामान का उद्योग	२८२०
११२१	खानों के मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन	२८२०
११२२	कांच उद्योग को सोडा ऐश का संभरण	२८२१
११२३	मद्रास में कागज की कमी	२८२१–२२
११२४	राज्य व्यापार निगम द्वारा मेस्टा की खरीद	२८२२
११२५	क्वाला लम्पुर में भारतीय राजनीतिक बन्दी	२८२२–२३
११२७	समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना	२८२३
११२८	हैवी इलैक्ट्रीकल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, भोपाल	२८२३
११२६	भारतीय वस्त्र	२८२४
११३०	पटसन उत्पादों के मूल्य	२८२४–२५
११३१	एरणाकुलम् का औद्योगिक न्यायाधिकरण	२८२५
११३२	फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो	२८२५
११३३	नारियल जटा के फर्श और पट्टियां	२८२५–२६
११३४	औद्योगिक बस्ती, ओखला (दिल्ली)	२८२६
११३५	योजना आयोग के साथ काम करने वाले मंत्रणाकार	२८२७
११३६	ईरान को भारतीय वस्त्र का निर्यात	२८२७
११३७	काफी का निर्यात	२८२७–२८
११३६	इंडिया काफी डिपो और काफी हाउस	२८२८
११४०	लौह-अयस्क का निर्यात	२८२८–२६
११४१	जनेवा करार	२८२६
११४२	औद्योगिक विवाद	२८२६
११४३	कोयला खानों में ठेके की प्रथा का अन्त	२८३०
११४४	योजना आयोग के अंशकालिक कर्मचारी	२८३०
११४५	सौराष्ट्र के विस्थापित व्यक्ति गृहों में से विस्थापितों व्यक्तियों का चला जाना	२८३०–३१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७०७	विदेशों में भारतीय व्यापार केन्द्र	२८३१
१७०८	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा	२८३१
१७०९	विदेशी प्रधान मंत्रियों का भारत आगमन	२८३१–३२
१७१०	जम्मू व काश्मीर में योजनायें	२८३२
१७११	जम्मू व काश्मीर में हथकरघा उद्योग का विकास	२८३२
१७१२	दिल्ली नगर निगम	२८३२–३३
१७१३	भारत में फिल्म कम्पनियां	२८३३
१७१४	बंबई राज्य में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	२८३३
१७१५	पत्थर खान में दुर्घटनायें	२८३३
१७१६	उड़ीसा में कांच के कारखानें	२८३४
१७१७	उड़ीसा में द्वितीय योजना का प्रचार	२८३४–३५
१७१८	विस्थापित बैंकों के बन्धक दावे	२८३५–३६
१७१९	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय	२८३६
१७२०	गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता	२८३६–३७
१७२१	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	२८३७
१७२२	आन्ध्र प्रदेश में समवाय	२८३७
१७२३	अन्धेरी (बम्बई) में फ्लैक्सिबिल ट्यूब बनाने का कारखाना	२८३७–३८
१७२४	सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन योजना	२८३८
१७२५	पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक बस्तियां	२८३८–३९
१७२६	कल्याण कर्मचारियों का प्रशिक्षण	२८३९
१७२७	मैसूर में औद्योगिक विवाद	२८३९
१७२८	औद्योगिक विवाद	२८४०
१७२९	राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड	२८४०
१७३०	बागान श्रमिकों के लिये समान मजूरी	२८४०–४१
१७३१	कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण	२८४१
१७३२	छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	२८४२
१७३३	चाय बागानों का बन्द किया जाना	२८४२
१७३४	आकाशवाणी	२८४२–४३
१७३५	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	२८४३–४४
१७३६	रूस के साथ व्यापार	२८४४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७३७	पटसन का व्यापार .	२८४४
१७३८	कच्चे पटसन का निर्यात .	२८४४–४५
१७३९	औद्योगिक उत्पादन . . .	२८४५
१७४०	कानपुर में उपभोक्ता मूल्य देशनांक	२८४५–४६
१७४१	भारतीय श्रम सम्मेलन . .	२८४६
१७४२	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड	२८४६
१७४३	उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में टैक्नीकल संस्थायें	२८४६–४७
१७४४	कलकत्ता गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	२८४७
१७४५	गवर्नमेंट प्रेस, दिल्ली, की मुद्रण क्षमता	२८४७–४८
१७४६	उड़ीसा में लघु उद्योग . .	२८४८
१७४७	मोटरगाड़ी टायर निर्माण उद्योग. .	२८४८–४९
१७४८	काम दिलाऊ दफ्तर . . .	२८४९
१७४९	आणविक शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग	२८५०
१७५०	भारत सरकार द्वारा की गई खरीद .	२८५०
१७५१	गर्म मसालों की निर्यात संवर्धन परिषद् . .	२८५०–५१
१७५२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	२८५१
१७५३	उड़ीसा सरकार के अतिरिक्त संसाधन . . .	२८५१
१७५४	हिमाचल प्रदेश में श्रम सम्बन्धी विधियां . . .	२८५१
१७५५	दिल्ली में १०० किलोवाट शार्ट वेव ट्रांस्मीटर का लगाया जाना .	२८५२
१७५६	दक्षिणी अफ्रीका में पैदा हुए भारतीय . . .	२८५२
१७५७	गोदी श्रम बोर्ड कलकत्ता के क्लर्कों द्वारा हड़ताल	२८५२
१७५८	बेलगांव को अभ्रक और तम्बाकू का निर्यात	२८५३
१७५९	रूई के लिये निर्यात लाइसेन्स . . .	२८५३
१७६०	विदेशी वाणिज्य केन्द्र	२८५४
१७६१	ब्रिटेन और अमरीका को चाम और खालों का निर्यात	२८५४
१७६२	पत्र-पत्रिकायें . . .	२८५४
१७६३	केन्द्रीय लोक निर्माण भाग के कर्मचारी . .	२८५५
१७६४	शाल्डीन-सीरियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर .	२८५५
१७६५	हड्डी-दलित्र . .	२८५५–५६
१७६६	कागज . .	२८५६

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१७६७	ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनायें . .	८५६—५७
१७६८	जन सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति .	२८५७
१७६९	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड .	२८५७
१७७०	छातों का निर्यात . .	२८५७
१७७१	औद्योगिक विवाद्व तथा तालाबन्दियां	२८५८
१७७२	ल्हासा (तिब्बत) में सम्पत्तियों का अधिग्रहण	२८५८
१७७३	स्विटजरलैण्ड के साथ व्यापार .	२८५८—५९
१७७४	पंजाब में बेरोजगारी . . .	२८५९—६०
१७७५	पंजाब में नयी फैक्ट्रियों के लिये लाइसेंस . .	२८६०
१७७६	आन्ध्र में स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों की योजनायें	२८६१
१७७७	विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार . .	२८६१
१७७८	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का व्रज में पुनर्वास	२८६१

निधन सम्बन्धी उल्लेख २८६२

श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त, श्री खाडिलकर तथा अध्यक्ष महोदय ने डा० एम० आर० जयकर के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा तथा भारत की संविधा सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख दिया ।

इस के पश्चात् सम्मान प्रकट करने के लिये सदस्यगण एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . २८६३

चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप धारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४३ की एक प्रति ।

सदस्य की गिरफ्तारी और सजा २८६३

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि उन्हें रोहतक के पुलिस सुपरिन्टैन्डैन्ट से दिनांक १० मार्च, १९५९ के दो तार मिले हैं, जिन में बताया गया कि लोक-सभा के सदस्य, चौ० प्रताप सिंह दौलता को १० मार्च, १९५९ को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन रोहतक के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने, उन्हें रोहतक के जिला न्यायालय में एक अवैध सभा का सदस्य होने के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ के अन्तर्गत दोषी करार दिया और दो मास

विषय पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी और सजा—(क्रमशः)

की सादी कैद और २०० रुपये जुर्माना अथवा जुर्माना न देने पर एक मास की और सादी कैद की सजा दी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८६४

सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा २८६४

अध्यक्ष ने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत सरकारी समवायों के प्रतिवेदनों को, सभा-पटल पर रखने से पूर्व, सदस्यों को परिचालित किये जाने के बारे में घोषणा की ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २८६४–६५

वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने आसाम की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली-वर्षा के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २८६५–९४

१९५९-६० के सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा जारी हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

आयव्ययक (सामान्य) १९५९-६० पर अग्रेतर सामान्य चर्चा । १९५९-६० के लिये लेखानुदानों की मांगों पर मतदान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९ पर तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना ।